खण्ड-248, अंक-8
सोमवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1886
(30 मार्च, 1964 ई0)

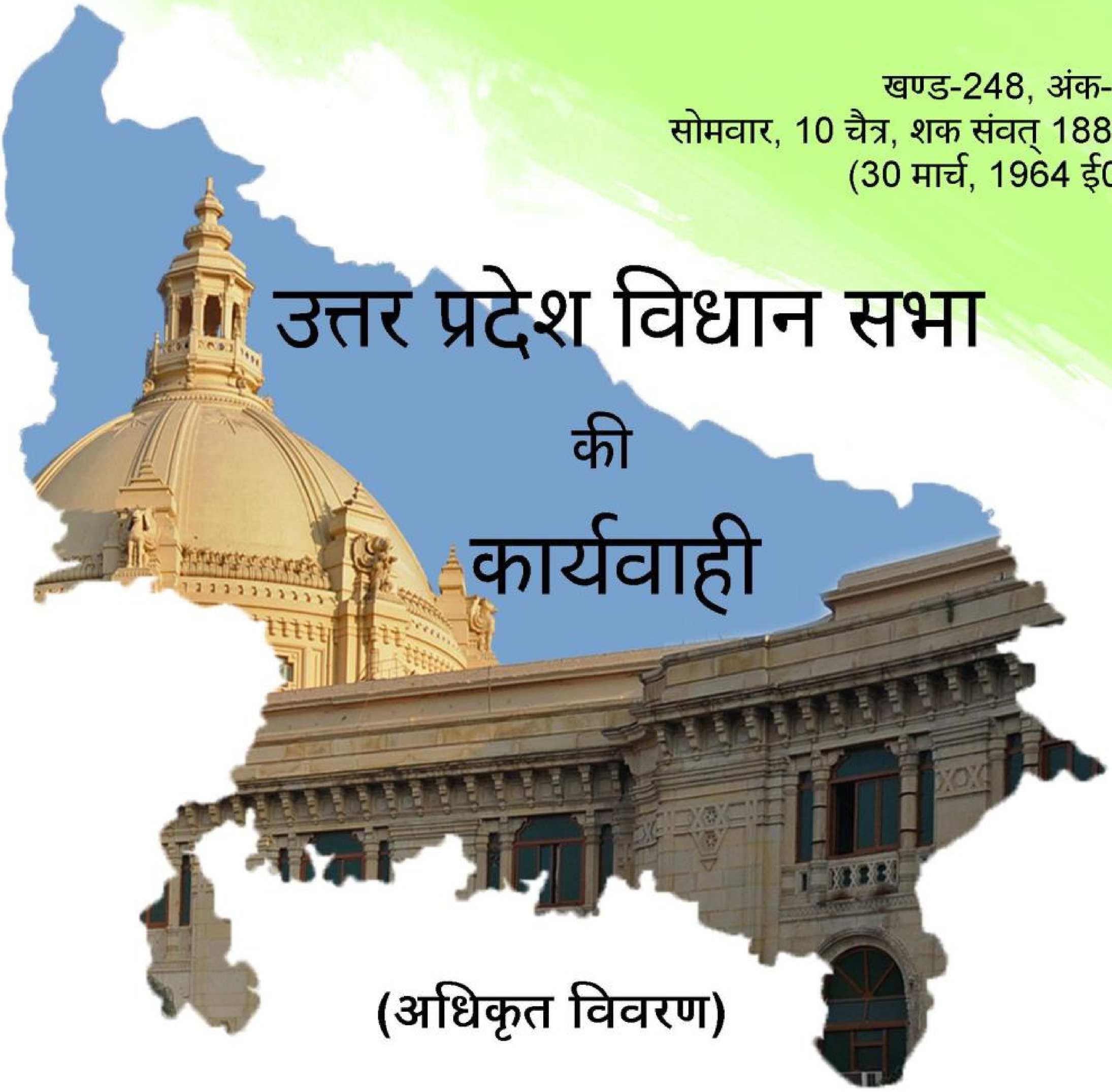

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६०५–६०९
दर्शक-दीर्घा के लिये प्रवेश पत्र न दिये जाने के संबंध में जानकारी ..	६०९
प्रश्नोत्तर	६०९–६३८
यू० पी० जेल डिपो की आडिट रिपोर्ट (मेज पर रखी गयी)	६३८
प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६३८–६४०
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	६४०
श्री राजनारायण मिश्र द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	६४१
२८ मार्च, १९६४ को सदन द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना संबंधी प्रस्ताव में उल्लिखित वकीलों के विरुद्ध श्री अध्यक्ष द्वारा अनुमति न देने की घोषणा कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें ..	६४१
राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्दिष्ट विषय पर कार्य-प्रणाली निश्चित करने के संबंध में श्री अध्यक्ष का सुझाव	६४२–६४५
पंचमांगियों तथा साम्प्रदायिक तत्वों के सक्रिय होने के संबंध में दी गयी सूचनाओं पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा को प्राथमिकता देने की मांग ..	६४५
शिक्षण संस्थाओं में राजकीय हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना के संबंध में संकल्प (विवाद जारी) ..	६४६–६८६
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापित किया गया)	६८६–६८७
पंचमांगियों तथा साम्प्रदायिक तत्वों के सक्रिय होने के संबंध में दी गयी सूचनाओं पर नियम ५३ के अन्तर्गत गुप्त बैठक में चर्चा	६८७–६८८
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६८९
नत्थियां	६९०–७११

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३० मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, (श्री मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)]
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्राप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महवीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ोलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावनसिंह, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
बीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुवेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उप-मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

दर्शक-दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । गैलरी के पास क्यों बन्द हैं जब कि बाहर से प्रदेश की जनता सेशन को देखने के लिये आई हुई है ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

सीक्रेट सेशन होना चाहिये, यह परसों कहा गया था और माननीय मुख्य मंत्री ने उसे स्वीकार कर लिया । गैलरीज तथा प्रैस गेलरी में कोई नहीं रहना चाहिये ताकि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

उसी विचार से यह आदेश दिये गये हैं । जब वह बहस शुरू होगी तो आपके कथनानुसार प्रेस गैलरी भी खाली होगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

सीक्रेट सेशन में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

सिक्योरिटी संबंधी प्रस्ताव पर विचार होगा, प्रश्नों के समाप्त होने पर, और मैं बतलाऊंगा ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३० मार्च, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गुन्नौर थाने के हेड कांस्टेबिल का गोली से घायल होना

**१—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के थाना गिन्नौर के हेड कांस्टेबिल को जिस गुंडे ने दिनांक २५–२६ फरवरी, १९६४ की रात्रि में गोली से घायल किया क्या वह गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि हां, तो वह आदमी किस स्थान से आया तथा उसका पूरा परिचय क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

दिनांक २५/२६ फरवरी, १९६४ की रात्रि में थाना गुन्नौर के हेड कांस्टेबिल को गोली से घायल करने वाले व्यक्ति ने ९–३–६४ को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया था । उस व्यक्ति का नाम सोनवीर है तथा वह ग्राम दबतरा, थाना गुन्नौर, जिला बदायूं, का निवासी है ।

**२—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस प्रसंग में थाना गिन्नौर, जिला बदायूं, सहसवान-बबराला मार्ग पर महावा नदी पर बने पुल पर रहने वाले मजदूरों की जो तलाशी ली उसमें क्या कोई नाजायज रिवाल्वर बरामद किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

महावा नदी के पुल पर रहने वाले मजदूरों की पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने, और कोई नाजायज रिवाल्वर बरामद होने, की कोई सूचना नहीं है ।

श्री उल्फतसिंह यादव—

यह हत्यारा किस जगह से आया था और किस लारी पर सवार हुआ था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह दफ्तरा से आया है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

महावा नदी के पुल पर जब मजदूरों की तलाशी हुई थी उससे यह पता चला कि मुबारक अली, साकिन सरसौल, कौमिल सिंह साकिन करियामई ये लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसी बात नहीं है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को पता चला कि इन व्यक्तियों के अलावा और कोई व्यक्ति इस षड्यंत्र में शामिल था ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी नहीं, यह सब जांच की बात है ।

श्री उग्रसेन—

गोली की जांच की गयी तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसका कोई सबूत है कि उसमें रिवाल्वर इस्तेमाल हुआ या बन्दूक ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसमें रिवाल्वर की बात है । वैसे कोई बाहर ले कर नहीं जा रहा था ।

विधायकों की आवास व्यवस्था

**३—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सभी विधायकों के आवासों में छोटे कमरों में भी बिजली के पंखों की व्यवस्था अभी-अभी पूरी की गयी है, तो बंगला नं० ५ (बी ब्लाक), दारुलशफा में विधायकों को अभी तक इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है ? इस बंगले के छोटे कमरों में कब तक पंखे की व्यवस्था हो जावेगी ?

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

विधायक निवास १ व २ के सदस्यों की मांग पर इस वर्ष अतिरिक्त पंखे का प्रबन्ध किया जा रहा है । अन्य निवासों की मांग भी प्राप्त हो गई है जिस पर अगले वर्ष कार्यवाही हो सकेगी ।

श्री रघुनाथसिंह--

जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि निवास स्थान की व्यवस्था माननीय सदस्यों की मांग पर की गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सदस्यों की मांग पर क्यों व्यवस्था की जा रही है। सामूहिक व्यवस्था को ध्यान में रख कर व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

क्योंकि जब तक लड़का रोता नहीं है, मां भी दूध नहीं पिलाती है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

श्रीमन्, मेरा रोना यह है कि बी ब्लाक में रहने वालों को बहुत तकलीफ है। सिर्फ एक-एक टेबिलि और कुर्सियां हैं हम चाहते हैं कि जैसा ए और बी ब्लाक में है, उसी आधार पर यहां भी फर्नीचर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि....

श्री अध्यक्ष--

देखिये बद्रीप्रसाद पालीवाल जी, प्रश्न यह है कि "क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सभी विधायकों के आवासों में छोटे कमरे में भी बिजली के पंखे की व्यवस्था अभी-अभी पूरी की गई है, तो बंगला नं० ५ (बी ब्लाक) दारुलशफा में विधायकों को अभी तक इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है ? इस बंगले के छोटे कमरों में कब तक पंखे की व्यवस्था हो जायेगी ? पंखे और बिजली के बारे में प्रश्न पूछने हों तो मैं एलाऊ करूंगा, कुर्सी और मेज के लिये एलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब बच्चा रोने लगा है तो माता दूध पिलायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

माता वक्त पर नहीं पिलायेगी तो पिता हिदायत कर देंगे।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ओल्ड कौंसिलर्स रेजीडेंस के नये कमरों में भी यह व्यवस्था होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

धीरे-धीरे सब जगह करना चाहते हैं ताकि सदस्यों को आराम पहुंचे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

निवास नम्बर ३ के नये कमरों में तथा बरामदों में यह व्यवस्था हो सकती है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बरामदों में तो बड़ा खर्चा होगा।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता न मिलना

**४--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ५ रुपया बढ़ाने की घोषणा जो सदन में की गयी है, वह स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों पर लागू होती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

महंगाई भत्ते में ५ रुपये की प्रश्नोक्त वृद्धि केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। स्वायत्त शासन विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। अतः यह घोषणा उन पर लागू नहीं होती है।

जहां तक स्थानीय निकायों के जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों का सम्बन्ध है, उनके बारे में घोषणा वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच में सम्मिलित है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब स्थानीय निकाय के अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जब कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो अन्य स्थानीय निकायों के अन्य कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

हमारे पास जितने साधन हैं उतना ही कर सकते हैं। जिम्मेदारी उनकी है। अगर सरकार व्यवस्था कर सकती तो बात दूसरी थी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी बतायंगे कि जब भी महंगाई भत्ता मिला है, तो मास्टरों को भी मिला है और अन्य कर्मचारियों को भी मिला है, तो इस साल क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

हमेशा ऐसा नहीं हुआ। कभी २ इन कर्मचारियों को हुआ है और अध्यापकों को नहीं हुआ है। दूसरी योजना तक केन्द्र ने हिस्सा दिया, अब उसने देना बन्द कर दिया है इसलिए प्रदेशीय सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि वह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा सके।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब एक बार उन्होंने पांच रुपये महंगाई का भत्ता बढ़ाया था सरकारी कर्मचारियों का तो उस समय स्थानीय निकायों के मेहतरों, क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों का भी बढ़ाया था, तो अब कौन सी विशेष बात पड़ गयी कि उधर वृद्धि की गयी थी और इधर नहीं की गयी ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो वृद्धि होती थी उसमें केन्द्रीय सरकार हिस्सा देती थी लेकिन अब उसने देना बन्द कर दिया है, इसलिए राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह अपने आप पूरी जिम्मेदारी उठा सके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि स्वशासन विभाग में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी कलेक्टर्स आफिस या कमिश्नर्स आफिस से डेपुटेशन पर आते हैं लेकिन चूंकि वह स्थानीय निकायों में काम करते हैं इसलिए उनको पांच रुपये की वृद्धि नहीं दी जाती, इसका क्या आधार है न देने का ?

श्री जयराम वर्मा—

जब तक डेपुटेशन पर हैं तब तक वहां की कंडीशंस से गवर्न होते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी जिन स्वायत्त शासन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है उन्हें आदेश देने की कृपा करेंगे कि अपने कर्मचारियों के लिए भी वही सुविधा जो सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी है ?

श्री जयराम वर्मा—

कोई आदेश देने का प्रश्न नहीं है। अगर कोई स्थानीय संस्था अपने आप ऐसी व्यवस्था कर सकती हो और सरकार के पास प्रार्थना करे तो हमदर्दी के साथ विचार किया जायगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

भंगियों के लिए यहां से यह आदेश जारी हुआ था कि पहली अप्रैल, १९६२ से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या यहां से कोई ऐसे आदेश जारी हुये हैं स्वायत्त शासन सस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कि अमुक वर्ग के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाय ?

स्वयत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

यह सर्कुलर भेजा गया है म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज को कि जो नगरपालिकायें महंगाई भत्ता दे सकती हैं वह दें।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन अध्यापकों के लिये जो लोकल बाडीज में काम कर रहे हैं अथवा उनके लिये जो डेपुटेशन के तरीके से भेजे जायंगे जो पांच रुपया का भत्ता देने का निश्चय किया है उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी अथवा लोकल बाडीज वहन करेंगी ?

श्री जयराम वर्मा—

वह खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपमंत्री ने कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक केन्द्रीय सरकार देती रही। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले वर्ष भी सरकार ने पांच रुपये की जो बढ़ोत्तरी किया था वह बढ़ोतरी जिला परिषद् के कर्मचारियों को म्युनिसिपैलिटीज के कर्मचारियों को सब को दी गयी थी, क्या इसकी जानकारी है ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने बताया कि अगर हम कर सकें तो बात दूसरी है। अगर कर नहीं सकते तो हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या प्रदेशीय सरकार बढ़ती हुई महंगाई की विशेष परिस्थिति को देखते हुये केन्द्रीय सरकार को लिखेगी कि वह अपना अंशदान दे ताकि इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा सके ?

श्री जयराम वर्मा—

तीन वर्ष हो गये दूसरी पंचवर्षीय योजना को खत्म हुए। केन्द्रीय सरकार से बार-बार मांग की गयी लेकिन वह यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

आम शिकायत है कि मेहतरों को जो सबसे छोटे कर्मचारी हैं मंहगाई का भत्ता नहीं मिल पाता, तो क्या कोई ऐसा आदेश देंगे कि इस मंहगाई के भत्ते में मेहतरों को शामिल कर लें ?

श्री जयराम वर्मा--

स्थानीय निकायों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं इसलिये यह घोषणा उन पर लागू नहीं होती ।

सिधौली थाना क्षेत्र में नरभक्षी

**५--श्री बैजूराम (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को मालूम है कि सीतापुर जिले के सिधौली थाना क्षेत्र में एक नरभक्षी पशु ने पिछले पखवारा में अनेक बच्चे मार डाले हैं तथा घायल किये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

लकड़ बघ्घा देखा गया है परन्तु इन घटनाओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

**६--श्री बैजूराम (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी जानती है कि क्षेत्रीय एम० एल० ए० ने इन दुखद घटनाओं के सम्बन्ध में सिधौली थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

श्री बैजूराम, एम० एल० ए०, ने लकड़बघ्घे के दिखाई देने की रिपोर्ट पुलिस में की थी ।

**७--श्री बैजूराम (अनुपस्थित)--

क्या सरकार इस नरभक्षी का अन्त करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कोई कदम उठायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कदम उठाया गया है । पुलिस तथा स्थानीय बन्दूक के लाइसेंसदारों ने प्रयत्न किया और उस क्षेत्र को छान डाला । एक भेड़िया तथा २ लकड़बघ्घे मार डाले गये हैं ।

हमीरपुर जिले में मौदहा बस स्टेशन तथा अन्य स्थानों पर हत्यायें

**८--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री जी को पता है कि हमीरपुर जिले के थाने में इसी सप्ताह थाने के मुख्यावास के बस स्टेशन के समीप दिन दहाड़े गोली का निशाना बना कर एक ही स्थान पर ३ (तीन) व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो इन हत्याओं के पीछे क्या साजिश थी तथा अब तक सम्बन्धित हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, इस प्रकार की एक घटना दिनांक १८ मार्च, १९६४ को मौदहा बस स्टेशन के समीप घटित हुई जहां से थाना लगभग आधा मील दूर है । जांच से पता चला कि मृतक श्री राजा भैया उर्फ उम्मेदसिंह को कत्ल करने की योजना थी किन्तु अन्य दो व्यक्ति श्री राजा भैया के मारने के लिये छोड़ी गई गोलियों के लगने से मर गये, ४ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित शेष ९ अभियुक्त जा० फौजदारी की धारा ८७/८८ की कार्यवाही के फलस्वरूप अदालत में हाजिर हो गये हैं । अनुसंधान जारी है ।

**९—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री जी हमीरपुर जिले में प्रत्येक थाने में गत तीन वर्षों में हुई हत्याओं का विवरण सदन में रखने का कष्ट करेंगे और हमीरपुर जिले के सदर मुकाम में श्री भोलानाथ शुक्ल, भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, की हत्या के कारण बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमीरपुर जिले में गत तीन वर्षों में हुये कत्लों का थानावार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

श्री भोलानाथ शुक्ल की हत्या के सम्बन्ध में अब तक के अनुसंधान से कत्ल का कारण अभियुक्तों से वैमनस्य प्रतीत हुआ ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९० पर)

**१०—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बहुत सारी हत्याओं में स्थानीय पुलिस की भी साजिश है ? यदि नहीं, तो वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सत्य नहीं है कि बहुत सी हत्याओं में स्थानीय पुलिस की साजिश थी, केवल श्री भोलानाथ शुक्ल के कत्ल के सम्बन्ध में एक पुलिस अधिकारी के ऊपर सन्देह जाहिर किया गया था, जिसको निलम्बित करके गिरफ्तार कर लिया गया तथा जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दी गई ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर नगरपालिका उपसमितियां

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कानूनी तौर पर नगर-पालिकाओं में बनी सब-कमेटियों का कार्यकाल ३१ जनवरी को प्रति वर्ष समाप्त हो जाता है, तो सहारनपुर नगरपालिका की सब-कमेटियां अब भी किस नियम के अधीन बदस्तूर काम कर रही हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जिलाधीश सहारनपुर से प्रश्न के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सूचना सिर्फ इस बात से सम्बन्धित है कि वहां के बाई-लाज के मुताबिक ३१ जनवरी को प्रति वर्ष सब-कमेटीज़ की उम्र ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आया वहां पर सब कमेटीज़ वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, यह तो एक मामूली सी बात थी जो कि टेलीफोन पर पता लग सकता था, तो क्या कारण है कि जवाब नहीं मिल पा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना के लिये जिलाधीश से जानकारी की गई और वह उत्तर नहीं आ पाया। माननीय सदस्य की सूचना से यह मालूम होता है कि सब-कमेटीज वर्क कर रही हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी को इसी फरवरी और मार्च के महीने के लोकल पेपर्स की प्रतिलिपियां मैंने दी हैं जिनके अन्दर इश्तहार छपे हैं जो कि उन सब-कमेटीज के प्रधानों ने अपने नाम से दिये हैं, तो क्या उससे ज्ञान माननीय मंत्री जी को हो पाया है या नहीं कि वहां पर सब-कमेटियां आज भी उसी प्रकार वर्क कर रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह बात सही है जो आपने अभी फरमायी कि कुछ पेपर्स आये और उसकी जानकारी की गई। मुझे इस बात का दुख है कि १२ मार्च को आपका यह सवाल आया था और डी०एम० से १३ तारीख को ही यह सूचना मंगा ली गई थी, उसके एक ही रोज बाद, लेकिन वह सूचना आज ही प्राप्त हुई है और जब यह जवाब दिया गया था तब तक यह सूचना नहीं आयी थी, चूंकि फैक्ट्स ऐसे थे कि जिनको वेरीफाई करना था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से .....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ जायगा। (व्यवधान) उनके पास जवाब आ गया है, आपके पास तक नहीं पहुंचा। अगली बार आ जायगा।

चीनी निर्यात करने वालों पर आगरा पुलिस द्वारा गोली चलाना

*२—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगरे में जो लोग ऊंट और ट्रक पर चीनी लाद कर राजस्थान ले जा रहे थे, उन पर पुलिस ने गोली चलायी ? यदि हां, तो क्या इसका पूर्ण विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

आगरे की पुलिस द्वारा किसी पर ऐसे मामले में गोली नहीं चलाई गयी है।

*३—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह घटना पिछले हफ्ते हुई है और इसका विकराल रूप धारण होने जा रहा है जिससे जनता में अशान्ति है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

हस्तिनापुर का विकास

*१—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर, जिला मेरठ, को बसाने के लिये, जहां सरकार ने २-३ करोड़ रुपये खर्च किया है, क्या प्रयत्न सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

हस्तिनापुर का नगर भारत सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये ३३.१२ लाख रु० खर्च करके बसाया था। नगर के प्रशासन के चलाने के लिये एक टाउन डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित है। शासन की देखरेख के अन्तर्गत बोर्ड ही नगर को बसाने का प्रयत्न कर रहा है। हस्तिनापुर में कुछ छोटे-छोटे उद्योग-धंधे इस समय चल रहे हैं। एक सूत कातने की मील (Spinning mill) भी मदन इंडस्ट्रीज द्वारा लगाई जा रही है तथा दो अन्य फर्मों को गत्ता मिल लगाने के लिये जमीन दी गयी है।

फतेहगढ़ कारागार में अनाज पीसने का टेंडर

*२---श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ द्वारा सन् १९६३ में जो टेन्डर आटा पीसने के लिये मांगे गये थे, उसमें सबसे कम दर का टेंडर किसका था और किस का टेंडर किस आधार पर स्वीकार किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

सबसे कम भाव का टेन्डर श्री मोक्षकान्त, फतेहगढ़ का था परन्तु किसी का भी टेन्डर स्वीकार नहीं किया गया।

श्री दयाराम शाक्य---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम से कम टेन्डर वाले को यह ठेका क्यों नहीं दिया गया और जहां पर आज आटा पीसा जा रहा है वहां पर किस रेट में पीसा जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इस समय जो आटा पीसा जा रहा है वह बाहर की चक्की से पीसा जा रहा है और ५० नये पैसे प्रति मन के हिसाब से पीसा जा रहा है।

श्री दयाराम शाक्य---

श्री मोक्षकान्त का टेंडर किस रेट पर था और जहां पीसा जा रहा है वहां किस रेट पर पीसा जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

श्री मोक्षकान्त का रेट १ रु० १५ नये पैसे पर क्विंटल का था। लेकिन बाद में जो ग्रेन परचेज कमेटी थी उसने यह तय किया कि बाजार भाव से अच्छा आटा पिसाया जाय, इसलिये बाजार से पिसाया जा रहा है।

श्री दयाराम शाक्य---

जबकि जो टेंडर कम से कम आया है वह सस्ता है और जहां से पिसाया जा रहा है वह तेज पड़ रहा है तो क्या कारण है कि तेज भाव पर दूसरी जगह पिसाया जा रहा है जब कि इसकी शिकायत कई बार हो चुकी है कि जो तीसरा व्यक्ति है उसके द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

कमेटी ने यह तय किया कि अच्छा आटा पिसाया जाय जहां से भी वह पिसे और बाजार भाव से चूंकि अच्छा आटा पीसा जाता है और ठेकेदार लोग अच्छा नहीं पीसते थे, उसमें मिलावट करते थे, इसलिये बाजार भाव से अच्छा आटा पिसाया जा रहा है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह खिलवाड़ क्यों किया गया कि टेन्डर मांगे गये और उसके बाद उन पर विचार नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बतला दिया कि टेन्डर हमने मांगा था लेकिन कमेटी ने यह तय किया ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

कमेटी वालों ने यह तय किया कि बाजार भाव से अच्छा पिसेगा, फिर टेन्डर क्यों मांगा ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दे दिया कि ठेकेदार जो आटा पीसते हैं वह अच्छा नहीं पीसते हैं । मंत्री जी कृपया इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

पहले आटा टेन्डर से ही ठेकेदारों के द्वारा पीसा जाता था तो वह अच्छा नहीं आया । इस वजह से कमेटी ने यह तय किया कि बाजार भाव से आटा पिसाया जाय और जो आटा अच्छा पीस कर दें उसी से पिसाया जाय ।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अच्छा आटा पिसा हुआ, कैदियों को खाने को मिले तो इसके लिये वह अपनी चक्की ही जेल में क्यों नहीं लगाते ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

आपके सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जिन महाशय का टेन्डर मंजूर नहीं हुआ वह पहले भी आटा पीस कर देते थे जिससे यह कठिनाई पैदा हुई कि वह अच्छा आटा पीसकर नहीं देते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, उन्होंने पहले आटा पीसा था ।

श्री दयाराम शाक्य--

इस समय जहां पर आटा पीसा जाता है, वह तेज पिसता है और वहां पर जेल के अधिकारी पैसा पैदा करते हैं तथा आटा बचाते हैं, तो इसको सही मानकर मंत्री जी इसकी जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अगर आप कोई विस्तृत सूचना लिखकर मुझे देंगे तो जांच करा लेंगे ।

जिलाधीश, झांसी को पौण्ड कीपर के विरुद्ध शिकायत

*३--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगर-पालिका के किसी पौंडकीपर के विरुद्ध इस आशय की शिकायत जिलाधीश, झांसी को जो दिनांक १ फरवरी, १९६४ को श्री ठाकुर भगवान सिंह झरनागेट, झांसी निवासी द्वारा की गयी कि

उपरोक्त पौंड कीपर लगभग ११ वर्षों से जाली सार्टिफिकेट पेश करके उपरोक्त पद पर कार्य कर रहा है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां । जिलाधीश, झांसी ने उस शिकायत पर नगरपालिका, झांसी से रिपोर्ट मांगी है ।

[३० मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कटेहर क्षेत्र में हैण्ड पाइप

*१---श्री रघुनाथसिंह---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री १० फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन १८ गांवों में हैंडपम्प लगे हैं उनके अतिरिक्त अन्य आवश्यकता वाले गांवों की सूची तैयार की गयी है या की जायेगी ? यदि कुछ गांवों की सूची बनी है, तो वे कौन-कौन गांव हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इस क्षेत्र के ऐसे गांवों की सूची अभी तैयार नहीं की गयी है । सर्वेक्षण के पश्चात् पूरी योजना बन जाने पर गांवों की सूची भी बनायी जायगी ।

*२---श्री रघुनाथसिंह---

क्या मंत्री इस बात को ध्यान में रख कर कि नदी के किनारे के गांवों में जमीन के अन्दर अधिक बालू पड़ने से पानी पीने के कुएं बनवाना बहुत खर्चीला और कभी-कभी असम्भव हो जाता है, सराय, मुहाना, राजापुर, तातेपुर, सिंहावर, रामचन्दीपुर, रामपुर, गोबरहा, मोकलपुर, देवरिया, मिसिरपुरा, सरसबल, धोबही, लूठा, शिवदशा, बरानापुर, मुरीदपुर, गौरा, चन्द्रवती, ढखना, कैथौ आदि गंगा के किनारे के गांवों में और राजबारी, सरैया डुडुहा, लक्ष्मीसेनपुर, टेकुरी, भगवानपुर, धौरहरा, हरिहरपुर, पिपरी, अजगरा, ऊधोरामपुर, बाबतपुर, रजला आदि गोमती नदी के किनारे के गांवों में हैन्ड-पम्प के लिये विशेष व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का कष्ट है सर्वेक्षण कराया जायगा । प्रश्न में उल्लिखित गांवों में यदि पीने के पानी का कष्ट हो तथा यदि हैन्ड पम्प लगाना संभव हो और वहां के निवासी योजना की शर्तें पूरी करने के लिये तैयार हों तो वहां पेयजल योजना कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री रघुनाथसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कब पूरा होगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जैसे-जैसे योजना बनती है वैसे-वैसे सर्वेक्षण शुरू हो रहा है लेकिन माननीय सदस्य का किस जिले से मतलब है उन्होंने यह नहीं बतलाया ।

श्री रघुनाथसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपकी योजना बनेगी तो गांव के निवासियों को किन-किन शर्तों को पूरा करना होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसमें ७५ फीसदी सरकार देगी और २५ फी सदी गांव वालों को देना होगा। पहले आधा गांव वालों को देना था लेकिन वे इतना नहीं कर सके इसलिये इसे घटा कर इस तरह से किया गया। अगर गांव सभा से प्रस्ताव पास हो जाय तो दस फीसदी तक उनको देना होगा। २५ फीसदी जो पहली योजना में है वह नकद दिया जा सकता है या श्रम के रूप में भी दिया जा सकता है।

*३—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अकबरपुर तहसील में सीमेंट का वितरण

*४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के निवासियों को निर्माण-कार्य के लिये सीमेंट नहीं मिल रही है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

तहसील अकबरपुर के निवासियों को निर्माण-कार्य के लिये सीमेंट मिल रही है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री भीखालाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६३ से फरवरी, १९६४ तक तहसीलदार, अकबरपुर के द्वारा कितनी परमिटें सीमेंट की दिलाई गयीं तथा सरकार उन तीस आदमियों का नाम बताने का कष्ट करेगी जिनको उक्त अवधि में सबसे अधिक सीमेंट के परमिट दिये गये?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

तहसीलदार अकबरपुर के द्वारा जनवरी, १९६३ से फरवरी, १९६४ तक १,८३६ सीमेंट की परमिटें दी गयीं। तीस आदमी जिनको उक्त अवधि में सबसे अधिक सीमेंट के परमिट दिये गये उनके नामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९१ पर)।

श्री भीखा लाल—

क्या खाद्य मंत्री जी को शिकायत मिली है कि तहसील अकबरपुर के कुछ लोग जिनकी पहुंच तहसीलदार के पास तक है उनको परमिट मिल जाते हैं और वह सारा सीमेंट ब्लैक में चला जाता है और आम जनता को सीमेंट नहीं मिलती?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसका स्मरण मुझे इस समय नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिनको १० या १५ बोरी का परमिट दिया जाता है उनकी तस्दीक की जा सके कि वह उन्होंने कंज्यूम कर लिया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आशा ऐसी की जाती है कि वे कंज्यूम कर लेंगे। अगर शिकायत होती है तो इसकी जांच की जाती है।

श्री दयाराम शाक्य--

जो सूची मंत्री जी ने दी है उसमें ११, १२ संस्थाओं के नाम हैं और प्रश्न व्यक्तियों के लिये किया गया था, तो क्या मंत्री जी उन ३० व्यक्तियों की सूची देंगे कि जिनको सब से अधिक सीमेंट दी गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

वाराणसी जेल में बलवा

*६--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत १९ फरवरी को वाराणसी जिला जेल में कैदियों के दो गुटों में भयंकर बलवा हो गया जिसे दबाने के लिये जेल अधिकारियों को अत्यधिक बल प्रयोग और लाठी चार्ज करना पड़ा ? क्या जेल मंत्री जी पूरी स्थिति पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

१९ फरवरी, १९६४ को इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई । ९ फरवरी, १९६४ को अलबत्ता जिला जेल, वाराणसी में बंदियों के दो गुटों में झगड़ा हुआ और साधारण मारपीट भी हुई । स्थिति पर काबू पाने व शान्ति स्थापित करने हेतु जेल अधिकारियों को कुछ बल प्रयोग करना पड़ा जिसमें एक-दो सिपाहियों ने अपने डण्डे (Baton) भी प्रयोग किये । कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । वाराणसी जिला जेल में बैरक नं० २ में कैदी रामजतन व हरी अन्य कैदियों के साथ बन्दी थे । लगभग ३ या ४ माह पूर्व कैदी रामजतन की बाल्टी चोरी गई जिसको चुराने का संदेह हरी कैदी पर किया गया। यह बात अन्य बंदियों में फैल गई और उनमें दो पार्टियां हो गईं। ९ फरवरी, १९६४ को खरपट्टू नामक एक कैदी ने श्री उमापति पांडे, सहायक जेलर की घड़ी चुराई, जिसको उसने माना परन्तु आगे कहा कि, उसने उसे हरी कैदी को दे दिया । इस पर खरपट्टू हरी और कल्लू बंदियों को कोठरियों में बन्द कर दिया गया परन्तु बाद में पता चला कि वह घड़ी खरपट्टू की जेब में बैरक नं० ३ में रक्खी है और वहीं से बरामद भी हुई । इस पर खरपट्टू ने फिर बयान दिया कि उसने हरी का नाम झूठे ही बन्दी रामजतन के बहकाने पर लिया था । इस पर हरी और उसके साथियों ने अपमानित महसूस किया और उन्होंने राम जतन को मारा जिससे उसके सिर पर चोट आई । इस पर दोनों गुटों के बंदियों में तसलों से मारपीट होने लगी । तुरन्त अलार्म हुआ और जेल अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये । जब परिस्थिति साधारण तौर पर काबू आती हुई नहीं मालूम पड़ी और कुछ कैदी वार्डरों पर भी हमला करने वाले प्रतीत हुये तो कुछ बल प्रयोग किया गया और इस धर पकड़ में एक-दो सिपाहियों ने अपने डण्डे (Baton) भी प्रयोग किये और फिर स्थिति काबू में आ गई और शान्ति स्थापित हो गई ।

*७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*८--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में होली तक कितनी न्याय पंचायतों में सस्ता गल्ला, चावल व आटा पहुंचाया गया और कितनी न्याय पंचायतों में नहीं पहुंचा है और न पहुंचने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

होली अर्थात् २८ फरवरी, १९६४ तक कुल ४० पंचायत अदालतों के दुकानदारों को गल्ला पहुंचाया गया। शेष दूकानदार गल्ला लेने उपस्थित नहीं हुये। अतः उनको गल्ला नहीं पहुंच पाया।

*९--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)--

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ व विशुनगढ़ के लिये जिन दुकानदारों की नियुक्ति के लिये ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने सिफारिश की थी उन्हें दुकान न देकर दूसरे व्यक्तियों को दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिला ऐडवाइजरी कमेटी ने अपनी ३० दिसम्बर, १९६३ की बैठक में छिबरामऊ में सस्ते गल्ले की चार दुकानें और विशुनगढ़ में एक दुकान खोलने का निश्चय किया था, किन्तु किसी भी दुकानदार की नियुक्ति के लिये सिफारिश नहीं की थी अतः कमेटी की सिफारिश को न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१०--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)--

अगर यह सही है, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में जानकारी करके यह बतायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह प्रश्न नहीं उठता।

*११-१३--श्री बंकटासिंह (जिला खीरी) तथा श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)--

[हटा दिये गये।]

निशानगाड़ा प्लाण्टेशन में अग्निकांड

*१४--श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच) तथा श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच)--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ५०,००० दरख्त साखू, सागौन, शीशम, खैर तथा शहतूत के निशानगाड़ा जंगल, जिला बहराइच में २३ फरवरी, १९६४ को आग लग जाने के कारण जल कर राख हो गये, जिससे वन विभाग को करीब ५ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और जिसमें हजारों बन्दर, चिड़ियां तथा २ शेर जलकर मर गये, जैसा कि २९ फरवरी, १९६४ के नेशनल हेरल्ड पत्र में प्रकाशित हुआ है ? यदि हां, तो इस आग का कारण क्या था ?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

निशान गाड़ा के प्लांटेशन में २३ फरवरी, १९६४ को अकस्मात आग अवश्य लग गई परन्तु यह सत्य नहीं है कि इसके फलस्वरूप ५०,००० दरख्त साखू, सागौन, शीशम, खैर और शहतूत के जलकर राख हो गये जिससे सरकार को ५ करोड़ का नुकसान हुआ तथा हजारों बन्दर, चिड़ियां तथा दो शेर मर गये जैसा कि २९ फरवरी, १९६४ के नेशनल हेरल्ड पत्र में प्रकाशित हुआ है।

आग लगने का कारण यह था कि प्लांटेशन से करीब २५ गज की दूरी पर एक छोटा घास का टुकड़ा था। फायर वाचर दुलारे ने गस्त करते वक्त यह महसूस किया कि यह टुकड़ा आग से बचाव के लिये खतरनाक है इसलिये उसने इसको काबू में रखते हुए जलाने का निश्चय

किया। control burning और उसके साथ दो फायर वाचर होने पर भी तेज हवा के कारण जलते हुये घास के टुकड़े उड़ कर प्लांटेशन में पहुंच गये और आग फैल गई।

इस प्लांटेशन में साखू के पौधे नहीं लगाये गये थे। अन्य पौधे बहुत छोटे थे जो दरख्त कहलाने के काबिल नहीं हैं।

इस आग से प्लांटेशन को कोई स्थायी क्षति नहीं पहुंची है। आग से छोटे-छोटे पौधे झुलस अवश्य गये परन्तु मरे नहीं हैं। कापिश करने पर सब जड़ों से कल्ले फूटेंगे और आगामी वर्षा तक यह प्लांटेशन फिर पहले की तरह हरा भरा हो जायगा और उसकी आगे की बढ़त पर इस आग का कोई असर नहीं रह जायगा।

प्लांटेशन के अन्दर बहुत अच्छी तरह निरीक्षण करने पर भी किसी बन्दर, चिड़िया या शेर का कोई जला हुआ शव नहीं मिला।

श्री जगदीशप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि आग कब लगी और कितने घंटे तक लगी रही और कब खत्म हुई? क्या जो दरख्त जल गये उनमें १५ फीट से ऊपर के भी हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

२३ फरवरी, १९६४ को करीब १० बजे सुबह आग लगी, रेंज आफिसर को टेलीफोन पर खबर की गयी और वह कुछ अधिकारियों सहित पहुंचे और ५०० गांव के आदमी भी गये और शाम तक आग पर काबू पा लिया गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आग बुझाने के लिये फारेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई यंत्र या फायर ब्रिगेड है जिसको इस्तेमाल किया गया? अगर नहीं तो कहीं से मंगाया गया या नहीं, क्योंकि ५ करोड़ रुपये का धन बरबाद हुआ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

जंगलात को आग से बचाने के लिये कोई फायर-ब्रिगेड नहीं होता है और संसार भर में नहीं होता है और न उसका प्रबंध हो सकता है। सिर्फ फायर लाइन्स होती हैं--५० फीट या २५ फीट चौड़ी लाइन चारों तरफ जंगल के बना दी जाती है, प्लांटेशन के बाहर और उसके अन्दर भी थोड़े-थोड़े फासले पर ताकि अगर आग लगे तो एक ही हिस्से का जंगल जले, बाकी का नहीं।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

पौधे अगर छोटे थे तो यह प्लांटेशन किस सन् का लगा हुआ है?

श्री चरणसिंह--

१९५५ से १९६१ तक लगता रहा। पौधे छोटे इसलिये थे क्योंकि यह ६० वर्ष में बड़े होते हैं।

श्री रामचरण शाह--

अगर प्लांटेशन १९५५ से १९६१ तक लगते रहे तो ८ साल के तो हो ही गये थे, फिर भी नुकसान बताया गया कि नहीं हुआ है, तो कैसे माना जायगा जबकि १५ साल में पूरा बन तैयार हो जाता है तो क्यों नहीं उन पौधों के नुकसान को कूता गया? ऐसी कौन-सी नीति रही है?

श्री चरणसिंह--

पौधे ६० साल में मेच्योर होंगे, तभी बड़े माने जायेंगे, १५ साल में नहीं, जैसा कि ख्याल है। तो जब बन ६० साल में तैयार होता है तो पौधे ८-१० साल में छोटे बच्चे और कम उम्र के माने जायेंगे। तो जो पौधे झुलस गये, क्योंकि ४०० एकड़ के एरिया को छोड़कर करीब सब झुलस गये, लेकिन उनकी जड़ें नहीं नष्ट हुई हैं, इसलिए अगली वर्षा तक सब में कल्ले फूट आयेंगे, यह विशेषज्ञों का कहना है।

गोंडा जिले में खाद्यान्नों की व्यवस्था

*१५--श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या यह सत्य है कि होली के पर्व पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं एवं आटा न होने के कारण गोंडा जिला की जनता में असन्तोष हुआ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति के लिये सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह सत्य है कि होली के पर्व पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं की कमी थी, लेकिन उसके बदले में ६५६ बोरे आटे के वितरण की व्यवस्था कर दी गई थी। चूंकि उस समय खुले बाजार में गेहूं, चावल तथा अन्य मोटे अनाज उपलब्ध थे, अतः जनता में कोई असन्तोष उत्पन्न नहीं हुआ। वर्तमान समय में गेहूं और चावल पर्याप्त मात्रा में सरकारी गोदामों में उपलब्ध है, साथ ही साथ आटा मिलों से आटे के वितरण की भी व्यवस्था कर दी गई है।

*१६--श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित) तथा सरदार बलदेवसिंह (अनुपस्थित)--

क्या यह भी सरकार व्यवस्था करेगी कि राशन में चना, मटर, ज्वार एवं मकई आदि मोटे अनाजों की भी व्यवस्था है? यदि हां, तो वह कब तक पहुंच जायेगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चूंकि चना, मटर, ज्वार एवं मकई आदि मोटे अनाजों की सरकारी खरीद नहीं हो रही है, अतः इस समय उनके वितरण की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

*१७--श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

सलोन परगने का बड़ना तालाब

*१८--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली तहसील व परगना सलोन, ग्राम रोहनिया मुडवा में बड़ना तालाब को ग्राम पंचायतों से लेकर सरकार ने क्या वन विभाग को दे दिया है? यदि हां, तो क्या वन विभाग उसमें मछली पालेगा?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

बड़ना तालाब राजस्व विभाग नोटिफिकेशन सं० १८०५/१-क, दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ द्वारा पुनर्ग्रहित कर लिया गया है परन्तु जिलाधीश, रायबरेली ने अभी तक इसे वन विभाग को नहीं दिया है। मिलने के पश्चात् वन विभाग का इस तालाब में मछली पालने का कोई इरादा नहीं है।

*१९—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बतायेगी कि उसके पानी से जो सिंचाई अभी तक होती रही है क्या वह उसी प्रकार होती रहेगी तथा और क्या गांव के पशु उस तालाब का इस्तेमाल आज की भांति करते रहेंगे ? यदि नहीं, तो फिर सरकार खेती की सिंचाई और पशुओं के चरने का क्या बन्दोबस्त कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस तालाब द्वारा जो कुछ सिंचाई होती है वह इसी प्रकार होती रहेगी और ग्राम के पशु भी अभी की भांति तालाब का प्रयोग करते रहेंगे । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

*२०—श्री रतीपाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि उक्त तालाब में भारी मात्रा में चिड़ियां रहती हैं और दूर-दूर से लोग शिकार करने आते हैं तथा चिड़ियों के शिकार पर दो बड़े अफसरों का झगड़ा हो जाने पर ही उन वन विभाग के अफसरों ने उक्त तालाब पर कब्जा करने के विचार से उसे वन विभाग के अन्तर्गत लेने का सरकार से अनुरोध किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह सच है कि इस तालाब में जाड़े के दिनों में भारी मात्रा में चिड़ियां रहती हैं तथा लोग इन चिड़ियों का शिकार करने आते हैं । विभागीय कागजातों से यह पता नहीं चलता है कि कभी कि हीं दो बड़े आफिसरों का चिड़ियों के शिकारी के विषय में झगड़ा हुआ । वन विभाग का विचार इस तालाब में एक पक्षी विहार (Bird sanctuary) बनाने का है ।

श्री रतीपाल—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस तालाब में मार्च और अप्रैल में धान बोया जाता है उसको वन विभाग ने अब तक रोक रखा है, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि किसानों को वहां अपनी फसल बोने दी जाय ?

श्री चरणसिंह—

अभी तक तो यह झील वन विभाग के कब्जे में आई ही नहीं है, इसलिये वन विभाग के रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रतीपाल—

श्रीमन्, दिसम्बर, सन् ६२ में ईस्टर्न कमांड के एक बड़े आफिसर, आई० जी० तथा वन विभाग के सब से बड़े अधिकारी वगैरह वहां शिकार खेलने गये थे । वहां पर वन विभाग के अधिकारी तथा ईस्टर्न कमांड के आफिसर में कुछ झगड़ा हो गया और तब से किसानों को हानि पहुंचाने के लिये वन विभाग ने जबरदस्ती उसको अपने कब्जे में कर लिया है और वहां किसानों को फसल बोने से रोक रखा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री चरणसिंह—

जैसा मैंने शुरू में बतलाया, हमारे रिकार्ड में इस तरह की कोई खबर नहीं है । अब माननीय मित्र ने इस तरह की बात बतलायी है तो हम इसे मालूम कर लेंगे । वैसे यह झील ३ कामों में आती है—इसमें लोग अपने मवेशियों को पानी पिलाते हैं, गांव समाज को मछलियों से भी कुछ आय होती है तथा सिंचाई भी इससे होती है । इसमें कोई हस्तक्षेप करने का हमारा इरादा नहीं है ।

श्री उग्रसेन--

जब वन विभाग के पास वह चीज नहीं है तो वन विभाग ने किसानों को अपनी फसल क्यों नहीं बोने दिया और इसके लिये क्या वन विभाग के उन लोगों के खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

वह तो आपका कहना है, मैं कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है। लिहाजा कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री पितईराम (जिला रायबरेली)--

इस बारे में वहां की गांव समाज का कोई शिकायती पत्र क्या सरकार को मिला है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

शुरू में जब इस तालाब को लेने की बात चली तो उस समय गांव वालों ने एतराज किया था, लेकिन कोई उसके बाद प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वह बात तो मान ली गयी थी।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि गांव समाज से संबंधित लोग इस तालाब में बोरों धान की खेती करते थे ? यदि हां, तो उनको क्यों रोका जारहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी ने दे दिया। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी तक वन विभाग के पास यह तालाब नहीं आया है।

श्री राममूर्ति 'अंचल'--

क्या मन्त्री जी उसके जल के निकास की व्यवस्था करेंगे और उसे सुव्यवस्थित रूप में रखेंगे या सिंचाई की इजाजत देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जितना जल इसमें मिलता है वह तो मिलता ही रहेगा। बाकी जल जो उस तालाब में रहता है वह चिड़ियों और पशुओं के काम आवेगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या यह सत्य है कि प्रार्थना-पत्र में कहा गया था कि यह तालाब वन विभाग को न दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

अभी तो वन विभाग को दिया ही नहीं गया है।

श्री उग्रसेन--

सरकार उस तालाब को पक्षी विहार क्यों बनाना चाहती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उस तालाब के निकट चिड़ियायें बहुत बड़ी मात्रा में रहती हैं।

*२१--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल--

[हटा दिया गया।]

मुजफ्फरनगर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*२२—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें कहां-कहां हैं और पिछले तीन महीनों से कितना गल्ला उन दूकानों से तकसीम किया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिला मुजफ्फरनगर में कुल २१० सस्ते गल्ले की दूकानें हैं जिनका ब्योरा माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी सूची में अंकित है। पिछले तीन महीनों में इन दूकानों द्वारा ३१,७३८ क्वीन्टल गल्ला (गेहूं) बांटा गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९२–६९४ पर)

*२३—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में कुल कितने पंचायती केन्द्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी गई हैं और कितनों में नहीं और जहां पर नहीं खुली हैं वहां न खोलने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिला मुजफ्फरनगर में कुल ११५ न्याय पंचायतें हैं जिनमें से १०२ न्याय पंचायतों में दूकानें खुल गई हैं शेष १३ न्याय पंचायतों में उचित दुकानदारों के न मिलने के कारण अभी तक दूकानें नहीं खुली हैं।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी कलेक्टर को या सप्लाई अफसर को आज्ञा देंगे कि १३ बाकी न्याय पंचायतों में भी गल्ले की दुकानें खोल दी जावें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आदेश पहले ही हैं। वहां की जिला खाद्य समिति इसके लिये जोर दे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्री जी उन दूकानों से सूजी और मैदा देने का भी प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, उनके द्वारा दिया ही जाता है।

जिला कृषि अधिकारियों का चुनाव

*२४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ व १९५८ में कितने जिला कृषि अधिकारियों का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ था और जो रिजर्व लिस्ट बनी थी क्या उसकी एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, सन् १९५७–५८ में जिला कृषि अधिकारी तथा जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के ३४ पदों के लिये चुनाव किया गया था। रिजर्व लिस्ट के लिये आयोग ने ५ नाम संस्तुत किये थे। इन नामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९५ पर)

*२५—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जिला कृषि अधिकारी १९५७ व ५८ की रिजर्व लिस्ट में थे और जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं उनको ले लेने के बाद पुनः सन् १९६३ के चुनाव की लिस्ट भी सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सन् १९५७–५८ के चुनाव के समय आयोग ने जो रिजर्व लिस्ट भेजी थी उसमें से आवश्यकता न होने के कारण किसी को भी जिला कृषि अधिकारी/जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। अतः दूसरे चुनाव होने पर पहली वाली रिजर्व लिस्ट का कोई महत्व नहीं रह गया।

श्री ऊदल—

इस सूची के ५वें नम्बर के सज्जन को मैं जानता हूं। वह रिजर्व लिस्ट बनने से पहले से ही जिला कृषि अधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं, तो २५ के उत्तर में कैसे कह दिया कि कोई काम नहीं करता था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिस पद के लिये आयोग ने यह चुनाव किया उस पर वह नियुक्त नहीं किये गये। वैसे विभाग में आफीशियेट कर रहे हों, यह दूसरी बात है।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इसकी पुनः जांच कराने की कृपा करेगी ताकि लिस्ट सुधारी जा सके ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

आयोग ने उस व्यक्ति को स्वीकृत नहीं किया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

रिजर्व लिस्ट का आधार क्या यह भी है कि जिनका फार्म प्राफिट पर चल रहा हो ? प्रान्त में कितने फार्म प्राफिट पर चल रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

रिजर्व लिस्ट के उम्मीदवारों को अगर १ साल के भीतर कोई जगह खाली होती है तो उस पर नियुक्त किया जाता है।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि आज भी ८, १० पोस्ट एग्रीकल्चर अफसरों की रिक्त हैं और वे भरी नहीं गई हैं ?

श्री चरणसिंह—

हो सकता है कि ऐसी जगहों पर आयोग से न स्वीकृत हुए लोग काम कर रहे हों, लेकिन स्वीकृति के क्रम से नियुक्तियां की जाती हैं।

फर्रुखाबाद जिले में भूमि संरक्षण कार्य

*२६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कौन-कौन से स्थान भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं तथा कहां कितना धन अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदाबाद, कमालगंज, कन्नौज और बढ़पुर विकास खंडों में भूमि संरक्षण कार्य हो रहा है। इन क्षेत्रों पर अब तक ९७, ७०४ रु० व्यय हो चुका है।

श्री दयाराम शाक्य—

यह खर्चा सर्वेक्षण में हुआ या निर्माण-कार्य में हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

तकावी, सर्वेक्षण और कर्मचारियों के वेतन पर हुआ है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि सर्वेक्षण के बाद कोई कार्य नहीं हुआ है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सर्वेक्षण होकर सितम्बर, ६३ से कार्य आरम्भ किया गया है।

*२७-२८—श्री भीखालाल—

[८वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ७१-७२ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

*२९—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया।]

खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतें रोकने का प्रयास

*३०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कीमतों के बढ़ोत्तरी को रोकने हेतु सरकार ने मोटे-मोटे कौन-कौन से कदम उठाये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भावों को रोकने के लिये मुख्यतः निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) राज्य में सस्ते गल्ले की दूकानें बढ़ाई गई हैं। अक्तूबर, १९६३ में ४,६२३ दूकानें थीं जो बढ़ कर ९,७१२ हो गई हैं।

(२) वितरण हेतु गेहूं, चावल तथा आटा अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया गया है।

(३) गेहूं के बने पदार्थों के भाव निर्धारित कर दिये गये हैं।

(४) प्रत्येक जिले में खाद्यान्न, चीनी तथा अन्य नियन्त्रित वस्तुओं के सुचारु रूप से वितरण की व्यवस्था में परामर्श देने के लिये "जिला खाद्य सलाहकार समिति" का गठन किया गया है।

(५) एक नये खाद्यान्न लाइसेन्सिग आर्डर, २९ फरवरी, १९६४ को जारी किया गया है जिसके अनुसार राज्य के सभी थोक व फुटकर खाद्यान्न व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि वे खाद्यान्नों के खरीद व बिक्री का सही-सही हिसाब रखें, निर्धारित जमानत जमा करें, व्यापार व गोदामों के स्थान को घोषित करें तथा दूकानों पर भावों की लिस्ट को टांगें।

(६) इस राज्य को २३ मार्च, १९६४ से एक अलग गेहूं क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के आयात व निर्यात पर प्रतिबन्ध हो गया है। चावल, धान तथा उसके पदार्थों के आयात व निर्यात पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(७) शादी-ब्याह तथा अंत्येष्टि क्रिया आदि मौकों पर ५० से अधिक मेहमानों को दावत देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(८) खाद्यान्नों के अग्रिम व्यापार पर पहले से ही रोक लगी हुई है।

*३१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें Price Stabilisation Board के गठनहेतु क्या कठिनाइयां पड़ रही हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

प्राइस स्टेबिलाइजेशन बोर्ड का गठन अखिल भारतीय महत्व का विषय है। इसलिये इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी का केन्द्रीय सरकार से इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है कि गेहूं का क्षेत्र घोषित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का गेहूं नेपाल व तिब्बत में चोरी से जा रहा है? उसको रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं जिससे गेहूं प्रदेश के बाहर न जा सके?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह प्रतिबन्ध स्वतः सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, हमने नहीं लगाया। जहां तक स्मगलिंग का ताल्लुक है, उसको रोकने का प्रयत्न किया जाता है, चेकिंग की जाती है, पुलिस भी लगा रखी है, बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि उनके लाइसेंस लगाने का गल्ला व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वे गल्ला व्यापार को बन्द करने की बात सोच रहे हैं? ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जब बाहर दूकानों पर कोई गल्ला न बिकेगा; क्योंकि लाइसेंस के लिये बड़ी-बड़ी रकमें देनी पड़ती हैं। क्या मन्त्री जी उस रकम को कम करने और उसके लिये और कोई सरल उपाय निकालने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह कोई नई बात नहीं है। यह तो पिछले साल से ही जारी है। एक साल तो उसको हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि नेपाल, काठमांडू और तिब्बत को उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य व्यापारी १२० रुपया मन चावल बेचते हैं और वह चावल बस्ती जिले में नौगांव तथा गोरखपुर में नौतनवा से जाता है, इसको रोकने का सरकार ने क्या उपाय किया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अपनी ओर से तो सब प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि न जाय, लेकिन कानून के होते हुए भी जिस प्रकार से डकैती और चोरी आदि हो ही जाती हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

अन्तरदेशीय स्मगलर्स के माध्यम से सीमावर्ती जिलों में हालर लगाने की चेष्टा की जा रही है और उसी से चावल कूट कर तिब्बत व नैपाल को भेजा जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि हालर के लिये लाइसेंस व परमिट देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और क्या यह बात सही है कि सारी रोक होने के बावजूद भी तिब्बत व नैपाल को चावल की स्मगलिंग हो रही है और फिर भी तेजी से हालर लगाने के लाइसेंस दिये जा रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बात नहीं है। हमने काफी सख्ती कर रखी है, बहुत कम दे रहे हैं।

श्री रामायणराय—

हालर चावल कूटने की मशीन है। इसके लिये नैनीताल व गोरखपुर के कुछ हिस्से से बराबर खाद्य मन्त्री के पास व्यापारियों के आवेदन-पत्र आ रहे हैं और इसमें उद्योग विभाग के लोग भी प्रयत्नशील हैं और निरन्तर इनके लाइसेंस दे रहे हैं और उनके माध्यम से चावल का यह अन्तरदेशीय व्यापार चल रहा है, तो इसको रुकवाने के लिये माननीय मन्त्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हालर के तो लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, सेलर के दे रहे हैं और वह भी हैण्ड पाउण्डिग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ जहां काम करती हैं वहां वह भी नहीं दे रहे हैं और स्ट्रिक्टली उसको रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि जो चावल आगरे से स्मगिल किया जा रहा है वह उस एक व्यक्ति के जरिये, जिसको आपके अधिकारीगण ने एक्सपोर्ट का लाइसेंस दिया है और पिछले दो सालों में उस व्यक्ति ने कम से कम ५०० लाइसेंस लिये हैं जिससे प्रति ट्रक उसे निजी तौर पर ५,८०० रुपये मिले और इस तरह से सब की कांसपिरेसी से यह स्मगलिंग का काम हो रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मुझे मालूम है गत वर्ष जो चावल खराब हो गया था उसको एक्सपोर्ट करने के लिये किसी एसोसियेशन को कुछ लाइसेंस दिया गया था और हो सकता है कि रेट १०–१५ रुपया क्विंटल ज्यादा बढ़ कर हो गया हो।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी तिब्बत और नैपाल में जो १३० रुपये मन पर चावल का व्यापार कर रहे हैं, उसको रुकवाने के लिये वे क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

प्राइस स्टेबिलाइज करने के लिये प्रान्तीय सरकार का कोई पत्र-व्यवहार सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हुआ है ताकि सारी चीजों के दाम में एक यूनिफार्मिटी लायी जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह प्रश्न पहले सन् १९६० में २ तारीख को, जबकि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे, उठा था और उस दिन एक बड़ी भारी मीटिंग हुई थी जिसमें बड़े-बड़े अर्थशास्त्री और विचारशील लोग इकट्ठा हुए थे और यहां से हमने दो सिफारिशें सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजी थीं। उनमें एक तो है—

(1) the creation of Price Stabilisation Fund with a view to making sufficient resources available in time of need without dislocating the other planned items, and

(2) setting up a Price Stabilisation machinery both at the Centre and in the States which should keep a careful watch over the price position and recommend necessary measures from time to time for maintaining the equilibrium.

फर्रुखाबाद जिले में कृषि फार्म

*३२—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे कृषि फार्मों पर सरकार का १९६२, ६३ यानी दो वर्षों में प्रत्येक फार्म पर कितना-कितना खर्च हुआ और इन्हीं वर्षों की आमदनी का क्या हिसाब है ?

श्री चरणसिंह—

जिला फर्रुखाबाद में कुल तीन सरकारी कृषि फार्म हैं। इनमें दो अनुसंधान एवं एक बीज संवर्द्धन फार्म हैं। आय-व्यय का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६९६ पर)

पशुपालन विभाग में टीका योजना की समाप्ति

*३३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग द्वारा संचालित मास एनाकुलेशन योजना को कब समाप्त किया जा रहा है और उस कार्य से मुक्त ३५० स्टाकमैनों को सरकार कहां रख रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस विभाग द्वारा संचालित सामूहिक टीके का कार्यक्रम 'पोकनी नियन्त्रण तथा उन्मूलन योजना' का अंग है, जिसे ३१ मार्च, १९६४ से समाप्त किया जा रहा है। इस योजना में ३२५ पशुसेवक (स्टाकमैन) सेवायोजित हैं, जिन्हें विभाग की अन्य योजनाओं तथा नियोजन विभाग के अन्तर्गत विकास खंडों में रखा जा रहा है ?

*३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री विजयसिंह—

क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि उक्त ३५० स्टाकमैनों को उनके अपने जिलों में या उनसे लगे हुए जिलों में रखेंगे ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त योजना की समाप्ति से कितने चपरासी तथा अन्य कर्मचारी बेकार हो गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उक्त योजना से मुक्त स्टाकमैनों को उनके अपने जिलों के पास के जिलों में नियुक्त करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

इस योजना की समाप्ति से २३ चपरासियों तथा ४१ अन्य कर्मचारियों की सेवायें समाप्त हो जायेंगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन २३ चपरासियों तथा इन ४१ अन्य कर्मचारियों को भी कृषि विभाग में काम दिलाने की वह कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस सम्बन्ध में विभाग के उपनिदेशकों से प्रार्थना की जा रही है कि वे भविष्य में इस विभाग की अन्य योजनाओं में जो स्थान रिक्त हों उन में इन बेकार कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाय।

हलवाइयों को शक्कर का कोटा

*३५—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति और चोरबाजारी को कम करने की दृष्टि से हलवाइयों को शक्कर की जगह खाण्डसारी देने व इस प्रकार बची हुई शक्कर को शहर व देहात की जनता को देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

*३६—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने इस राज्य में प्रतिमास के लिये कितनी शक्कर का कोटा हलवाइयों के लिये व कितनी शहरी जनता व कितनी देहाती जनता के लिये निश्चित कर रखा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना निम्न प्रकार है :—

(१) नागरिक जनता को राज्य के कोटे का ५० प्रतिशत,

(२) राज्य के कोटे का लगभग २० प्रतिशत बड़े उपभोक्ताओं को, जिसमें हलवाई शामिल हैं,

(३) पांच प्रतिशत चीनी स्पेशल परमिटों के हेतु सुरक्षित की जाती है,

(४) २५ से ३० प्रतिशत देहातों की जनता को।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हलवाइयों को खन्डसारी शकर देने और शकर का कोटा देहात की जनता को भी देने का जो मामला सरकार के विचाराधीन है वह कब से विचाराधीन है और कब तक उस पर विचार जारी रहेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब तक खांडसारी वालों को हमारी शर्त के मुताबिक वह मनवा न लेंगे।

नोट—तारांकित प्रश्न ३६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कृषि अधिकारियों का चुनाव

*३७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६३ में लोक सेवा आयोग से कितने व्यक्ति जिला कृषि अधिकारी एवं फार्म मैनेजमेंट अधिकारी के पद पर चुने गये थे और क्या चुने हुए लोगों की नियुक्तियां क्रम से हुई हैं ?

श्री चरणसिंह—

इस चुनाव में आयोग ने अप्रैल, १९६३ में १७ नाम जिला कृषि अधिकारी के पद के लिये तथा ५ नाम फार्म मैनेजमेंट अधिकारी के पद के लिये अलग-अलग संस्तुत किये थे।

जिला कृषि अधिकारी के पद के लिये संस्तुत किये गये १७ अभ्यर्थियों की नियुक्तियां, जैसे-जैसे उनके चरित्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट आती गई, की जाती रही। इससे उनकी ज्येष्ठता में कोई अन्तर नहीं हुआ और जिस क्रम में आयोग ने उनके नाम संस्तुत किये थे, वही ज्येष्ठता का क्रम बना रहेगा।

जो ५ नाम फार्म मैनेजमेंट अधिकारी के पद के लिये अलग संस्तुत किये थे उनके बारे में कुछ कारणवश आयोग से पुनः पत्र-व्यवहार करना पड़ा। आयोग का अन्तिम उत्तर प्राप्त हो गया है और इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी हो गये हैं।

*३८—श्री उमाशंकर—

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि चुने हुए व्यक्तियों की लिस्ट में आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है और लिस्ट के अन्तिम व्यक्ति की नियुक्ति हो गयी है ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

उझयानी में गन्ना बीज पर कर

*३९—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की उझयानी नगरपालिका में कृषि अधिकारी की तसदीक के बाद भी ऐग्रीकल्चर गन्ने के बीज पर टैक्स ले लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगरपालिका, उझयानी ने यह सूचित किया है कि कृषि अधिकारी एवं अन्य सरकारी अधिकारी, जो सामान्यतया गजेटड हों, का प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर गन्ने अथवा उसके बीज पर कोई टोल टेक्स नहीं लिया जाता है।

आजमगढ़ जिले में चोर बाजारी

*४०—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान वाराणसी से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "आज" में ६ फरवरी, १९६४ में प्रकाशित आजमगढ़ के जिलाधीश के उस प्रेस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने पत्रकारों द्वारा लगाये गये इस आरोप को कि जिला की सस्ती गल्ले की दूकानों में चोरबाजारी और भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा जिले में जो रुपये का डेढ़ सेर मटर तथा अरहर की दाल, बारह छटांक मिल रही है इसको जिलाधीश ने यह कहा कि उन्होंने परगना हाकिम से जांच करायी, तो उपरोक्त बातें सत्य पायी गयीं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिलाधीश ने अपनी प्रेस वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिले की सभी सस्ते गल्ले की दूकानों में चोर बाजारी और भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। जब प्रेस प्रतिनिधियों ने जिलाधीश का ध्यान इस ओर दिलाया कि कहीं कहीं सस्ते गल्ले की दूकानों से चोरबाजारी की शिकायत आ रही है, तो जिलाधीश ने कहा कि उनके पास भी कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जिनकी जांच वह शीघ्र करवाने जा रहे हैं। मटर या अरहर की दाल के भाव के विषय में प्रेस कांफ्रेंस में कोई बात नहीं आई। दूकानों की जांच परगनाधीश व अन्य अधिकारियों से कराई गई। जिन दूकानों के विरुद्ध शिकायत मिली वे कैंसिल कर दी गई हैं और कुछ के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

*४१--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों के अन्दर आजमगढ़ जिला में सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें कैंसिल की गयी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था की शिकायत थी, उनका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६९७ पर)

*४२--श्री चन्द्रजीत यादव--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

श्री विक्रमसिंह द्वारा नगरपालिका मुगलसराय के अध्यक्ष पर आरोप

*४४--श्री नेकराम शर्मा, श्री ऊदल तथा श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बतायेगी कि ६ नवम्बर, १९६३ को और इससे भी पूर्व श्री विक्रमसिंह ने एक प्रार्थना-पत्र स्वायत्त शासन मंत्री, उत्तर प्रदेश को दिया है जिसमें नगरपालिका, मुगलसराय के चेयरमैन के खिलाफ २३ चार्ज लगाये गये हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। श्री विक्रमसिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक ३० अक्तूबर, १९६३, जिसमें नगरपालिका, मुगलसराय के अध्यक्ष के विरुद्ध लगभग २३ आरोप लगाये गये हैं, शासन को प्राप्त हुआ है। उस पर जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।

*४५-४७--श्री विजयसिंह--

[८वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ७३-७५ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

श्री आर० एन० मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें

*४८--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में श्री आर० एन० मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध भूतपूर्व मंत्री श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मन्डल उनसे मिला तथा सभी राजनैतिक पार्टियों के भी प्रतिनिधि उनसे मिले एवं अनेक शिकायती आरोप पत्र उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध उनके पास आये हैं? यदि हां, तो अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, चीनी का कोटा बांटने संबंधी तथा निजी परमिटों पर अधिक चीनी दिए जाने व अशिष्ट व्यवहार के संबंध में कुछ जबानी बातें कही थीं। अब चीनी के बड़े-बड़े उपभोक्ताओं का कोटा निश्चित कर दिया गया है तथा निजी परमिटों पर ५ किलो को अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है। जहां तक अशिष्ट व्यवहार का प्रश्न है उसके लिये जिला पूर्ति अधिकारी को बुलाकर पूछा गया। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार अशिष्ट किसी के साथ नहीं रहता, हां बाज वक्त अधिक भीड़ हो जाने पर जोर से बोल गया हूंगा। उनसे कह दिया गया है कि भविष्य में सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करें।

दरियाबाद टाउन एरिया सदस्यों पर सी० पी० टैक्स का बकाया

*४९--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

प्रश्न संख्या ११ व १२ दिनांक २४ फरवरी, १९६४ के उत्तर के संबंध में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दरियाबाद टाउन एरिया, जिला बाराबंकी के चेयरमैन व सदस्यों पर सी० पी० टैक्स, १९६३-६४ के पहले नहीं बंधा था? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी नहीं। टाउन एरिया कमेटी की शिथिलता के कारण ऐसा हुआ।

*५०--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या टाउन एरिया मैनुअल की धारा ७ के अनुसार बकाया टैक्स रहने पर चैयरमैन या मेम्बर डिसक्वालीफाई हो जाता है? ऐसा क्यों नहीं किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ७-ए के अधीन नियत प्राधिकारी किसी ऐसे चेयरमैन या सदस्य को, जिस पर एक साल से अधिक का कर बकाया हो, हटा सकता है। परन्तु दरियाबाद टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन व सदस्यों पर क्योंकि कोई कर नहीं लगाया गया था, न बाकी था, अतः इस धारा के अधीन कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मुहम्मदाबाद गोहना में अवैध खाद्यान्नों की बरामदगी

*५१--श्री सुरजनराम विशारद--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ मार्च, सन् १९६४ को कस्बा मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत श्री श्यामलाल तथा श्री मूलचन्द फर्म से ४३ बोरे चीनी, २०० बोरे चावल सप्लाई विभाग, आजमगढ़ से बरामद किया है? यदि हां, तो वह सामान कहां कहां से और किस प्रकार मंगाया गया था? क्या खाद्य मंत्री जी अन्य गोदामों से भी इस तरह से बरामद करवाने की कृपा करेंगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

दिनांक ३ मार्च, १९६४ को कस्बा मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ में जिला पूर्ति अधिकारी ने श्री श्यामलाल की दूकान एवं गोदाम से २०० बोरा चावल तथा ४६ बोरा मैदा तथा श्री मूलचन्द के गोदाम से ४२ बोरा व एक कट्टा चीनी बरामद किया। यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह सामान कहां से मंगाया गया।

अवैधानिक ढंग से गोदामों में इकट्ठा किये गये गल्ला एवं चीनी के बरामद के संबंध में उचित आदेश जारी किये जा चुके हैं।

लखनऊ में गन्दी बस्ती योजना

*५२—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका को हाल में गन्दी बस्ती योजना के अन्तर्गत परिगणित वर्ग के परिवारों के मकान लेने और उन्हें पुनः बनवाने के लिये केंद्रीय व राज्य सरकार से जो रुपये मिले हैं वह कितनी रकम है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गन्दी बस्ती योजना के अन्तर्गत केवल परिगणित वर्ग के परिवारों के मकान लेने और उन्हें पुनः बनवाने के लिये केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा नगर महापालिका, लखनऊ को अभी हाल में अथवा पहले कोई रकम नहीं दी गई है ।

*५३—श्री श्यामलाल—

गन्दी बस्ती योजना के अन्तर्गत नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा जो हरिजन परिवार उजाड़े जा रहे हैं उन परिवारों के बसाने की व्यवस्था क्या है और भवन बन जाने के बाद Development Scheme के अन्तर्गत क्या उन सभी हरिजन परिवारों को ही मुफ्त में वह सभी मकान दे दिये जाने की सरकार की व्यवस्था है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस समय गन्दी बस्ती योजना के अन्तर्गत नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कोई हरिजन परिवार नहीं उजाड़े जा रहे हैं अतः उन्हें बसाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*५४—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सोरों नगरपालिका

*५५—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोरों, जिला एटा नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अतिशोचनीय अवस्था में होने के कारण उसे भंग करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो कितने समय का अवसर नये चुनाव के पश्चात् देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । चुनाव के पश्चात् नई नगरपालिका की कार्य-कुशलता पर निर्भर होगा : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी में खाद्यान्न व ईंधन

१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या खाद्य मंत्री यह बतायेंगे कि झांसी में राशनिंग व सापट कोल, शक्कर तथा सीमेंट की कितनी-कितनी दूकानें १ जनवरी, १९६३ से १ फरवरी, १९६४ तक थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना निम्नलिखित है :

		१ जनवरी, १९६३ को दूकानों की संख्या	१ फरवरी, १९६४ को दूकानों की संख्या
१—राशनिंग की दूकाने	..	२७	८५
२—साफ्ट कोल	..	७	७
३—शक्कर थोक	..	शक्कर पर	२९
फुटकर	..	कंट्रोल नहीं था।	२११
४—सीमेंट	..	३९	३९

२–३—श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४–६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

यू० पी० जेल डिपो की आडिट रिपोर्ट*

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० जेल डिपो की आडिट रिपोर्ट* सदन के मेज पर रखती हूं ।

प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

‡श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से , प्राक्कलन समिति, उद्योग विभाग का उत्तर प्रदेश लघु निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगमों से संबंधित प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन आप की अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

इस विषय में मैं इस बात का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं कि समिति ने उद्योग विभाग के महत्व को देखते हुये संबंधित प्राक्कलनों का विशद परीक्षण करने का विचार किया इस आकांक्षा के साथ कि प्रदेश के औद्योगीकरण की दिशा में समिति कुछ लाभप्रद सुझाव दे सके, परन्तु खेद है कि संबंधित विभागीय अवहेलना के कारण वांछित सूचनायें समय पर उपलब्ध न हो सकीं और समिति को विवश होकर उस समय के उद्योग मंत्री का, जो मुख्य मंत्री भी थे, ध्यान इस विभागीय उदासीनता एवं समिति के कार्य के प्रति अवहेलना की ओर आकृष्ट करना पड़ा ।

*छापी नहीं गई ।

†छापा नहीं गया ।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस के बाद ही कुछ सूचना उपलब्ध हुई । परन्तु इस बीच में बहुत सा बहुमूल्य समय निकल गया और समिति के लिये असंभव हो गया कि अपने सीमित समय में वह सारे प्राक्कलनों का परीक्षण कर सके । आखिर, समिति ने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम तथा राज्य उद्योग निगम से संबंधित प्राक्कलनों के ही परीक्षण का निश्चय किया और यह प्रतिवेदन उसी से संबंधित है ।

समिति ने इस विभागीय अवहेलना के प्रति असीम असंतोष प्रकट किया है और समिति इस बात की अपेक्षा करती है कि भविष्य में इस बात का पूरा प्रयत्न होगा कि इन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो ।

समिति ने प्रस्तुत प्रदिवेदन में यह सिफारिश की है कि जिन संस्थाओं में सरकार का आधे से अधिक रुपया लगा हो उनके पूरे आय-व्ययक का ब्योरा एवं संचालन आदि का परीक्षण करने विधान सभा और उसकी समितियों को अधिकार प्राप्त हो और विधान सभा को प्रतिवर्ष उसकी कार्य-प्रगति से अवगत रखा जाय । इस बात पर विचार करते हुये कि हमारा प्रदेश औद्योगीकरण में, जो राष्ट्र के आर्थिक ढांचे की आधारशिला है, इतना पीछे है, यह परिणाम निकला कि इसका एक कारण कच्चे माल के कोटे के आवंटन में केंद्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के उद्योगों की उपेक्षा भी है । समिति का निश्चित मत है कि जनसंख्या के आधार पर एवं दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश को बहुत कम कच्चे माल का कोटा मिलता है और यदि इस पिछड़ेपन को दूर करना हो तो इस दिशा में उत्तर प्रदेशीय सरकार को सक्रिय कदम उठाना होगा ।

समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि उद्योग की गति को बढ़ाने के लिये इस निगम का यह भी कार्य होना चाहिये कि प्रदेश में छोटे उद्योग स्थापित करने वाले व्यक्तियों को बता सके कितनी पूंजी से कौन उद्योग कहां कायम किया जा सकता है, आवश्यक कच्चा माल कहां से मिल सकता है, इसे प्रारंभ करने के लिये किन वस्तुओं पर कितना कर या सहायता मिल सकती है और आवश्यक मशीन आदि कहां से मिल सकती है । यही नहीं, निगम को उद्योग से संबंधित प्राविधिक परामर्श देने की भी व्यवस्था करनी चाहिये । समिति ने सिफारिश की है कि निगम एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोले जिसके द्वारा उक्त सारी सहायता प्रदेश के उद्योगों को देने का प्राविधान हो सके ।

ग्रामीण क्षेत्र से जो कोटे के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं उनके निस्तारण के लिये असंतोष प्रकट करते हुये समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसे सभी प्रार्थना-पत्र विकास क्षेत्र उद्योग अधिकारी द्वारा भेजे जायं जहां उनका पंजीकरण हो और उनके निस्तारण तक विकास खण्ड पूर्णतया देखभाल करे ।

परीक्षण के दौरान में समिति के ज्ञान में यह बात भी गयी कि कुछ फर्म प्रदेश में उत्पादन नहीं करती हैं, परन्तु उन्हें फिर भी कांट्रेक्ट मिल जाता है और वे बाहर से सामान मंगा कर सप्लाई कर देती हैं । समिति ने इस व्यवस्था के प्रति असंतोष प्रकट किया है ।

समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के ही उत्पादन करने वालों से खरीद की जाय । कम से कम जब वे उसी भाव से अपना सामान दे सकें । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य उद्योग निगम के तत्वावधान में डेडबर्न्ट मेगनासाइट तथा लाइम स्टोन के भन्डार के ऐक्सप्लोरेशन की जो योजना बनायी गयी है वह लाभप्रद सिद्ध होगी और उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहिये और सरकार द्वारा उसको आवश्यक सहायता प्रदान करने में विलंब नहीं होना चाहिये ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

अभी सभापति, प्राक्कलन समिति ने कुछ गंभीर बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूं उस ओर ध्यान मुख्य मंत्री का भी गया होगा । जिन बातों की ओर उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

ध्यान दिलाया है उनमें से भारत से सबसे कम कच्चा माल मिलने और धनों के दुरुपयोग का और अन्य बातों की तरफ ध्यान दिलाया है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में जितने हम पीछे हैं वह हमारी रिपोर्टों से या हमारे कामों से जाहिर है। ऐसी हालत में, मैं समझता हूं इस रिपोर्ट की तरफ विशेष ध्यान देकर कैबिनेट लेवल पर उद्योग विभाग की इन कमियों को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किया जायगा और किस तरह से सरकार उस ओर ध्यान देगी इससे सदन को आश्वस्त कराने की जरूरत है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि वह हमको बतायें।

श्री अध्यक्ष—

अभी बयान देंगी, या कुछ समय लेंगी। मैं बता दूं। पिछली बार जो आश्वासन समिति की रिपोर्ट सदन में रखी गई, उस पर हमने बयान सरकार का लिया था ७ दिन के बाद। अगर इस वक्त आप देना चाहें तो दे दें, वरना फिर १४ को आप वक्तव्य दे दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस संबंध में १४ तारीख को बयान दूंगी।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जो बैठे हैं, हमने सुना है कि सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं कि कुछ जिलों में आबपाशी और लगान सरकार माफ कर रही है तीन साल के लिये जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। यह खबर कहां तक सही है ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री से)क्या आप लगान और आबपाशी माफ कर रहे हैं ?

श्री उग्रसेन (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि ओले पाले से पीड़ित किसानों की मालगुजारी माफ होगी, टेस्ट वर्क खुलेंगे परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है और देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती में इनका स्टाफ डंडे मार मार कर मालगुजारी वसूल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या माननीय उग्रसेन ने जो कहा है उस पर ध्यान देंगे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

उग्रसेन जी की सभी बातें मैं याद रखता हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जहां पर ओला, या पाला पड़ा है लगान माफ किया गया है। देवरिया जिले के जिस क्षेत्र में ओला या पाला पड़ा है उसमें पिपराइच मिल से गन्ने की कीमत नहीं मिली है और वहां पर लगान वसूल करने में सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रही है। क्या सरकार लगान वसूल करना स्थगित करायेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजनारायण मिश्र द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

एक श्री राजनारायण मिश्र का है कि एक पर्चा यहां बांटा गया है जो इसके नीचे रखा हुआ है, उसे स्वीकार करके, मैं उसको पढ़ कर नहीं सुना रहा हूं, लेकिन विशेषाधिकार समिति को सौंप रहा हूं ।

२८ मार्च, १९६४ को सदन द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी प्रस्ताव में उल्लिखित वकीलों के विरुद्ध श्री अध्यक्ष द्वारा अनुमति न देने की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरी बात और निवेदन कर दूं और वह यह कि मैंने परसों विशेषाधिकार समिति को कुछ सूचनाएं भेजी हैं । मैंने उस वक्त ख्याल किया था कि वकीलों के खिलाफ नहीं हैं । हमने श्री सोलोमेन के विरुद्ध, विशेषाधिकार का प्रस्ताव स्वीकार किया था लेकिन शेष जो वकीलों के विरुद्ध कार्यवाही करने की है मैं विशेषाधिकार समिति को नहीं दे रहा हूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आपने कहा था कि मैं सुन लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, मैं सुन लूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

उस पर अनुमति सदन ने दी है ।

श्री अध्यक्ष—

उस प्रश्न को भी मैं सदन के सम्मुख रख दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

आपके फैसले के विरुद्ध.....

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज जो सूचनाएं आयी हैं कामरोको की और एक नियम ५२ के अन्तर्गत, कोई स्वीकार नहीं की हैं । एक माननीय काशीनाथ की सूचना है जिसको मैंने खाद्य मंत्री को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

पढ़ दीजिए, बड़ी जरूरी है ।

राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्दिष्ट विषय पर कार्य-प्रणाली निश्चित करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का सुझाव

श्री अध्यक्ष--

शनीचर को आप लोगों से मैंने निवेदन किया था कि १४३ के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत कार्यवाही की है। वह उनके अधिकार की बात थी जो उन्होंने की है। उस संबंध में कोई और अवमान का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। हमारी उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा है। हम समझते हैं कि सबके कल्याण के लिये और एक सुन्दर वातावरण पैदा करने के लिये वह किया गया है। अब प्रश्न यह है कि उसमें हमें पैरवी करनी है। उस पैरवी का प्रबंध करने के लिए या तो विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाय या ऐसा हो सकता है कि विभिन्न दलों के नेता और माननीय मुख्य मंत्री हम लोग सब बैठ कर इस १४३ के अन्तर्गत जो प्रश्न उठे हैं तथा और जो संबंधित प्रश्न उठ गये हैं उन सब पर विचार करके अपने कार्य-क्रम को निश्चित करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आप श्रीमन्, पहले मंत्री जी और नेताओं से बात कर लें, उसके बाद सदन में बात उठावें। नहीं तो, फिर विवाद हो, विरोध हो···

श्री अध्यक्ष--

बहस नहीं होगी। मैं तो चाहता था कि आदरणीय सदन मेरी इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं नेतागण को बिठाकर इस सारे मामले के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही निश्चित कर लूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, आपको मालूम है कि हमारे देश के जो वकील हैं उन लोगों ने आपके विरुद्ध एक गुट बना लिया है। इस वास्ते बाहर से मिस्टर प्रिंट को बुलाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहता हूं····

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

आप श्रीमन्, क्या किसी से छोटे वकील हैं? यह मायर साहब आपका और सदन का अवमान कर रहे हैं। आप क्यों नहीं खुद करते?

ऐसी बात नहीं है। मायर जी, आपके दल के जो नेता हैं तथा अन्य माननीय सदस्य अपने दलों के जो नेता हैं उनको आप सब पूरा इंस्ट्रक्ट करके भेज दीजिये। तो अब यह उसूल तय हो चुका।

श्री उमाशंकर तिवारी--

क्या तय हो चुका?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

यह तय हो चुका है कि हर दल के नेता एक साथ बैठें और बैठकर इस पर विचार कर लें कि आगे क्या करना है । आप अब बैठिये । यह सेंस आफ हाउस है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

एक दल के नेता के नाते मैं कुछ पूछना चाहता हूं । सदन ने एक प्रस्ताव पास कर दिया और आपने केशवसिंह और सालोमन के वारन्ट पर दोबारा दस्तखत कर दिया । अब हमें काहे लीपापोती के लिये बुला रहे हैं यह समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष—

यह हम वहीं बात कर लेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आपका सुझाव ठीक है कि नेता लोगों को बुलाकर उनसे परामर्श कर लीजिये । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने केशवसिंह और सालोमन को कमजोर समझकर पकड़ने का वारन्ट जारी कर दिया और बाकी न्यायाधीशों के मामले में कार्यवाही नहीं हो रही है । तो कमजोर पर कार्यवाही करना और मजबूत को छोड़ देना यह तो बहादुरी का काम नहीं है, यह तो कायरपन है । तो मैं चाहता हूं कि सालोमन और केशवसिंह के मामले को भी कमेटी के सुपुर्द कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नेता गण और हमारे प्रत्येक माननीय सदस्य लाखों गरीबों के ही प्रतिनिधि हैं । तो आप विश्वास कीजिये और हमें मौका दीजिये कि हम इस पर विचार कर लें । हम आपसे यह निवेदन करते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, हमारा एक निवेदन है कि जब आप विचार कर रहे हैं तो केशवसिंह और सालोमन के विरुद्ध जो वारंट हैं उनको आप स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें बैठ कर विचार कर लेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप उसको फिलहाल स्थगित कर दें और बाद में जो आपका निर्णय होगा, मान्य होगा ।

श्री अध्यक्ष—

हां, इस पर विचार किया जायगा ।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत खास बात निवेदन करनी है । वह यह है कि हमारे क्षेत्र में रामदुलारे गड़रिया, दारोगा और पुलिस सिपाहियों द्वारा मार डाला गया है । मैंने जिला कलेक्टर को लिख कर दिया, उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर के द्वारा एन्क्वायरी करवा दी, मगर वह अभी तक उस दारोगा और पुलिस के मामले को दाबे हुये हैं । मैं मुख्य मंत्री जी के मकान पर गया, वह नहीं मिलीं, तो गृह मंत्री जी को लिख कर दे आया हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये ।

कुंवर तेजभानसिंह—

आप सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये तो हम आपको बोलने का मौका देंगे (व्यवधान) । लेकिन अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो बहुत से सदस्य इसी तरह से बात करने लगेंगे । मेरा निवेदन यह है कि नियम ३०१ के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल ने सबको एक रास्ता बतला दिया है, आप जो कुछ कहना चाहें लिख कर दे दीजिये ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

२१ मार्च, १९६४ को मैंने दफा ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी जिसमें लिखा था कि गंडक नदी से जो कैनाल निकली है उसमें पानी नहीं आ रहा है जिससे किसान गन्ना बोने से वंचित हो रहे हैं और आपने कहा था कि इसको दफा ५२ में ले लेंगे . . .

श्री अध्यक्ष—

दफा ५२ में नहीं लिया गया है तो आप ३०१ नियम के अन्तर्गत लिख कर दे दीजिये । मैं देख लूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को यह मसला रेफर कर दिया है । अब हमारी ड्यूटी क्या होती है यह मैं बतलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उसी के लिये मैंने कहा है कि प्रत्येक दल के नेता आ जायं और हम लोग बैठ कर उसे तय कर लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

पैरवी के बारे में ही तो तय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सब बातों पर तय करेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

लाइयर्स को भी इन्वाइट कर लिया जाता ।

श्री अध्यक्ष—

उसे बाद में देख लिया जायगा । जरूरत होगी तो ऐसा भी कर लिया जायगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुझे सूचना मिली है कि जल्दी ही कोई तारीख वहां पड़ने वाली है, तो यह मीटिंग हमारी कब होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आज ही मिल लिया जाय साढ़े ३ बजे ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

सदन के सामने आपने कहा कि नेता लोग मिल लें तो वह सुप्रीम कोर्ट के सामने पैरवी का प्रश्न था। कमलासिंह जी का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मिलती है तब तक क्या हमारा कर्त्तव्य होगा यह स्पष्ट कर दिया जाय यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला है उस समय तक क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह निवेदन किया कि नेतागण, नेता सदन तथा उनके सहयोगी मेरे साथ बैठ कर सभी संबंधित विषयों पर विचार करके तत्संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आपके सामने एक कठिनाई, सम्भव है, आये....

श्री अध्यक्ष—

जब आयेगी तो हम पूछ लेंगे। इस समय तो हमें आप अधिकार दे दीजिये।

पंचमांगियों तथा साम्प्रदायिक तत्वों के सक्रिय होने के सम्बन्ध में दी गयी सूचनाओं पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा को प्राथमिकता देने की मांग

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, ढाई घंटे का समय जिस विषय के लिये रखा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, शाम को लोग चले जाते हैं, इसलिये उसे पहले ले लिया जाय और यह बाद में चलता रहे।

श्री अध्यक्ष—

मेरा कहना यह है कि जहां तक प्रस्ताव का सवाल है, असरकारी दिवस में जिस महानुभाव का प्रस्ताव विचारार्थ सदन के सामने आ जाता है तो वह हाउस की प्रापर्टी हो जाता है और माननीय रामायणराय जी का प्रस्ताव है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि पहले यह विषय ले लिया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, यह निवेदन हुआ है और आपने नेता सदन की ओर से भी कहा था और मैं भी निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये अगर माननीय सदस्य राजी हो जायं और नेता सदन राजी हो जायं तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि पहले इस प्रश्न पर विवाद कर लें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि जैसे एजेंडा बना है वैसे ही चले। अगर जल्दी काम खत्म कर दें तो उसे पहले शुरू कर देंगे।

शिक्षण संस्थाओं में राजकीय हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामायणराय जी का संकल्प इस प्रकार है कि—"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था, अशान्ति तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप एवं गिरी आर्थिक दशा के फलस्वरूप शिक्षा स्तर के गिरने और अनुशासन-हीनता फैलने की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय।" इस पर माननीय रामायण राय, चन्द्रजीत जी यादव, माताप्रसाद जी, रघुनाथसिंह जी तथा राजेन्द्रकुमारी जी बाजपेयी बोल चुके हैं।

(इस समय १२ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामायणराय जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा संस्थाओं में जो अव्यवस्था चल रही है उसको देखकर हर नागरिक का चिंतित होना स्वाभाविक है। शिक्षा के स्तर में गिरावट और गड़बड़ी ज्यादा दिखाई देती है....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह शिक्षा पर बहस हो रही है और शिक्षा मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, इससे अव्यवस्था फैल रही है, इस पर व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी शिक्षा मंत्री जी आ जायंगे। (कुछ रुक कर) आ गये शिक्षा मंत्री।

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस सिलसिले में न केवल ऊपर की शिक्षण संस्थाओं में गड़बड़ी है, बल्कि इस गड़बड़ी की प्रारम्भिक पृष्ठ-भूमि तैयार हो जाती है प्राइमरी कक्षाओं से ही। प्राइमरी एजूकेशन में अपने प्रदेश में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा प्राइमरी शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है। श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं कुछ दूसरे प्रान्तों का जिक्र करना चाहता हूं। मदरास में मिडिल पास अनट्रेंड का ग्रेड ८५ से १४० है और मिडिल पास ट्रेन्ड का ग्रेड ८५–१४० है। फिर पांच रुपये कि तरक्की के साथ १७० रुपये का ग्रेड है। आसाम में ५०–१–६५ का ग्रेड है। गुजरात में ५०–९० का ग्रेड है साथ ही ५५ रुपये मंगहाई दी जाती है। मध्य प्रदेश में ८५–१४० का ग्रेड। मध्य प्रदेश में मिडिल पास ट्रेंड का ग्रेड ९०–१७० है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आपके पड़ोसी राज्यों में आपसे ज्यादा वेतन ग्रेड मिलेगा और आपके प्राइमरी टीचर्स की इतनी गिरी दशा रहेगी तो प्राइमरी टीचर्स का मन शिक्षा की तरफ नहीं लगेगा। दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों में गुटबन्दी की वजह से, कांग्रेस के एकाधिकार शासन की वजह से इस आधार पर शिक्षकों की भरती नहीं होती कि उनकी योग्यता क्या है, वह टेस्ट पास हुए हैं या नहीं बल्कि इस आधार पर भरती की जाती है कि किन लोगों ने चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया है। यह सरकारी मशीनरी, जिला परिषदों के अध्यक्ष और दूसरे लोग उन्हीं लोगों

---

†२३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को नियुक्त करते हैं और उनके घरों के पास नियुक्त करते हैं और वह अध्यापक कांग्रेस के प्रचार में ही अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त लगा देते हैं, बजाय इसके कि शिक्षा संस्थाओं की तरफ अपने कर्त्तव्य को पूरा करें। दूसरी तरफ आज प्राइमरी स्कूलों के पास सामग्री नहीं है। न स्कूलों में बैठने के लिये टाट है, न श्यामपट है, न पानी पीने के लिए प्रबन्ध है। बगीचों में लोग पढ़ रहे हैं। हवा आई, बदली हुई, धूप लगी, बच्चों की छुट्टी हो जाया करती है। यह हालत जब तक प्राइमरी स्कूल के टीचरों की रहेगी तब तक जो बुनियाद ही हम गलत डालेंगे उससे किसी भी तरह अच्छे नतीजे निकलने के लिये रास्ते नहीं खुल सकते। श्रीमन्, इसी सिलसिले में मैं सरकार के एक उत्तर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने यह सवाल पूंछा था कि प्राइमरी स्कूलों की किताबें कब-कब बदली गईं। सरकार ने उत्तर दिया—जी हां, वह किताबें बदली गईं और कक्षा १ से ४ तक की बेसिक रीडर तथा कक्षा १ से ५ तक की बेसिक अंकगणित बदली गयी हैं। कारण यह बताया गया कि वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। वह कौन-सी शैक्षिक आवश्यकता थी जिसके अनुरूप इन किताबों के बदलने का सवाल पैदा हुआ? होता यह है कि किताबें बदली जायंगी और जुलाई आते-आते बाजार से किताबें गायब रहेंगी। सितम्बर-अक्तूबर तक किताबें नहीं पहुंचेंगी। बाजारों में ब्लैकमार्केटिंग चलायी जायगी और उसके नतीजे आपके सामने होंगे।

श्रीमन्, आज हायर सेकेंड्री स्कूलों की यह हालत है, जो स्कूल प्राइवेट तरीके से बनाये जा हैं सही माने में देखा जाय तो उनमें रोजगार की मनोवृत्ति पनप रही है। मास्टरों का शोषण और दोहन वहां किया जा रहा है। प्रबन्ध समितियों और मैनेजर सरकार द्वारा बनाये हुए कायदे कानूनों के मुताबिक सही हिसाब पेश करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। गलत हिसाब दिया जाता है। मैनेजर्स रिटर्न्स जो दाखिल होते हैं वे गलत होते हैं। हमेशा सरकारी अनुदानों को प्राप्त करने के लिये जो चेष्टा की जाती है उसमें सेक्रेटरियेट से लेकर डाइरेक्टरेट और इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स तक पहुंचने में और लोगों को सलामी देने में मैनेजमेंट को जो तकलीफ उठानी पड़ती है और जो उनकी दुर्दशा होती है वह छिपी बात नहीं है। वहीं आज अध्यापकों की हालत यह है कि अध्यापक पचास रुपया पायेगा, लेकिन अगर ट्रेन्ड ग्रेजुएट है तो उसको उस स्कूल के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा और अगर महज ग्रेजुएट है तो उसके रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अनुदान का यह हाल है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रेसीडेंट ने सरकार पर यह चार्ज लगाया है कि स्कूल नहीं हैं, लेकिन उनको अनुदान दिया गया है। सरकार इसकी सफाई नहीं कर सकी। खुल्लमखुल्ला सरकार को चैलेंज किया गया माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से, उसके प्रेसीडेंट ने चैलेंज किया, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे सकी। इस अनुदान के वितरण में पक्षपात किस हद तक है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो वह बतायें कि जबसे उनका शासन काल है उसमें जितने खंड बने हुए हैं उनके आधार पर मेरठ, इलाहाबाद या दूसरे खंडों में कितना अनुदान दिया गया है, स्कूलों को? मैं केवल इस साल का जानना चाहता हूं, कल जो साल खत्म होने जा रहा है, उसमें किस-किस प्रखंड को कितना-कितना रुपया दिया गया है, यह वह बताने की कृपा करें। मेरा यह अन्दाज है, हो सकता है, माननीय मंत्री जी के उत्तर से वह गलतफहमी मेरी दूर हो जाय, लेकिन मुझको यह गलतफहमी है कि मेरठ को सबसे ज्यादा धन इस साल में दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस तरह की हालत रहते हुये शिक्षण संस्थाओं का सुधार कैसे हो सकता है। जब इस तरह की गड़बड़ पैदा हो जायगी, आपसी गुटबन्दी पैदा की जायगी, जब शासन के इन्तजाम में भिन्न राय रखने वाले आदमियों के हाथ में मैनेजमेंट कमेटी होगी, जब किसी न किसी तरह से इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के जरिये से या दूसरी सरकारी मशीनरी के जरिये से मैनेजमेंट में गड़बड़ी पैदा करने की चेष्टा की जायगी तो यह तयशुदा बात है कि हालत इसी तरह की पैदा होगी। आज प्रबन्ध समितियों की हालत यह हो गई है कि सरकार उनमें गुटबन्दी पैदा कर रही है। जब तक वह सरकार के सामने अपने घुटने न टेक दें तो उसको दी जाने वाली ग्रान्ट भी बन्द कर दी जाती है। जब सरकार के सामने प्रबन्ध समिति ने घुटने टेक दिये,

[श्री कल्पनाथसिंह]

जो हुजूर कहना शुरू कर दिया तो फिर उस प्रबन्ध समिति को ग्रान्ट देना शुरू कर दिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आज मास्टरों की हालत क्या है ? जिस मास्टर को गुटबन्दी के आधार पर काम करना पड़ेगा तो मैनेजमेंट किस प्रकार से उसकी बात सुन सकेगा ? तब वह लड़कों का सहारा लेते हैं और उन लड़कों का सहारा लेने में अवांछित तत्व भी उसमें सहायक होते हैं और हालत यह है कि लड़कों के द्वारा मैनेजमेंट के खिलाफ हड़ताल कराते हैं। ऐसी हालत में मास्टर भी ऐसा करने के लिये जब अपने को मजबूत नहीं पाते हैं तो वह भी मजबूत समझने लगते हैं। तब लड़कों के जरिये से हड़ताल कराई जाती है और इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगते हैं। इस तरह से उनके अन्दर इंडिसिपलन पैदा की जाती है। जब इस प्रकार की हालत में अनुशासनहीनता लड़कों के अन्दर आ जाती है तो लड़कों का पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं रहता है। ऐसी हालत में मैनजमेंट कमेटी किसी मास्टर को निकालना भी चाहे तो किसी जुर्म में निकाल नहीं सकती है। अगर उसका रिजल्ट २० फीसदी से कम है तो २० फीसदी रिजल्ट देने वाले मास्टर को भी प्रबन्ध समिति निकाल नहीं सकती है, लेकिन होना यह चाहिये कि अगर रिजल्ट ५० फीसदी से कम आता है तो उस मास्टर से जरूर पूछना चाहिये कि तुमने कैसी शिक्षा दी कि तुम्हारा रिजल्ट ५० फीसदी से कम गया। अगर ५० फीसदी से ज्यादा उसका रिजल्ट है, ७५ फीसदी या ८० से ज्यादा उसका रिजल्ट है तो ऐसा रिजल्ट देने वाले मास्टर को १, २ तरक्कियां देनी चाहिये। अगर मैनेजमेंट तरक्की देते हैं तो सरकार दी हुई तरक्की में अपना हिस्सा देने में दूसरे बहाने बताती है। इस तरह से सरकार दोनों तरह से शिक्षा स्तर को गिराने के लिये मजबूर करती है। ऐसी हालत में मास्टरों के सामने दूसरा चारा नहीं रह जाता है। उनके लिये कोई चार्म नहीं रह जाता है जिस चार्म की वजह से उनके मन में यह बात रहे कि अच्छा काम करेंगे तो तरक्की मिलेगी। जब उसका मन नहीं लगेगा तो मास्टर मशीनरी की तरह से काम करना शुरू कर देता है। फिर वह ऊपर की संख्या नहीं देखता है। २० फीसदी की बात देखता है। अगर उसका २० फीसदी रिजल्ट है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है।

दूसरे, यह सरकार ग्रेड की बात को देखे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जे० टी० सी०, जे० बी० टी० सी० और सी० टी० के ग्रेडों में कितना अन्तर है ? जब ये लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब भी उनको कम वेतन स्केल मिलता है बनाय उन लोगों के कि जो सीधे ग्रेजुएशन कर के स्कूलों में नौकरी पा जाते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। जिस विश्वविद्यालय की बुनियादी ईंट ही टेढ़ी रखी गयी हो वह कभी भी अच्छा नतीजा नहीं दे सकता। आज भी वहां के छात्र जेलों में बन्द हैं, उनको इम्तहान में बैठने नहीं दिया गया। वहां अव्यवस्था की स्थिति है और इस सदन के सदस्य माननीय शिब्बनलाल जी ने १९५९ में वहां एक पीपुल्स इंक्वायरी कमेटी बनायी थी और उसकी रिपोर्ट छपवायी है वह मेरे पास है। उसमें दिया है कि वहां पक्षपात, जातिवाद, कुनबापरस्ती है और इसके स्पष्ट आरोप लगाये गये हैं। यह सारी बातें होने के बावजूद उन की तरफ कोई तवज्जह सरकार ने नहीं दी है। वहां पक्षपात और कुनबापरस्ती के आधार पर मास्टर रखे गये और आप सोचें कि ऐसा होने पर कैसे अच्छी प्रकार से काम चल सकता है। और बहुत सी बातें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। वहां दो गुट बने हुए हैं। यदि मन्त्री जी में ताकत है तो उनको समाप्त करें और अगर जरूरत हो तो इस के लिये कोई न कोई तरीका निकालें या कायदे कानून बनायें। अगर ऐसा न किया गया तो गोरखपुर में यूनिवर्सिटी की जगह नरक बन जायगा। वहां का रजिस्ट्रार पीटा गया। इसमें बड़े लोगों का हाथ है। श्री आर० पी० बहादुर पीटे गये, वहां का असिस्टेंट प्राक्टर पीटा गया और प्रोफेसरों को रोज गाली सुनने को मिलती हैं। वहां एक विद्यार्थी कांग्रेस बनी हुई है और उसके नेताओं के कहने पर रोज

ही लोगों को जेल में बन्द किया जा रहा है। यह स्थिति पैदा करने की जिम्मेदारी किस की है? सारी यूनिवर्सिटयों के बारे में यूनिवर्सिटी कमीशन ने राय दी, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये कुछ नहीं हुआ। यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश के शिक्षा स्तर को जांचने के लिये, विद्यार्थियों में अनुशासन कायम रखने के लिये, अध्यापकों की स्थिति सुधारने के लिये सरकार एक आयोग की स्थापना करे और सदन इसकी अनुमति दे।

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का विषय हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं श्री रामायणराय जी के संकल्प से सहमत होऊं अथवा नहीं, किन्तु इसमें दो रायें नहीं हैं कि उन्होंने इस पर विचार करने का अवसर दे कर समाज की सेवा की है। श्रीमन्, इस विषय में बजट पर चर्चा काफी हो चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं कि जिन पर वहां चर्चा नहीं हो सकी और न उनके लिये वह उपयुक्त अवसर था। श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि आज शिक्षा का प्रसार तो हुआ, लेकिन व्यवस्था में बहुत ढिलाई आ गयी है और वह अवसर उपस्थित है कि जब हम गम्भीरतापूर्वक और शान्त मस्तिष्क से इस पर विचार करें और सिंहावलोकन करें कि हमारे प्रयास में कितनी प्रगति हुई है, कितनी कमी है और कितना और करना है। आज शिक्षा का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है? आज से २० वर्ष पहले एंटरेंस पास हुए विद्यार्थी और आज के एंटरेंस पास विद्यार्थी की योग्यता में जमीन-आसमान का अन्तर है। पुराने जमाने के मिडिल पास और ग्रेजुएट्स को और आज के ग्रेजुएट्स को देखते हैं तो हम बड़ा अन्तर पाते हैं। यह चिन्तनीय विषय है कि इसका मौलिक कारण क्या है। हमारा जो करीकुलम है उसके सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के ही नहीं, संसार के शिक्षा शास्त्री निश्चय नहीं कर सके हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। साधारणतया इसका यह अर्थ है कि मानसिक और जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनकी ओर बच्चों को ले जायं, लेकिन हमें विचारना है कि १६ वर्ष हो गये हमें आजाद हुए, गांधी जी के जमाने में बुनियादी शिक्षा के नाम पर बड़े-बड़े शिक्षाविदों की समितियां बनीं, करीकुलम बनाया गया, लेकिन हम आज तक अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सके हैं और हम देश के बच्चों की मनोवृत्ति को बदलने में सफल नहीं हो सके हैं। जो देश-प्रेम, राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावना विद्यार्थियों में उत्पन्न होनी चाहिये, जो नैतिक स्तर के उत्थान की भावना पैदा होनी चाहिये, उस दिशा में हमारा करिकुलम सहायक नहीं हो सका है।

दूसरी बात यह है कि टैक्स्ट-बुक्स का तमाशा चला आता है। कल्पनार्थसिंह जी ने उसको लिया है, लेकिन उस समस्या को वहीं छोड़ दिया है। आम शिकायत आ रही है कि वह देर से छपीं, देर से बिकीं और प्राप्त हुयीं। हमने प्राइमरी पाठशालाओं, जूनियर हाई स्कूल के लिये, छोटे स्कूलों के लिये जो टेक्स्ट-बुक्स तैयार करा लीं तो क्या वजह है कि प्रकाशक इतनी जल्दी बदल दिये जाते हैं? मैं कह सकता हूं कि इसके पीछे कोई सद्भावना नहीं है, बल्कि बुरी भावना है। जब हमने एक शिक्षा-क्रम स्वीकार कर लिया है तो क्यों हम प्रति वर्ष छपाई की ५० दिक्कतों में पड़ें? जाहिर है कि कुछ व्यक्ति जो लाभदायक स्थिति में पहुंच गये हैं वह उसका लाभ उठाना चाहते हैं। नियन्त्रण के अभाव में आज देहात में तो यह स्थिति है कि इंस्पेक्शन बराये नाम होते हैं। जो जिला परिषद् के अधिकारी हैं वह करिकुलम को टच नहीं कर सकते हैं, केवल प्रबन्ध को देख सकते हैं। इंस्पेक्टिंग स्टाफ टच कर सकता है, लेकिन उसे १—१ दिन में ३—४ जगह मुआयना करना पड़ता है। अगर वास्तव में बच्चों की योग्यता की प्रगति को आंकना हो तो दो दिन भी इंस्पेक्टर के लिये एक इंस्टीट्यूशन में नाकाफी हैं। वह जाकर मास्टरों से खुशामदें कराते हैं और जल्दी-जल्दी खानापूरी करके चले आते हैं। आज उनकी उदासीनता की वजह से बुनियादी तालीम खराब हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

सरकार ने बड़े-बड़े अनुदान साक्षरता के प्रसार के लिये दिये हैं और उसमें अपनी सारी शक्ति लगायी है, लेकिन व्यक्तिगत संस्थाओं को जो अनुदान दिये जाते हैं उनका ठीक-ठीक इस्तेमाल नहीं होता है। आज क्लैरिकल लेविल पर क्लर्कों को सटा करके जिलों से ही अनुदान की सिफारिशें शुरू करा ली जाती हैं। शिष्टता बाधक है, लेकिन मैं कहने के लिये बाध्य हूं कि जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते कि उसमें रिश्वत चलती है। १०–५ परसेंट तय हो जाता है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं, लेकिन वह इलाहाबाद में जाकर सिफारिश करा लेती हैं और अनुदान ले लेती हैं। मन्त्री जी कागज देखते हैं, मैं उनको दोषी नहीं पाता हूं, क्योंकि वैधानिक स्थिति से जो सिफारिश होती हैं उनको वह देख लेते हैं, लेकिन आवश्यक है कि हम देखें कि जो हम अनुदान दे रहे हैं और करोड़ों रुपया जा रहा है उसका ठीक इस्तेमाल होता है या नहीं। मेरा विश्वास है, मुझे तजुर्बा है कि जहां पर ढाई सौ लड़के और १०–१५ मास्टर हैं और १४–१५ हजार रुपया मिलता है वहां रुपये का दुरुपयोग होता है, फर्जी कागज दिखला करके इंस्पेक्टिंग स्टाफ को संतुष्ट करके लम्बे-लम्बे अनुदान लेकर बैठ जाते हैं। मैं मानता हूं कि प्राइवेट संस्थाओं ने बड़ी सेवा की है। इस बदली हुई परिस्थिति में जब कि हमें शिक्षा का प्रसार करना है और राजकीय साधन नहीं हैं कि हम समस्त नागरिकों के बच्चों को शिक्षा दे सकें, लेकिन हमें देखना है कि उन संस्थाओं का ठीक प्रबन्ध है या नहीं। वह झगड़े के केन्द्र बन गये हैं, भाई-भतीजावाद....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, जरा कोरम देख लिया जाय।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, एक बजे और २ बजे के बीच में कोरम के लिये आपको इंसिस्ट नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी एक नहीं बजा है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं कह रहा था कि हमारी प्राइवेट संस्थाओं में क्या होता है। वहां भाई-भतीजेवाद के नाम पर मास्टरों की नियुक्ति की जाती है। अगर कोई शख्स ग्रेजुएट है, ट्रेंड नहीं है तो भी स्थान पा जाता है। साल दो साल काम करने के बाद पेंशन सीक करता है। इसकी प्रतिक्रिया होती है कि जो हमारे भावी नागरिक हैं, जो प्रजातन्त्र की जिम्मेदारियों को सम्भालने के लिये तैयारी कर रहे हैं उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक फर्स्ट क्लास टीचर और एक थर्ड क्लास टीचर में जमीन आसमान का अन्तर होता है। इसलिये आवश्यकता है कि सरकार इस बात पर निगाह रखे कि प्राइवेट संस्थाओं में क्वालीफाइड आदमी रखे जायं, ताकि आगे आने वाली संतान उचित शिक्षा पा सके।

एक बात मैं शिक्षा संस्थाओं में जो झगड़ा होता है उसके बारे में कहना चाहूंगा। आपके विधान के अन्दर प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के ट्रान्सफर का प्राविधान तो है, मगर उस पर अमल नहीं होता है। जब एक ही जगह अध्यापकों को काम करना पड़ता है तो वे अपना गुट बना लेते हैं। उसी से पार्टीबाजी चलने लगती है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका कहीं ट्रान्सफर तो होना नहीं है। अगर उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर होता रहे तो मेरा

विचार है कि जो झगड़े आये दिन देखने में आते हैं वे न हुआ करें। मैं समझता हूं कि अगर प्राइवेट संस्थायें आपस में इनका परिवर्तन कर लिया करें तो उससे यह चीज समाप्त हो सकती है।

जिस तरह से अनुदान दिया जाता है वह चीज भी मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह नहीं कहता कि उसके लिये मन्त्री जी दोषी हैं या विभाग के अधिकारी दोषी हैं, लेकिन जो उसका तरीका है वह बड़ा विचित्र है। कहा तो यह जाता है कि वह किसी सिद्धान्त पर होता है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि मैनेजर या हेड मास्टर जितनी मजबूती के साथ प्लानिंग लेविल से अपने केस को भिजवाता है, ऊपर से उसको उतना ही अनुदान प्राप्त हो जाता है। जिनको वास्तव में अनुदान की जरूरत है उनको तो मिल नहीं पाता, जिनको जरूरत नहीं है, उनको मिल जाता है। इस ओर मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये। जो और तथ्य मैंने आपके सामने रखे, उन पर भी मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये। विशेषकर कैरीकुलम के बारे में जो मैंने कहा है, उस पर मन्त्री जी अवश्य ध्यान दें। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामायणराय जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है वह बड़ा ही महत्व का है और माननीय शिक्षा मन्त्रीजी केवल यह सोचकर कि यह चूंकि विरोधी पक्ष का प्रस्ताव है इसको अस्वीकार न करें। मैं निहायत अदब के साथ यह कहना चाहूंगा कि जो सूझ आज तक इस सरकार को नहीं आ पायी, वह सूझ आज विरोधी पक्ष की तरफ से दी गयी है। जनतन्त्र को चलाने के लिये शिक्षा का एक विशेष महत्व होता है। आज जो चीजें शिक्षा संस्थाओं में चल रही हैं उनकी ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा। मैं शिक्षा के प्रसार या विद्यालयों के खुलने के खिलाफ नहीं हूं, किन्तु पिछले १५–१६ सालों के अन्दर जिस तरह से विद्यालय खोले जा रहे हैं और जिस तरह से उनका इन्तजाम चल रहा है उसमें बहुत से दोष हैं। शिक्षा का एक नियोजित ढंग से प्रचार होना चाहिए नियोजित ढंग से विद्यालय खुलने चाहिए, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। प्राइवेट संस्थाओं में ६०–७० प्रतिशत शिक्षा संस्थायें ऐसी हैं जिनको राजनीतिक कार्यकर्ता लोग चला रहे हैं। वे मन्त्री जी अथवा डायरेक्टर से मिलकर उस संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और अनुदान के लिये दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार से ये निजी संस्थायें भ्रष्टाचार और पैसे कमाने के साधन बनी हुई हैं। बलिया में ऐसे भी स्थान हैं जहां ८–८ मील तक कोई हाई स्कूल नहीं है और कहीं एक-एक फर्लांग में दो-दो हैं और उन स्कूलों के लड़के और मास्टर आपस में लड़ते हैं और स्कूल इस प्रकार से अव्यवस्था के अखाड़े बने हुए हैं। पूर्वी जिलों में रोज रेलों की जंजीर खींचने की घटना होती है, फर्स्ट, सेकिंड क्लास की कोच काटकर लड़के अपने थैले बना लेते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी ने शिक्षण संस्थाओं के आचार्यों को बुला कर कोई ऐसी सभा की है कि जो लड़के बाहर से आते हैं उनके लिये पास बनवा दिये जायं। केन्द्रीय सरकार ने तिहाई अथवा चौथाई में पास बन जाने की सुविधा दे रखी है, लेकिन उसको भी मजबूती से लागू नहीं किया जाता है। इस प्रकार से ये शिक्षण संस्थायें समाज में अव्यवस्था का अखाड़ा बनी हुई हैं, बजाय इसके कि वह उनको शिक्षित करें, सभ्य बनायें और अच्छे नागरिक बनायें। लड़के भी बेचारे करें तो क्या करें? वे तो कुम्हार की मिट्टी के समान हैं, चाक पर रख कर चाहे जैसा बर्तन उनका बना दिया जाय। थर्ड क्लास पास मास्टर उनमें रखे हुए हैं जो ९० प्रतिशत स्वयं अनुशासनहीन हैं। केवल डिग्री ले लेने से ही कोई मास्टर होने का अधिकारी नहीं हो जाता। इसलिये अगर आप चाहते हैं यह उत्तर प्रदेश फले-फूले, आपकी योजनायें सफल हों तो आपको इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये आयोग की स्थापना करनी होगी और आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि कितनी दूरी पर एक स्कूल हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कम्युनिस्टों की तरफ से नारा लगाया जाता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। यह गलत बात हो जायगी। यह शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों के ही विरुद्ध हो जायगा। राज्य का कर्तव्य तो यह है कि मैनेजर्स ही सारी व्यवस्था करें, लेकिन वह सरकारी कानून और नियमों के अनुसार करें। सरकार अपने नियम और कानून को सख्ती से लागू कराये। यह आयोग इन सारी चीजों की जांच करेगा।

जहां तक विश्वविद्यालय की नीति का सवाल है, पहले यह था कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स को ही वाइस चांस्लर होने का अधिकार होता था। अब उसको यूनिवर्सिटी कोर्ट नहीं तय करती है, इस सरकार के मन्त्री करते हैं जो यह भी नहीं जानते कि यूनिवर्सिटी तालीम है क्या है, यूनिवर्सिटी कोर्ट क्या है, यूनिवर्सिटी एजूकेशन क्या है। वह तय करते हैं कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांस्लर कौन होगा जब ब्रिटिश सरकार यहां थी उसने भी यूनिवर्सिटी एजूकेशन को आटोनामस रखा था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। क्या आपने कभी यह सोचा है कि शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में ६०–७० प्रतिशत स्कूल सरकार पार्टी के लोगों और २०–२५ प्रतिशत विरोधी पक्ष के लोगों के द्वारा चलाये जा रहे हैं और इन संस्थाओं को उन लोगों ने भ्रष्टाचार और आमदनी का साधन बना रखा है, राजनीति का साधन बना रखा है। आज विश्वविद्यालय के वाइस चांस्लर को कौन चुनेगा? विश्वविद्यालय के एक नुमाइन्दे को राज्यपाल और मन्त्री उसको चुनेंगे। भला किस प्रकार से शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है? अंग्रेज जो हिन्दुस्तान को गुलाम बनाना चाहता था उसने भी दुनिया की निगाह में अपने आपको अच्छा बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालयों को अपने मातहत नहीं रखा, लेकिन आज यह सरकार उन विश्वविद्यालयों पर हावी हो रही है, वहां पर भी सरकारी हस्तक्षेप मौजूद है, सरकारी गुरगे वहां भी बैठे हुए हैं। दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहां पर मास्टरों की तनख्वाहें ६–६ महीने से नहीं मिली हैं और १४–१४ हजार रुपया अनुदान उनको मिल रहा है। ऐसा एक स्कूल हमारे यहां छितौली में है और जिसको श्री जगन्नाथसिंह एम० एल० सी० चलाते हैं। हमारे जिले में २४ स्कूल प्राइवेट पार्टियों के हैं जिनमें १४–१५ ऐसे हैं जिनमें ६–६, ९–९ महीने से मास्टरों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं और अनुदान मिलता चला जा रहा है। आप नियम बनाइये कि जो नियत समय में अपने एम्प्लाइज को तनख्वाह नहीं देगा उसको अनुदान नहीं दिया जायगा और उन नियमों का ठीक तरह से पालन कराइये। इसके अलावा आपको अध्यापकों के ग्रेड में भी समानता रखनी होगी। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों के ग्रेड में असमानता नहीं होनी चाहिये।

हमारे यहां प्राइमरी एजूकेशन भी दो प्रकार की चल रही है। अमीर और गरीब के बच्चों के लिये दो प्रकार के स्कूल हैं। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, करोड़पति और गरीब के लड़के अलग-अलग पढ़ते हों, लेकिन यहां अमीर और गरीब के लड़के अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। जो अंग्रेजी स्कूल हमारे यहां खुले हुए हैं, वे समाज में नफरत पैदा कराते हैं। गांधी जी सदैव इन स्कूलों का विरोध करते थे और इसीलिये उन्होंने बुनियादी तालीम की व्यवस्था की थी। डाक्टर जाकिर हुसैन जो इस समय उप-राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही इस स्कीम को बनाया था, लेकिन उस स्कीम को ही खत्म कर दिया गया है। जबकि इन बड़े स्कूलों के लड़कों के ऊपर आप प्रति लड़का ६–८ रुपये खर्च करते हैं दूसरी ओर जहां गरीबों के लड़के पढ़ते हैं उनमें सरकार केवल ८ आना प्रति लड़का खर्च करती है। इस तरह से आप किस ढंग का समाज बनाना चाहते हैं? एक ओर तो वे लड़के हैं जो ला-मार्टिनियर, सेंट जोसेफ आदि स्कूलों में शिक्षा पाते हैं और दूसरी तरफ वे लड़के जो म्युनिसिपैलिटीज के हाई स्कूल्स व दूसरे स्कूलों में तालीम पाते हैं, इससे उनके मस्तिष्क पर बहुत ही मनोवैज्ञानिक अन्तर पड़ जाता है और वे हीनभाव ग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह से समाज ऊपर नहीं उठ सकता, इसलिये आपको शिक्षा में बुनियादी तब्दीली करनी होगी। जब आप आयोग बना देंगे तो वही इन सब चीजों को तय करेगा और मेरा विश्वास है कि जब डाक्टर जाकिर हुसैन जैसे व्यक्ति उस आयोग में

होंगे तो वे यही सिफारिश करेंगे कि इस तरह के स्कूल्स तोड़ दिये जायं जहां प्रधान मन्त्री व मन्त्री तथा एम० पीज० आदि के लड़कों के पढ़ने लिये तो अलग स्कूल्स हों और घुरहू, मंगरू के लड़कों के पढ़ने के लिये अलग स्कूल्स हों। इस तरह से समाजवादी समाज नहीं बन सकता और इस तरह से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा नहीं हो सकता और इस तरह से अच्छे नागरिक आप नहीं बना सकते। एक दफा पार्लियामेंट में प्रधान मन्त्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया था तो प्रधान मन्त्री ने कहा कि भाई पब्लिक स्कूल्स न तोड़े जायं, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज के स्कूलों में तो लड़के गाली-गलौज सीखते हैं, उनको थूकना तक नहीं आता कि कहां थूकना चाहिये और कहां नहीं थूकना चाहिये, जब कि इन पब्लिक स्कूलों में लड़कों को मैनर सिखलाया जाता है। जब आपका प्रधान मन्त्री इस तरह की बातें कहता है तो फिर हमारे यहां समाजवादी समाज कैसे बन सकता है? इसके माने तो यह हुए कि अच्छे और ऊंचे तबके के लड़के तो अच्छे स्कूलों में जायं और लाखों की संख्या में जो गरीब तबके के लड़के हैं वे रद्दी-सद्दी टूटहे स्कूलों में जायं जहां कि शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं है और जहां जाकर लड़के गाली गलौज ही सीखते हैं। इसलिये आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाय और शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के लिये ही यह संकल्प है और यदि माननीय शिक्षा मन्त्री जी सचमुच यह चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा की नींव मजबूत बने तो उसमें वे सुधार करें। जबतक शिक्षा की नींव मजबूत न बने, तब तक जनतन्त्र इस देश में मजबूत नहीं बन सकता, आपकी योजना सफलीभूत नहीं हो सकती, आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि श्री रामायणराय जी का जो संकल्प है उसके अनुसार वे एक आयोग की स्थापना करें। यदि शिक्षा में आमूल परिवर्तन न हुआ तो न तो आपकी योजना ही चल पायेगी और न उत्तर प्रदेश व सारे देश का ही विकास हो सकेगा।

*श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित, आंग्ल भारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सजेशन माननीय सदस्य दे रहे थे, उन्होंने शायद उन प्राब्लम्स को समझा नहीं है। मैं सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज मेरा भी सबसे ज्यादा करीब ३०० स्कूलों से डाइरेक्ट कंटेक्ट है और मैं ४–५ स्कूलों का मैनेजर हूं। तो मैं अपनी निजी जानकारी पर जो प्राब्लम्स हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। एक प्राब्लम तो यह है कि स्कूल्स काफी हैं नहीं और आबादी हर साल ज्यादा बढ़ती जा रही है। जुलाई के महीने में हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि किस लड़के को रखें और किस लड़के को न रखें। सन् १९५८ से पहले जो स्कूल पहले ३००, ३५० या ४०० लड़कों को लेते थे, आज वहां १,१००–१,१०० और १,२००–१,२०० लड़के मौजूद हैं। आज वहां डिसिप्लिन बिल्कुल है ही नहीं। एक डेस्क पर एवरेज ४ लड़के बैठते हैं। आज जो इन्टरमीडिएट ऐक्ट बना हुआ है उसके अन्तर्गत टीचर्स लोग मैनेजर के सिर पर जूता मार रहे हैं। फिर भी मैनेजर उनका कुछ नहीं कर सकते। बिना शक किये हुए मैं कहूंगा कि हम किसी को निकाल नहीं सकते। आज हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो खुले तौर पर लड़कों को हड़ताल करने के लिये कहते हैं वह खासतौर से वहां सिविक्स सिखाते हैं कि लड़के कैसे स्ट्राइक करें और लड़के भी जिम्मेदार सिटीजन्स हैं उनको यह जानना चाहिये कि स्ट्राइक कैसे किया जाय। मुझे अंग्रेजी में कहने दिया जाय, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं।

On account of personal experience I can say that on account of increase in population and pressing demand for education it has become impossible to accommodate the pressure. More over, this Intermediate Amendment Act is being abused by teachers by taking unnecessary advantage of it, for they know they can not be thrown out. In 400 sessions there are not even 15 where we have complete staff of teachers every day. They take leave on some excuse or other. Bogus Medical Certificates are submitted and we cannot stop them.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ए० सी० ग्राइस]

Another thing of great difficulty is that we cannot control private tuitions that he takes outside with the result that he exhausts himself completely outside thereby rendering himself unable to pay proper attention in class.

Another thing is about the attendance in classes. There are 45 to 60 pupils in a class, and the teacher is not able to pay individual attention to them, which they used to do previously. I would therefore request the Government to allow the continuance of two different sections of schools. I know, though you will not agree, but I beg of you that those schools which have first class laboratories for Physics, Chemistry etc. be allowed to charge Re.1 or Rs.2 per pupil so that we can get extra teachers. This amount, if Government so like, will be subject to inspection and audit. Government is not in a position to give grant liberally to each and every institution. Now the question arises how to keep up the standard of education by providing more facilities ? Obviously if we are authorised to charge Re.1 or Rs. 2 per pupil, laboratories will further be equipped which would result in imparting better education. This, however, should be allowed to those schools which have laboratories of their own. Different categories of school should be allowed to continue in the interest of education.

Government should do away with this Intermediate Amendment Act in asmuch as it leaves the management helpless to get rid of undesirable teachers. We also do not want day to day interference of the Inspector of Schools. If we refuse further admission beyond 40 to 45 pupils in a class, D. I. O. insists or sometimes recommend that such and such boy should be admitted for he comes of a big gun. In such a situation it becomes impossible for us to accommodate. I would request the Government to consider these propcsitions seriously. It is not a question of political speech, we are fed up, we should thing as to how to improve the education. My personal experience is that the Intermediate (Amendment) Act is a menace to us. The number of Students is increasing everyday but the quality of teachers is very poor. Those persons, who cannot get employment, become teachers. We must increase the emoluments to encourage a better quality of teachers. If you give us the permission to charge extra fees, we can pay extra money to our teachers. Under this Intermediate Act we will never get better teachers. I would, therefore, request Government to allow us to charge extra fees to pay extra to our teachers and not to close their eyes.

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत से माननीय मित्रों ने माननीय रामायण राय जी के प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस संकल्प के सम्बन्ध में जो आपके सामने हैं मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। चाहे राष्ट्रीय जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन में, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि जब से बालक पैदा होता है उसके बनने की आधारशीला क्या है। क्या हमारी सरकार कर रही है, किस तरह से उस व्यक्ति के उत्थान की ओर अपना कर्तव्य कर रही है। हम देखते हैं कि जीवन के जिस पहलू पर लीजिये उस पहलू पर शिक्षा के महत्व का प्रश्न है। इसको विस्तार पूर्वक न कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि चारों तरफ से आवाज होती है कि हमारी शिक्षा में दोष है, शिक्षा पद्धति में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोष है, शिक्षालयों में अनुशासन-हीनता है। हमारे जो अध्यापकगण हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, अयोग्य हैं। बड़ा दुख होता है, जब हम ऐसा कहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि शिक्षा उचित रूप से हो, योग्य विद्यार्थी निकलें। हम योग्य अध्यापक विद्यार्थियों के लिये दें। योग्य अध्यापक हमको तभी मिल सकते हैं जब कि हम उनको योग्य वेतन दें। उनका वेतन आकर्षक हो। आज तक हमने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब हम तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, महंगाई बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें आम अध्यापकों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा देखने में आता है कि जब अध्यापक कहीं नौकरी नहीं पाते हैं तब वे अध्यापक का काम करते हैं। जब उन्हें किसी जगह नौकरी मिल जाती है वे अध्यापक काम बीच में छोड़ देते हैं। विद्यार्थियों को जिस स्टेज पर छोड़ देते हैं वे उसी स्टेज पर रहते हैं और जब दूसरा टीचर आता है तब वह फिर उन्हें पढ़ाना आरम्भ करता है। यूनिवर्सिटी में भले ही यह चीज न हो लेकिन नीचे के शिक्षालयों में यह चीज पायी जाती है। तो अगर हमारी सरकार यह नियम बना दे कि सारे प्रदेश में अध्यापकों का समान वेतन हो और जो सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है वे सारी सुविधायें उनको भी मिले तो यह अध्यापक वर्ग दूसरी जगह न जायं और उनका उद्देश्य यह हो कि उनके विद्यार्थी किस प्रकार अच्छे हों और कैसे वे ऊंचा उठें और कैसे उनका नाम हो।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वैसे अध्यापक किस विद्यालय में रहे। मैं भी एक विद्यालय से सम्बन्धित रहा हूं। हम उन्हें बेइमानी सिखा देते हैं। हम भी इसके दोषी हैं। उनके पास अगर रुपया नहीं है उनकी दशा यह है कि स्कूल के पास रुपया नहीं है और उनकी नियुक्ति अगर १२० रुपये पर की जाती है तो उनको ६० रुपया दिया जाता है और वह उसको कबूल करते हैं और रसीद १२० की ही दे देते हैं। क्या अधिकारियों को और यहां सरकार के लोगों को यह चीज मालूम नहीं है ? और अगर यह बात है तो कैसे सरकार के लोग और यहाँ की जनता यह आशा कर सकती है कि शिक्षा की हालत सुधर सकती है। अगर हमारे यहां अध्यापकों की स्थिति नहीं सुधरेगी तो उसका दिल पढ़ाने में कैसे लगेगा और कैसे "मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव" की बात कैसे चल सकेगी। उनकी तो सदा यह निगाह लगी रहेगी कि कहीं कोई और अच्छी नौकरी मिल जाय, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाय जहां और तमाम सुविधायें उपलब्ध हों तो फौरन वहां चला जाय। यह परिस्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि सरकार अध्यापकों का वतन ऊंचा नहीं करेगी और उनको भी अन्य कर्मचारियों की भांति सारी सुविधायें और रियायतें नहीं देगी और उस समय तक न तो विद्यार्थियों में अनुशासन की बात आप सोच सकते हैं और न अच्छे मास्टर ही आपको मिल सकते हैं जिससे वह विद्यार्थी का जीवन बनाने में और उनकी पढ़ाई में पूरा ध्यान देकर लगन से लग सकें। जब वह ६० लेकर १२९ के वेतन की रसीद देता है तो अनुशासन तो आप स्वयं बिगाड़ते हैं उसका क्या दोष है, इस तरह से अनुशासन कैसे ठीक होगा और विद्यार्थी किस तरह से अच्छे निकल सकेंगे। अध्यापक की क्या स्थिति होगी यह आप समझ सकते हैं। अन्त में मैं एक ही वाक्य कह कर इसको समाप्त करूंगा कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व यदि किसी चीज का हो सकता है तो वह शिक्षा है और उसी को सबसे अधिक उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है और किसी विभाग में ऐसा नहीं है।

इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि हस्तक्षेप बहुत है। इस प्रकार की आपत्ति जितने भी सदस्य शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं सबको ही कुछ न कुछ होगी। हमारी सरकार ने तो इसको एक व्यवसाय सा बना लिया है, उसका काम यही है कि मान्यता दिये जाय और अनुदान कुछ संस्थाओं को दिये जायं। इसके अलावा इन संस्थाओं में ईंट, सीमेंट मिलने में बड़ी परेशानी होती है, जिनका डायरेक्टली कोई सम्बन्ध इन संस्थाओं से है वह तो पा जाते हैं या कोई खास व्यक्ति उस संस्था से सम्बन्ध रखते हैं तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है उनको वह मिलता ही नहीं। मेरा भी सम्बन्ध

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

एक संस्था से था मैंने तो स्वंय उससे इस्तीफा दे दिया और मैं समझा कि क्यों मैं अपनी वजह से संस्था का नुकसान कराऊं, जिन संस्थाओं का सम्बन्ध कुछ खास लोगों से होता है उनको तो मान्यता और अनुदान हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, लेकिन जिनका सम्बन्ध दूसरे लोगों से होता है उन संस्थाओं की उपेक्षा होती है। उन्हें मालूम हो जाता है कि इस संस्था का सम्बन्ध अमुक दल के आदमी से है तो वह कितना ही अच्छी तरह से संस्था को चलाता हो और कितनी ही सेवा करना वह चाहता हो, लेकिन उसको डिसकरेज किया जाता है।

सरकार का कहना है कि उसका शिक्षा पर बहुत कुछ ध्यान जा रहा है, लेकिन आज इमारतों की हालत क्या है। आज भी पेड़ों के नीचे या आसमान के नीचे स्कूल लगते हैं। हमारे जिले में ८० प्रतिशत विद्यालयों की बिल्डिंग नहीं हैं। पिछली बार जब मैं कौंसिल का मेम्बर था तब भी मैंने यह बात कही थी लेकिन उस पर एक मेम्बर ने कहा कि कोई बात नहीं है ऋषियों-मुनियों के आश्रम भी तो पेड़ों के नीचे और नदी के किनारे गिरि-कन्दराओं में लगा करते थे उतने पर भी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी ओर कोई प्रतिवाद नहीं आया। बड़ी लज्जा की बात है कि ७०–८० प्रतिशत हमारे यहां ऐसे स्कूल हैं कि जिनकी बिल्डिंग तक नहीं हैं और ऐसी दशा में अगर विद्यार्थियों में और अध्यापकों में अनुशासनहीनता होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। हालत यह है कि नदी के किनारे गांव भी नहीं है और कह दिया जाता है कि स्कूल खुला है, ५–५ साल से कोई स्कूल नहीं है लेकिन कागज पर स्कूल चला आता है ..

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

ऐसी बात नहीं है, हमारे यहां स्कूल सब जगह हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

आपके यहां हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं हैं। स्कूल हैं तो मास्टर नहीं हैं और मास्टर हैं तो स्कूल नहीं हैं। न तो जो स्कूल हैं उनकी सफाई होती है और न मरम्मत ही होती है। बीम लटक रहे हैं और लड़के खतरा मोल ले कर बैठे रहते हैं। यह स्थिति हमारे यहां ७०–८० प्रतिशत स्कूलों की है। मैं अपने जिले की बात के आधार पर कर रहा हूं सरकार उस पर ध्यान नहीं देती यह दूसरी बात है।

तीसरी बात नेशनलाइजेशन की है। उसके बारे में विस्तार से काशीनाथ जी ने कहा है। हमारे अध्यापकगण, जिन्होंने हमें शिक्षा दी और जिनके सम्मुख हम नतमस्तक होते हैं उनको नेशनालाइजेशन के नाम पर जो भी सुविधायें दी जा सकती हैं वह दी जायं अन्यथा विद्यालय बन्द कर दिये जायं। यह ठीक है लेकिन नेशनलाइजेशन से एक बुराई भी है। जो पार्टी राज्य करेगी उसी की रीति-नीति के अनुसार शिक्षा फैलेगी नेशनलाइजेशन से, जब कि होना चाहिये या कि विभिन्न विचारधाराओं को फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिये और अन्ततः जो विचारधारा समाज के लिये हित कर हो वह पनपे। यह नहीं होगा, इस दृष्टि से नेशनलाइजेशन न किया जाय, किन्तु जो हित अध्यापकों का हो सकता है नेशनलाइजेशन के नाम पर वह उनको अवश्य दिया जाय।

चौथी बात यह है कि १७ वर्षों के अन्दर शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने कभी नहीं सोचा कि हम उसमें क्या परिवर्तन करें। आज हम रोज चिल्लाते हैं कि शिक्षा में यह दुर्गुण हैं वह दूर हो, लेकिन जो शिक्षा चली आ रही थी वह चलीं जा रही है। कैसे अपने कर्तव्यों का पालन आदमी करे, एक दूसरे के प्रति उसके कर्तव्य हैं उनका कैसे पालन करे, कैसे राष्ट्र के प्रति उनमें प्रेम हो, कैसे उनका आचरण सुधरे,इसकी शिक्षा आज नहीं है। यदि मैं कहूंगा तो कुछ और समझा जायेगा लेकिन मैं कहे बिना रह नहीं सकता कि जहां शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो वहां धार्मिक शिक्षा अवश्य दी जाय। कौनसी धार्मिक शिक्षा हो यह मैं नहीं कहता लेकिन ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जिस से पढ़ने वालों को अपने आचरण और कर्तव्य का ज्ञान हो। जो हमारे अन्दर कर्तव्य की भावना की कमी है वह चलने दी जाय, लेकिन आगे की पीढ़ी

के अन्दर कैसे कर्तव्य की भावना पनपे इस सम्बन्ध में आपने कोई कदम उठाया ? शिक्षा विभाग के अधिकारी तो हमसे अधिक बुद्धिमान हैं, हमारे हृदय में जो है उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते उनको कुछ कदम उठाना चाहिये । आज हमारे विद्यार्थियों की क्या हालत है । एन्ट्रेन्स पास हैं ऐप्लीकेशन तक नहीं लिख सकते, १०सौ, हजार और लाख भी नहीं समझते । सिटीजनशिप के क्या राइट्स हैं और क्या कर्तव्य हैं । कौन समझायेगा इसे । किसका उत्तर-दायित्व है । हमारी सरकार का है । मैं नहीं कहता कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आमूल परिवर्तन हो, लेकिन कुछ न कुछ करना आवश्यक है । हमारे माननीय सदस्य ने बहुत बड़ा काम किया कि सरकार के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया । हमारे शिक्षा विशेषज्ञ जो हमसे अधिक बुद्धि रखने वाले हैं इस पर विचार करें जिस से हमारी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में चरित्र का निर्माण हो । यह तभी हो सकता है जब इसमें आमूल परिवर्तन होगा । जब विशेषज्ञों का आयोग यह सरकार बनाये, वह बैठकर सोचे कि क्या करना है । अगर सरकार इसके लिये तैयार हो तब हम समझेंगे कि सरकार सचमुच शिक्षा की दिशा में कुछ करना चाहती है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं इसलिये कि उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में हमें मौका दिया अपने विचार रखने का । हम बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से शिक्षा का विस्तार और प्रसार चारों ओर हो रहा है । जो एक विचार इस सदन में रखा गया है कि प्राइवेट बाडीज इस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि वे हार्दिक बधाई की पात्र हैं कि जो भार हमारी सरकार के ऊपर था उसको जनता के कुछ लोगों ने अपने ऊपर लेकर शिक्षा के प्रसार के कार्य में सरकार का हाथ बटाया और उस भार को हल्का किया । कहा जाता है कि वे इन शिक्षा संस्थाओं को व्यापार के लिये चलाते हैं तो इसमें कुछ अधिक तथ्य नहीं, क्योंकि सरकार के आडीटर्स उनके एकाउन्ट्स को एग्जामिन करने जाते हैं हर साल और उसमें जो कमियां तथा खामियां हैं उनको आडिट में बतलाया जाता है । अगर इस तरह से ग्रान्ट्स खाई जाती है तो बड़ा अफसोस है कि हमारे इस माननीय सदन के सदस्य अपने क्षेत्र के स्कूलों के एम्बेजिलमेंट और मिस एप्रो-प्रिएशन को स्टाप नहीं कर सकते और अपनी नाकाबिलियत का इजहार इस सदन में करते हैं ।

मेरे क्षेत्र में सबसे अधिक शिक्षा-दीक्षा लोगों की है और अब यूनिवर्सिटी और कालेज की शिक्षा-दीक्षा बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, लेकिन मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि जहां हमारे देशवासियों ने और सरकार ने प्लानिंग को अपनाकर हर क्षेत्र में विकास की योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वहां शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करने हेतु जितने भी स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटीज खोले गये, सन् १९५२ से बराबर हम यह देखते आये कि उस प्लान के मुताबिक शिक्षा का प्रसार नहीं किया गया । उसका कारण यह है कि सरकार में जिस किसी का असर अधिक होता है उसकी तरफ सरकार का ध्यान अधिक जाता है ।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी जब खोली जा रही थी तो यह मैंने पूछा था कि क्या उसी प्रकार की यूनिवर्सिटी की रचना उत्तर प्रदेश में सरकार फिर करना चाहती है जैसी देश में अन्य यूनिवर्सि-टीज हैं और नवयुवक वहां से निकलकर अपने को नाकाबिल साबित करते हैं अथवा नये तौर तरीके की पढ़ाई लिखाई, नये किस्म की ट्रेनिंग वहां दी जायगी ? लेकिन वही इकोनामिक्स, इतिहास, गणित इत्यादि वहां भी पढ़ाना शुरू किया गया, जब कि आश्वासन यह दिया गया था कि उसे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरह खोला जा रहा है । उस आश्वासन को इम्प्लीमेंट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

नहीं किया गया और जो बात जिम्मेदारी के साथ कही गयी थी उसके खिलाफ काम कुछ और किया गया तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार देश और प्रदेश का भला हो नहीं सकता ।

इसके अलावा जिन इंस्टीट्यूशन में स्कालरशिप अधिक दिये जाते हैं पढ़ाई लिखाई अधिक होती है वे सब शहर में खोले जाते हैं क्योंकि शहर के लोगों का प्रभाव सरकार पर है और इस प्रकार सारी सरकारी इंस्टीट्यूशस को शहरों में केन्द्रित किया जाता है । यह बड़े खेद की बात है कि जनता को प्रकाश दिखाने वाली यूनिवर्सिटीज और कालेजेज से जो नवयुवक जोश और खरोश के साथ अपने देश और प्रदेश के अन्धकार को मिटाने के लिये कृतसंकल्प होकर देश के तिरंगे झंडे के नीचे कसमें खाकर निकले थे । अगर आज उनका व्यवहार, उनका उद्देश्य गलती करता है और उसके प्रतिकूल आचरण करता है तो मैं समझता हूं कि यह कोई प्रशंसा की बात या क्रेडिट की बात न हमारे लिये है और न पढ़े लिखे लोगों के लिये हैं । अंग्रेजों के जमाने में शहरों में ही यूनिवर्सिटी, कालेजेज, हाई-स्कूल, तथा स्कूलों की भरमार रहा करती थी क्योंकि बड़े-बड़े पूंजीपति कैपिटिलिस्टस और सेठ साहूकार वहां रहते हैं । लेकिन अब तो हमारी सरकार की ओर से इन शिक्षण संस्थाओं के गरीब विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मदद देनी चाहिये और हमारी सरकार को देहातों में जहां कि ८० फी सदी किसानों के लड़के पढ़ते हैं, वहां यूनिवर्सिटीज कालेजेज और स्कूलों की भरमार करनी चाहिये थी । लेकिन ऐसा न करके हमारी सरकार ने कोई समझदारी की बात नहीं की है । इसलिये मैं बड़े अदब के साथ सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूं और खास-तौर से उन लोगों से जो साढ़े सात करोड़ जनता के भाग्यविधाता बन कर यहां बैठे हैं अगर वे इस तरह से अपना फैसला करेंगे और इस तरह की हाथ से तराजू ले कर डंडी मारेंगे तो मुझे उसके लिये सख्त अफसोस है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के जिले में जो हाईस्कूल था वह डिग्री कालेज हो गया और मेरे यहां पौड़ी गढ़वाल में एक इंटर कालेज था, उसके लिये हमारी राष्ट्रीय सरकार ने बड़ी मेहरबानी की कि उस कालेज को हटाकर न जाने कहां ले गई । आप लोग सोचते होंगे कि यह न जाने किस दुनिया की बात कह रहा हूं । लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्योंही मैंने इस सदन में पदार्पण किया वह कालेज लापता हो गया । कितने अफसोस की बात है । मैं आपके द्वारा मंत्रीं जी से कहना चाहता हूं कि वह फर्स्ट क्लास साइंस जानते हैं और उनका माइंड भी फर्स्ट क्लास है और इनके होते हुये भी अर्थमेटिक, फिजिक्स और कैमेस्ट्री को जानते हुये भी अगर उनकी समझ में न आये तो बड़े अफसोस की बात है ।

मंत्री जी को उसका पता लगाना छोड़ देना चाहिये जिसने यह ज्यादती की यह अन्याय किया, उसका भला हो, हमें कोई गिला नहीं है । लेकिन हम आपसे प्रकाश की आशा करते हैं कि वहां जो अन्धकार किया गया है उसको मिटाने के लिये अपना प्रकाश पुंज स्थापित करने का वे प्रयास करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं, आप कहेंगे कि यह तो टीका टिप्पणी करने के लिये खड़ा होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार की आंख में पट्टी बांध कर आगे बढ़ाना चाहता है, सरकार को जनता और उसके बीच की खाई को जो नहीं देखने देना चाहता है, जो सरकार को मक्खन से पालिश करके, सरकार को खुश करके, सरकार के दिमाग को एक पागल आदमी की तरह रखना चाहता है, मैं उसको देश भक्त नहीं कह सकता हूं ।

मैं समझता हूं कि ऐसा इंसान जो कुत्ते की तरह दुम हिला कर सरकार के पीछे चलता है और सरकार का पांव चाटता है इसलिए कि सरकार को वह खुश करना चाहता है, वह मुल्क का हितैषी नहीं है, कभी हो नहीं सकता, वह मुल्क का दुश्मन हो सकता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है। इस विभाग में अनप्लांड प्लानिंग बढ़ती जा रही है। डाइरेक्टर का दफ्तर इलाहाबाद में है। यहां का डाइरेक्टर नवाबों की तहजीब का आचरण करता है। वह डाइरेक्टर क्या हमारी शिक्षा संस्थाओं की देखभाल कर सकता है? हरगिज नहीं। जो शिक्षा संचालक उत्तर प्रदेश में आठ साल रह चुका हो--आठ को ३६५ से गुणा कर दीजिये, फिर २४ से गुणा कर दीजिये, फिर ६० से गुणा कर दीजिये, इतने समय में ५२ जिलों में कुमायूं डिवीजन के जिलों का यदि एक एक सेकेंड भी उन्होंने दौरा किया हो तो मैं समझता हूं कि उन्होंने देश के साथ इंसाफ किया होगा। परन्तु एक मिनट, एक सेकेंड भी उनका कुमायूं के जिलों के हिस्से में नहीं आया। हमारे शिक्षा संचालक प्लानिंग करते हैं। मीटिंग में जाकर भाषण कर देते हैं। मैंने जो उनकी किताब देखी, अगर कोई नकल करके किताब लिख दे और बुक कमेटी में ऐप्रूव करवा दें तो मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं दे सकता। यह जो तौर तरीका अख्तियार किया गया है, शिक्षा विभाग के जितने फेवरिट लोग होते हैं उन्हीं की किताबों को ऐप्रूव किया जाता है। वह देख--कर हैरानी हुई कि अर्थमेटिक की किताब में खाली अंक बदल कर रख दिया। अगर हम पढ़े लिखे लोग भी इस देश को तबाह होने से न बचाएं तो कौन बचायेगा? आप कभी कभी नाराज हो जाते हैं मेरे कहने से। आपने और हमने उस जमाने में शिक्षा पाई जब कि हमारे देश में गुलामी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रदेश की शिक्षा की गिरी हुई हालत को देखते हुए यह कितना आवश्यक हो जाता है कि इसके सम्बन्ध में एक आयोग की स्थापना की जाय। मान्यवर, तस्वीर के दो रुख हैं। एक रुख तो यह है कि प्रदेश में शिक्षा की बहुत कमी थी और अब हरसाल शिक्षा बढ़ती जा रही है, शिक्षा की संस्थायें बढ़ती जा रही हैं, विद्यार्थी बढ़ते जा रहे हैं और बाज बाज जगह तो यह हालत है कि विद्यार्थियों को दाखिले में हद दर्जे की मुश्किलात पेश आती हैं। अभी और भी शिक्षा संस्थाओं की जरूरत है। अभी हमारे और भी विद्यार्थी बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे और बहुत सी शिक्षा की संस्थायें भी बढ़ेंगी। जरूरत है उनकी। लेकिन मान्यवर, इस तस्वीर के रुख के दूसरी तरफ देखें तो कितना भयानक रुख नजर आता है, कितना बदसूरत रूख? मान्यवर, आज जो हमारे विद्यार्थी हैं जो कल या भविष्य में जाकर हमारे देश और प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में लेंगे, आज हमारे वह नवजवान कैसे हैं, उनकी क्या हालत है? उनकी लियाकत कितनी है, काबलियत कितनी है, उनमें अनुशासन कितना है और वह कैसी बातों में मशगूल रहते हैं, यह सब चीजें देखनी हैं।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि एक तरफ तो तालीम वाकई बढ़ी, लेकिन आज जो तालीम का मयार गिर रहा है वह बहुत ही अफसोसनाक है और उसकी जिम्मेदार, मैं तो बिलकुल साफ तौर से कह सकता हूं कि, हमारी सरकार है। आज अगर तालीम के स्तर को उठाया नहीं गया, उसे और बेहतर नहीं बनाया गया तो मैं समझता हूं कि भविष्य खतरे में है। आज जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें नयी जिन्दगी और नयी भावना पैदा करने की जरूरत है। आज जिस तरीके से इस विभाग का कार्य चल रहा है वह किसी तरीके से भी सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता और इस पर नजरसानी करने के लिए, गौर करने के लिए एक ऐसे आयोग की स्थापना की अत्यन्त जरूरत है। मान्यवर, मैं अपने यहां की मिसाल देना चाहता हूं वहां सयाने में एक पब्लिक इंटर कालेज है उस कालेज को माननीय मंत्री जी बखूबी जानते होंगे किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बनाया गया है। उसको तबाह

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

करने के लिए तरकीबें यहां लखनऊ में बैठ कर सरकार की ओर से सोची जाती हैं। १९६२ में किस तरीके से वहां के विद्यार्थियों से एलेक्शन में इम्तहान होने के समय कनवैंसिंग कराई गई ? किस तरीके से वहां के टीचर्स से कनवैंसिंग कराई गई, कांग्रेस के कैन्डीडेट के पक्ष में वर्क करने के लिये उनको जगह २ भेजा गया ? आज वहां उस संस्था में मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के बीच एक रस्साकशी चल रही है और उसमें सरकार भी एक पार्टी बन गयी है। मैं आपको याद दिलाता हूं शायद सन् ६३ के शुरू में मेरे एक सवाल का उत्तर इस संस्था के संबंध में इस आदरणीय सदन में सरकार द्वारा दिया गया था। पहला जवाब, जो दिया गया था वह गलत था लेकिन उस रोज डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद का देहान्त हो जाने के कारण विधान सभा स्वर्गीय डा० साहब को श्रद्धांजलि पेश कर स्थगित हो गयी थी। तो उसके एक हफ्ते बाद जो उत्तर मिला वह बदल दिया गया। पहले उत्तर और दूसरे उत्तर में जमीन आसमान का अन्तर है। किस तरीके से शिक्षा विभाग में गलतियों को छिपाया गया, उन खामियों को छिपाया गया ? महीनों इस विभाग के जिला बुलन्दशहर के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और करते रहे बड़ी बेशर्मी के साथ। हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती रही क्योंकि सरकार पक्ष कर रही थी एक फरीक के साथ। इस समय भी कर रही है। आज कितनी संस्थायें हैं जो १४५ में कुर्क हैं जबकि हाई कोर्ट यह निर्णय कर चुकी है कि कोई भी संस्था १४५ में कुर्क नहीं हो सकती है लेकिन आज बहुत सी संस्थायें हैं जो १४५ में कुर्क हैं। वह किस वजह से कुर्क हैं ? सिर्फ इस वजह से कुर्क हैं कि सरकार किसी न किसी पार्टी का पक्ष करती है। मैनेजमेंट का पक्ष करती है या टीचर्स का पक्ष करती है। गर्जे कि जो उनकी पार्टी का होता है उसका पक्ष करती है। मान्यवर, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस विभाग के उप सचिव ने हाईकोर्ट में एक झूठा हलफी बयान दिया। मैं इस सदन में खड़े होकर उनको चैलेंज करता हूं कि उसने झूठा बयान दिया जिसको हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। यह बयान राजनारायण सिंह वर्सेज स्टेट के मुकदमे में दिया गया था। मैंने इस सिलसिले में एक सवाल किया लेकिन इस बात की आड़ लेकर कि यह मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन है लिहाजा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है टाल दिया गया हालांकि उस मुकदमे के उस हिस्से के मुताल्लिक मैंने सवाल किया था जिसका निर्णय हाई कोर्ट दे चुका था। उस निर्णय की दो लाइन्स मैं आपको सुनाना चाहता हूं।

"The petitioner has been able to make out prima facie case of malafide and in my opinion is entitled to interim order in his favour."

यानी हाई कोर्ट ने मैलाफाइडीज का प्राइमाफेसी केस मान लिया। सरकार मेनेजमेंट के साथ तास्सुब बरत रही है, उस संस्था के साथ ज्यादती कर रही है। लेकिन आज भी उस संस्था से सरकार का मुकदमा चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उस मुकदमे में हारेगी और अवश्य हारेगी। मुकदमेबाजी से कितना बड़ा संस्था का नुकसान होगा, जनता के रुपये का नुकसान और दुरुपयोग होगा। आज उस संस्था की जो दुर्गति है, जो हालत है और सरकार जो उसकी हालत बनाना चाहती है वह इन्तहाई अफसोसनाक है। मैं ऐसी नीति को कंडेम करता हूं। न मालूम प्रदेश में कौन कौन और कितनी संस्थाओं के लिये इस तरह की नीति सरकार ने अपना रखी है जहां पर सरकार एक पार्टी बनी हुई है। उस संस्था की ग्रान्ट बन्द कर दी गई। टीचरों को तनख्वाह देने के लिये जब बहुत कोशिश की गई तो टीचरों को बुलन्दशहर बुलाया गया और उस संस्था को एक रोज के लिये बन्द कर दिया गया। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स बुलन्दशहर सामने नहीं आये और सयाना के टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई। वह सयाने आकर तनख्वाह बाट सकते थे लेकिन वहां नहीं गये यदि उन्होंने रुपया लेकर सयाने आने में कोई खतरा महसूस किया था तो वह अपने साथ पुलिस गारद ला सकते थे। मैंने इस सिलसिले में जो सवालात किये उसका मन्त्री जी ने बिलकुल गलत उत्तर दिया। इस सिलसिले में नियम ५० के अन्दर मैंने डिसकस करने की प्रार्थना भी की लेकिन बदकिस्मती से उसको अस्वीकार कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इस तरह की नीति किसी संस्था के साथ बरतना

किसी तरीके से काबिले तारीफ नहीं कहा जा सकता। इन्तहाई अफसोसनाक और बेहद अफसोसनाक है। न मालूम प्रदेश की कितनी संस्थायें इस तरह से सरकार की राजनीति का शिकार बनी हुई हैं। मान्यवर, इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि आज उन संस्थाओं की विशेष प्रकार से मदद की जाती है जो कि एक खास राजनैतिक गुट या खास पार्टी से संबंध रखती हैं, उनको अनुदान भी दिया जाता है और उनको रिकेग्नाइज्ड भी किया जाता है। इस के अलावा अगर दूसरे लोग तालीम फैलाने के लिये सेवा के तौर पर ऐसा काम करना चाहें तो उनकी हर तरीके से हौसला शिकनी की जाती है और उनकी हिम्मत तोड़ी जाती है, उन संस्थाओं की मदद नहीं की जाती।

किस तरह से शिक्षा का मयार बुलन्द होगा? आज यदि चाहे प्राइमरी, चाहे हाई स्कूल या चाहें यूनिवर्सिटी एजूकेशन को देखा जाय, उसका स्तर देख-कर दुख होता है। जगह जगह टीचर्स आपस में या मैनेजमेंट के साथ लड़ते रहते हैं और सरकार कुछ कहती नहीं, अगर कहती भी है तो पक्ष लेकर। जब यह हालत हो तो किस तरह से विद्यार्थियों की उन्नति हो सकती है। करेक्टर बिल्डिग के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। मैं इस बात का कायल हूं कि धार्मिक शिक्षा होनी चाहिये। आज विद्यार्थियों के दिल से खुदा का खौफ निकलता जा रहा है और इसके कारण उनके आचरण में गिरावट आ रही है। धार्मिक शिक्षा की आज बहुत आवश्यकता है लेकिन वह साधारण धार्मिक शिक्षा होनी चाहिये, ऐसी नहीं कि जिससे एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को बुरा समझने लगें।

इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं की माली हालत सुधारने की तरफ सरकार कोई तवज्जेह नहीं दे रही है। टीचर्स की तनख्वाहें बहुत कम हैं। वह ऐसी जरूर होनी चाहिये कि जिससे वे अपना पेट पाल सकें और एक बाइज्जत जिन्दगी बसर कर सकें। और इसके बाद वे अपने काम-पढ़ाने-की तरफ पूर्ण ध्यान दे सकें। आज बाज जगह टीचर्स को तनख्वाहें कम मिलती हैं, जो मिलती हैं रसीद उससे ज्यादा लिखवायी जाती है। तो जब तक उनको अच्छी तनख्वाह नहीं दी जायगी उस वक्त तक वे अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकेंगे। आज विद्यार्थियों में अनुशासन का नाम नहीं कहीं वे चेन पुलिंग करते हैं रेलगाड़ियों में और कहीं आपस में मारधड़ करते हैं। जब तक करेक्टर बिल्डिग की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जायगा, यह सब चलता रहेगा। इस उम्र में इंसान चंचल होता है और इसी उम्र में उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सकता है। उनको संवारने के लिये आवश्यकता है कि शिक्षा पर हम विशेष ध्यान दें और इसके लिये एक आयोग की स्थापना अति आवश्यक है।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस विषय में आपने मुझे थोड़ा अवसर प्रदान किया। हम सब जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। मैं यह मानता हूं कि जीवन में सबसे आवश्यक वस्तुओं में जीवन-यापन की सामग्रियों का स्थान प्रथम आता है। उसके बाद अगर जिन्दगी को अच्छी तरह से चलाना है और एक सार्थक रूप उसको देना है तो शिक्षा का जीवन के लिए बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। मैं मानता हूं कि आज जिस ढंग से प्रदेश में शिक्षा बढ़ रही है उसमें शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षा संस्थाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा की जो इंट्रिजिक वैल्यू है उसमें जो हम सुधार प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं कर पाये हैं और न कोई ठोस कदम ऐसा हो रहा है जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हों। यह बड़ा गंभीर विषय है जिसको लेकर हम प्रगति कर सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। समय की रफ्तार के मुताबिक, हमारी आवश्यकताओं के मुताबिक रोजाना की शिक्षा का दृष्टिकोण हमारे सामने बदलता जा रहा है। इस बदलते हुए दृष्टिकोण को सामने रख कर अगर हमने एक ओरिजिनल चेंज करने का प्रयत्न नहीं किया तो जो मंशा शिक्षा का है वह अधूरा रह जायगा। इसलिए हमारा निवेदन है मंत्री जी से कि हम प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

कम से कम ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध करें जिससे हम शिक्षा को एक मोड़ दे सकें जिसकी आज जरूरत है ।

आज पब्लिक स्कूल हैं, वह ऐंग्लो इंडियन हों या अन्य शिक्षा संस्थाओं के, उनमें बड़े बड़े अफसरों और पूंजीपतियों के लड़के दाखिल होते हैं । हमारे प्राइमरी स्कूल में जिनको हमारी सरकार या दूसरी संस्थाएं चलाती हैं उनमें वह अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराते । कारण यह है कि राजकीय संस्थाओं और प्राइवेट स्कूल जिनका स्तर इतना ऊंचा नहीं है, जिनका भरण-पोषण भी मुश्किल से हो पाता है आज उनमें बड़े लोग डरते हैं अपने बच्चों को भरती कराते हुए और समझते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा, इसलिए वह प्राइवेट संस्थाओं में भर्ती कराते हैं । इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि पब्लिक स्कूल भी हमारी सरकार और जनता की सेवा कर रहे हैं । मैं चाहूंगा सरकार से कि उन सरकारी स्कूलों और छोटी संस्थाओं के स्कूलों को भी हमें उस हद तक बदलना होगा ताकि वही सहूलियतें हम बच्चों को प्रदान कर सकें जो पब्लिक स्कूलों में होती हैं । इसके लिए एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे प्रदेश में उनकी बड़ी दयनीय हालत है । हमारे प्रदेश में आज जो अध्यापक हैं उनका कोई स्टेट्स नहीं है । आज अगर एक कलक्टर और एक टीचर खड़ा होता है जो जिस आदर की दृष्टि से हम कलक्टर को देखते हैं, उसी दृष्टि से उस टीचर को नहीं देखते हैं, उसके लिये हमारी नजर में काफी परिवर्तन हो जाता है । यही कारण है कि आज शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है । टीचर का दर्जा सोसाइटी में सबसे ऊंचा होना चाहिये, जैसा कि इंगलैन्ड आदि में है । वहां पर टीचर को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है । किन्तु हमारे यहां ऐसी बात नहीं है । प्राइमरी, हायर सेकेंडरी तथा डिग्री कालिजों में पढ़ाने वाले टीचर्स में और सरकारी नौकरों में आज बड़ा अन्तर है । यही कारण है कि जितना ध्यान शिक्षा की ओर उनको देना चाहिये, वह नहीं दे पाते । यह मैं मानता हूं कि धन की कमी है । लेकिन प्राइमरी टीचर्स जो हमारी बुनियाद हैं समाज को बनाने की, उनकी तनख्वाह कम से कम १०० रुपये होनी चाहिये ।

यह सही बात है कि हम प्लानिंग के जरिये आगे बढ़ते जा रहे हैं । आगे और स्कूल भी खोलते जा रहे हैं । मगर जो स्कूल खुले हुये हैं उनकी मेन्टीनेंस की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं । पुरानी जो इमारतें बनी हुई हैं, उनकी देख-रेख की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

शिक्षा का स्तर गिरा हुआ होने का कारण यह भी है कि जो अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं वे दूसरी सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं । थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जो व्यक्ति रह जाते हैं, जिन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलती, वे शिक्षा विभाग में नौकरी के लिये आते हैं और वे भी यहां तभी तक रहना पसन्द करते हैं जब तक कि उनको कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती । इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, आज हम देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गयी है । आज के जमाने में भी प्राइमरी टीचर्स को ४०–५० रुपये ही मिलते हैं । आप अन्दाजा लगाइये कि ४०–५० रुपये में एक टीचर, जिसे १२–१५ मील चल कर अपने घर रोज जाना पड़ता है, वह किस प्रकार से अपना तथा अपने परिवार का भरणपोषण कर सकता है। फिर यह वेतन भी उसको ४–५ महीने बाद मिल पाता है । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

सरकार ने एक डिग्री कालेज नैनीताल में तथा एक ज्ञानपुर में खोला है । जो शिक्षा वहां दी जाती है वह अत्यन्त सराहनीय है । इसमें कोई शक की बात नहीं है । लेकिन पहले जो ग्रेड्स वहां लैक्चरर्स और प्रोफेसर्स के रखे थे वे २, ४ साल बाद एक दम कम कर दिये गये और नतीजा यह हो रहा है कि अच्छे लोग छोड़ते चले जा रहे हैं और उनकी जगह थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड के आदमी आ रहे हैं । इसे सरकार को देखना चाहिये ।

मान्यवर, कोई भी देश, खास तौर से हमारे जैसा मुल्क जहां इंडस्ट्री, साइंस और टैकनोलाजी इतनी पीछे है, अगर शिक्षा पर जोर नहीं देता है तो वह उन्नति नहीं कर सकता। पिछले साल मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब एमर्जेंसी के जमाने में शिक्षा की ग्रान्ट इतनी ज्यादा काट दी गई जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उससे मेरे दिल को बड़ा आघात पहुंचा। मैं चाहता हूं कि शिक्षा में जितनी अधिक बढ़ोत्तरी की जा सके वह बहुत मुफीद होगी।

मैं मानता हूं कि प्राइवेट संस्थाओं में बहुत सी जगह अच्छा काम हो रहा है और साथ ही कुछ में गड़बड़ी है। लेकिन गड़बड़ी चैक की जा सकती है और सरकार उसे चैक करती भी है। आडिटर्स हैं, जैसा रावत जी ने बतलाया, वे देखरेख करते हैं और मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं कि वे सरकार का काम काफी हलका किये हुए हैं। हम सब का फर्ज है कि जहां कहीं गड़बड़ी हो उसे रोकें।

एक औफलकांडा इंटर कालेज आफ साइंस नैनीताल में है। वह ऐसे स्थान पर है कि जहां आने जाने के कोई साधन नहीं हैं और इतनी गरीब जनता वहां पर रहती है। मैं वहां के मैनेजमेंट की तारीफ करता हूं कि किस प्रकार से वे इस कालेज को चला रहे होंगे। ऐसे पिछड़ी जगहों के कालेजों को या तो विभाग सहायता दे वरना उनको राज्य प्रबंध में लिया जाय।

डाइरेक्टर के बारे में एक बात रखी गई। मैं भी निश्चित मत का हूं कि जब तक मौजूदा डाइरेक्टर साहब रहेंगे तब तक शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती है।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से भाई रामायणराय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी, जो शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं को जानने के लिये स्वयं बहुत आतुर हैं, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ताकि एक आयोग का गठन हो और उसके द्वारा इन समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार होकर हमारे सामने सुझाव आ सकें।

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा के प्रसार के लिये काफी प्रयत्न सरकार की ओर से हो रहे हैं। विद्यालयों के लिये भवन संबंधी व्यय की व्यवस्था और अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था जो सरकार की ओर से हो रही है वह सराहनीय है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन जिला परिषदों के द्वारा किया जा रहा है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इन सारे साधनों का सदुपयोग नीचे जाकर नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। हमारे बलिया जिले में बहुत से स्कूल सरकार की योजना के अन्तर्गत खुले हैं और खुलते जा रहे हैं। इस साल दो बार स्कूल खुले। नयी योजना में खुलने वाले स्कूलों के लिये २,५०० रुपये के अनुदान की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन जिन स्कूलों की इमारतें ध्वस्त हो रही हैं और ५००, ६०० या हजार रुपये की मरम्मत के अभाव में बिगड़ती चली जा रही हैं उनके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार का ध्यान इन इमारतों की ओर भी जाना चाहिये। क्योंकि स्थानीय निकाय इस काम को नहीं कर पा रहे हैं।

मैं कुछ शब्द माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं के संबंध में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि प्राइवेट स्कूल जो इस प्रदेश में चलते हैं वे व्यापार, गुटबाजी और पार्टीबाजी के अड्डे हो गये हैं। सर्व प्रथम, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मुझे प्राइवेट ऐसी सभी चीजों से नफरत है। ये स्कूल सही मानों में प्राइवेट स्कूल नहीं हैं, और उन्हें प्राइवेट स्कूल से सम्बोधन करना ही, मैं समझता हूं, अन्याय है। ये सही मानों में पब्लिक स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

हैं जिन्हें जन-संस्थायें संचालित करती हैं। यदि किसी स्कूल किसी प्रबन्धक या प्रबन्ध समिति द्वारा गड़बड़ियां की जाती हैं तो उनके सुधार के लिये आडिटर है और विभाग द्वारा कदम उठाये जाते हैं और उठाये जाने चाहिये। इस प्रदेश की प्रबन्ध समितियों के संघ ने बारबार आगाह किया हैं कि सेवा भावना में लगी किसी जमात को इक्का-दुक्का बुरा काम करके बदनाम न करें और यदि ऐसा कोई मैनेजमेंट हो तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिये। माननीय ग्राइस साहब ने ठीक कहा कि शिक्षण संस्थाओं की अपनी समस्यायें हैं और उनकी ओर यदि आप गम्भीरतापूर्वक नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि आप अपने साथ और प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं के साथ न्याय नहीं करेंगे।

अभी हमारे एक मित्र ने बलिया की एक शिक्षा संस्था का जिक्र किया कि वहां ९ महीने से वेतन नहीं मिला है। यह बात बिलकुल सही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक एम० एल० सी० उसके प्रबन्धक हैं और उस विद्यालय में गड़बड़ी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कूल के प्रबंधक महोदय एक वयोवृद्ध नेता हैं, उनकी इमानदारी और निष्पक्षता पर कोई विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता है। श्री जगन्नाथ सिंह जी ने मुझसे कई बार कहा कि मैं उनके स्कूल को देख लूं कि उसका काम किस प्रकार से चले। अध्यापकों की तनख्वाह बाकी है, वे परेशान हैं, कोई निर्माण का कार्य वे करा नहीं पाये हैं। ६ कमरों की बुनियादें पड़ गयी हैं, ४ कमरे अधूरे बने हैं। उन्होंने विद्यालय का हिसाब-किताब मुझको दिया। एक कमी जरूर नजर आयी। उस विद्यालय में नियुक्ति ठीक ढंग से नहीं होती। ऊपर के ग्रेड के अध्यापक आवश्यकता से अधिक हैं और नीचे के ग्रेड के अध्यापक आवश्यकता से कम हैं। इसलिये उनका बजट असंतुलित रहता है। इसका परिणाम यह है कि वेतन काफी अर्से से मास्टरों का बकाया है। इसके साथ ही साथ नियमतः जो अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है वह भी उनको नहीं मिल पा रहा है, वह भी इसलिये नहीं मिल रहा है कि उनकी पहुंच शिक्षा विभाग के दफ्तर में नहीं है। यही कारण है कि उनको ४ कमरे बन जाने और ६ कमरों की बुनियाद पड़ जाने पर भी कोई भवन अनुदान नहीं दिया गया है और पिछले ८ वर्षों से नहीं मिला है। मैं इस बात को नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी का कोई मैनेजर है तो उसको डिपार्टमेंट फेवर करता है। मेरी तो यह निश्चित राय है कि मंत्री जी भी किसी स्कूल को कोई ग्रांट देना चाहें और डिपार्टमेंट के अधिकारी और क्लर्क यदि यह तय कर लें कि उनको ग्रांट नहीं देनी है, तो उसको ग्रांट मिल ही नहीं सकती। मैं इस बात को भी जानता हूं कि माननीय मंत्री जी अनुदान के बारे में स्वयं चिंताशील हैं, वह इस चीज को स्वयं ही संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर देखें और यह जो जाल इलाहाबाद के दफ्तर से लेकर जिले के दफ्तर तक फैला हुआ है, उसमें कुछ तब्दीली करें। जो २०–२० साल और १०–१० साल से लोगों ने वहां गद्दी बना रखी है, जिस पर बिना चढ़ाये वे कुछ काम करते ही नहीं हैं, उसको समाप्त करें। यह नियम बना दिया जाय कि इलाहाबाद डायरेक्टर के दफ्तर में ३ साल से ज्यादा कोई क्लर्क नहीं रहेगा। दसियों साल से पड़ा हुआ क्लर्क फाइलों को इधर उधर नचाता है। अध्यापकों की हालत को सुधारा जाय। मैनेजमेंट का कोई आदमी भी यह नहीं चाहता है कि अध्यापकों को कम तनख्वाह दें, लेकिन जब तक संस्था की आर्थिक हालत न सुधरेगी अध्यापकों को किस प्रकार से वेतन मिलेगा। हमें यह सोचना है कि इन शिक्षा संस्थाओं की हालत किस प्रकार से सुधरे। कहा गया कि ६० रुपया देते हैं लेकिन १२० रुपया पर दस्तखत कराते हैं। आपने एक ग्रेड फिक्ज कर दिया। आपने मान्यता दे दी और मान्यता देने के बाद कह देते हैं कि तीन साल तक ग्रांट नहीं देंगे। महाराष्ट्र प्रदेश में पहले भी यह व्यवस्था थी कि जिस संस्था को उन्होंने मान्यता दे दी उसको उन्होंने ग्रांट की लिस्ट में चढ़ा लिया। ग्रांट लिस्ट पर चढ़ाने के लिये कोई सिफारिश नहीं कर सकता। जो कुछ भी प्रतिबन्ध लगाना हो वह मान्यता के अवसर पर ही लगाते हैं। उन्होंने मान्यता दी और उस विद्यालय को ग्रांट देना शुरू कर दिया। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता

हूं कि यदि आप चाहते हैं कि टीचर्स को उनके वेतन-क्रम के अनुसार मैनेजमेंट सही वेतन दे, तो आप जिस वक्त मान्यता दें उसी साल से आप अनुदान देना शुरू कर दें और नियमानुसार अनुदान देवें। आज जो भी अनुदान दिया जाता है वह किसी नियम के अनुसार नहीं दिया जाता। क्लर्क जिस पर प्रसन्न हो गया उसने हिसाब बैठा दिया। जिसको ५ हजार अनुदान मिलना चाहिये उसे ६ हजार दिला दिया और जिसे ६ हजार मिलना चाहिये उसे तीन ही हजार दिलाया। यह तो वहां का हिसाब-किताब है। यदि आप नियमानुसार सही अनुदान देंगे तो अध्यापकों को भी वेतन समय से और ठीक ढंग से मिल सकेगा।

आज सबसे बड़ा असंतोष जो हमारे प्रदेश में है वह राजकीय और अराजकीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में भेद को लेकर है। मुझे आशा है कि नये शिक्षा मंत्री जी इस भेद को मिटाने का प्रयास करेंगे।

दूसरी बात यह कही गयी कि इस पेशे में छटे छटाये लोग आते हैं जिनको और कहीं काम नहीं मिलता जिससे शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता व बिना टिकट रेल में सफर करने व चेन पुलिंग की भावना बढ़ रही है। मेरे जिले में भी चेन पुलिंग तथा बगैर टिकट फर्स्ट क्लास में चलने की बड़ी बीमारी है लेकिन जब मैं कभी रेल से चलता हूं तो ऐसे लड़कों को ठोकता भी हूं और दूसरे तरह के भी दण्ड देता हूं। जिस वक्त मैं ट्रेन पर सवार रहता हूं और उन सब को मालूम रहता है कि मैं इस ट्रेन से जा रहा हूं तो चाहे जिस संस्था के भी लड़के हों, किसी डिग्री कालेज के हों या माध्यमिक हाई स्कूल के हों, सभी स्टेशन से भाग जाते हैं। जिस वक्त मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इस तरह की गलत कार्यवाही करने की तरफ वह बढ़ सके। मेरे जिले में फर्स्ट क्लास में चलने की बीमारी लड़कों को कौन कहे, अध्यापकों व बड़े अच्छे-अच्छे खद्दरपोश कांग्रेसी नेताओं तक में है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना सदन का अपमान हो जायगा। लेकिन जब किसी लड़के से इस तरह का गलत काम करने से मना किया जाता है तो वे यही कहते हैं कि देखिये हमको तो आप मना कर रहे हैं लेकिन फलां नेता तो बिना टिकट के ही फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, तो अब लड़कों को ही क्यों दोष दें। इस तरह से मेरा खयाल है कि १५ परसेंट लड़के इस तरह की गलती करते हैं तो ८५ परसेंट अध्यापक व बड़े-बड़े लोग इस तरह की गलती करते हैं। एक बार हमारी पार्टी के नेता चन्द्रशेखर जी ने लड़कों को बिना टिकट चलने पर फटकारा तो उन सबने एक बहुत बड़े नेता का नाम ले लिया जो जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट भी पिछले दो साल तक रह चुके हैं और कहा कि वे तो बिना टिकट के ही चलते हैं। तो इस प्रकार के कार्य अध्यापक व अन्य बड़े लोग भी करते हैं जिसका प्रभाव लड़कों पर भी बुरा पड़ता है। यह सही है कि इन शिक्षण संस्थाओं में स्टाफ ठीक नहीं आ रहा है, माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे इस प्रश्न पर विचार करें, उनका आयोग विचार करे कि अध्यापकों की नियुक्ति का ऐसा प्रबंध किया जाय कि अच्छे लोग इस पेशे में आवे और उनको अच्छे वेतन मिल सकें। साथ ही आप मैनेजमेंट को शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन कायम रखने के लिये अवसर दें जिससे मैनेजमेंट के लोग अध्यापकों से कार्य लेने के संबंध में उन पर अंकुश रख सकें और उनसे ठीक ढंग से काम ले सकें। पिछले ४ सालों में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने एक काम किया है और वह यह है कि इस प्रदेश के अन्दर मैनेजमेंट और टीचर्स को लड़ाया है और सरकार को एक बगल कर लिया है और अफसरों को मौका दिया है कि वह भी पंचायत कर सकें और अपना उल्लू सीधा कर सकें। हमारे पूर्वी जिलों में इतनी दूषित राजनीति श्री लारी, डिप्टी डायरेक्टर ने चलायी कि जिस मैनेजमेंट को चाहा हवा कर दिया। किसी से कह दिया कि हम उनको मैनेजर मानते हैं व्यवस्था के लिये। इस तरह के काम माननीय कमलापति त्रिपाठी के जमाने में हुए। तो उस समय जो अमेंडमेंट पास हुआ, वह उनके नजरिये से ठीक था। मैं चाहता हूं माननीय कैलाश प्रकाश जी का यह नजरिया नहीं होगा और इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे जिससे इन समस्याओं का कोई हल निकल सके।

*श्री हरीसिंह--

श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि अशिक्षित लोगों ने सारा जीवन स्कूलों में लगाया और आशा यह की इससे देश के सच्चे नागरिक बनेंगे, हमें मार्ग बतायेंगे और इनसान बनायेंगे। शहर का आदमी गांव के आदमी को मूर्ख ही पुकारता है। उन गांव के लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा दिलायी और खून पसीना से इमारतें खड़ी कर दीं जो शहर वाले नहीं कर सकते थे। शहरों में जितनी इमारतें हैं वे सरकार के पैसे से बनी हैं। मिला क्या शिक्षा से ? पार्टी बाजी मिली, जाति बिरादरी मिली, रिश्वतखोरी मिली, छोट-बड़ाई मिली, मजहबी विवाद मिला और गरीबों का शोषण मिला। और उसी शिक्षा में समाजवाद गांधीवाद और जितने भी वाद हैं सब मिश्रित हो गये। क्यों हो गये ? क्योंकि जिस गंवारपन को हमारा शहरी नापता था उसी को हमारे शिक्षित वर्ग ने नाप लिया। दो, चार अक्षर पढ़ कर हमको मूर्ख कहते हैं, उन आदमियों को जो उनसे हर क्षेत्र में परिपक्व हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरीसिंह--

समाजवाद की स्थापना हमारे नेताओं ने की। इसकी आवश्यकता क्यों हुई। जितना अधिक शिक्षित वर्ग हुआ, उतनी ही पार्टीबाजी हमारे देश में हुई। शिक्षित वर्ग जो अपने को कहता है वे लोग या तो एक दूसरे की कुर्सी छीनने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे को मारने के लिये कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा इस देश में उल्टी हुई है। जिसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वह अपनी पार्टी बना कर अलग बैठ गया। आज की शिक्षा का फल यह निकला कि वे शिक्षा के द्वारा धन कमाना चाहते हैं। देश का हित और अहित कुछ नहीं देखते शिक्षित वर्ग के लोग आज यहां विराजमान हैं। किसी ने यह नहीं सोचा है कि हम टीचर्स को कितना रुपया देते हैं। श्रीमन्, इस आदरणीय सदन के बहुत से सदस्य होंगे, जो मुझको मालूम है, राजनीतिक पार्टीबाजी करते हैं। पांडे जी इसलिये नाराज हो गये कि उन्हें कांग्रेस ने कुर्सी नहीं दी। यह देश ऐसे लोगों का है जैसे महात्मा बापू पर आज जगह जगह पार्टीबाजी है। शिक्षा से मिली है हमें रिश्वतखोरी। चाहे हमारे दफ्तर हों, चाहे शिक्षालय हों, चाहे एम० पी० हों, इससे कोई वंचित नहीं है। शिक्षित वर्ग के लोग गांव में बैनेक बैरिस्टर बनते हैं जो अशिक्षित लोगों को लड़ा देते हैं। उसके ऊपर उसकी जीविका चलती है। इस देश में जितनी पार्टियां हैं उन सब में टाप के शिक्षित लोग हैं। चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे हिन्दू महासभा हो या राम राज्य परिषद् हो। इसी शिक्षा से ही हम भाई भाई में पार्टीबाजी है। कमीशन बहुत बैठे लेकिन इच्छा यह रहती है कि हमारी किताब लग जाय और मुझे १०-५ हजार रुपये मिल जायं। यहां पर एक कमीशन बैठा था हरिजनों के बारे में। राधाकृष्ण जी उसके अध्यक्ष थे लेकिन आज तक इस सदन में वह रिपोर्ट नहीं आयी जब कि वह शिक्षा से संबंधित है। बड़े दुःख की बात है कि आज राष्ट्रीय सरकार होते हुए भी वह रिपोर्ट नहीं आयी। हमारी शिक्षा यदि वृक्षों के नीचे मिलती तो इतनी बड़ी बड़ी फीस न देनी पड़ती और उसे गरीब लोग भी दे पाते। आप आज बड़े बड़े कोट पतलूनवालों को पैसा देते हो लेकिन हमारे उस युग के विद्यार्थीगण स्वयं पैदा करते थे, उनके आचार्य स्वयं पैदा करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, अच्छी से अच्छी उनको शिक्षा देते थे।

मैं स्वयं एक स्कूल चला रहा हूं। गरीबों से पैसा लेता हूं, सरकार ने एक कौड़ी नहीं दी, मैंने किसी राजनीति को उसमें घुसने नहीं दिया, स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, रिजल्ट जिले में सबसे बेहतर। काम वहीं बिगड़ता है जहां पार्टीबाजी का दखल होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

कांग्रेस का प्रचार वहाँ होता होगा।

श्री हरीसिंह—

मेरा शरीर और मेरा प्राण, मेरा सब कुछ कांग्रेस के लिये है, मुझे दुनिया में कोई और वस्तु इतनी प्यारी नहीं है जितनी कांग्रेस है। लेकिन श्रीमन्, यह जनसंघ क्या है? जिस धर्म की बातें यह करते हैं उसको इनसे ज्यादा माननेवाला मैं हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सिर्फ दिखाने के लिये धर्म की बात करते हैं। आपको किसी भंगी से प्रेम नहीं है। महज हरिजनों की बात करते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने जो किया हरिजनों के लिये, क्या किया है आपने दूसरी पार्टियों ने कुछ किया लेकिन आपने क्या किया है? जनसंघ में कौन आ जाते हैं कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से निकले हुये लोग आपके उधर नेता बन जाते हैं। जनसंघ जितना हरिजनों के लिये खतरनाक है उतना और कोई नहीं है। कभी किसी गरीब की हिमायत जनसंघ ने की है? सरमायेदारों से आपका वास्ता है। सरमायेदार की तरफ देखना आपका काम है। हमारे एक समधी हैं। वह जनसंघी हैं। उन्होंने मुझे भी वोट नहीं दिया दूसरे को वोट दिया। अब जब मैंने पूछा तो वह कहने लगे कि छोड़िये जनसंघ भी कोई संस्था है। २० वर्ष के बाद फिर अब कांग्रेस में आ रहे हैं। आप एक फिरके, एकवर्ग और कुछ जाति बिरादरी के लोगों को लेकर चलते हो, पिछड़े वर्गों और हरिजनों के लिये आपके पास कुछ नहीं है। मैंने पुराण, उपनिषद् सब में देखा, हमारा बहुत ऊंचा धर्म है, सब धर्मों का समावेश उसमें हो जाता है। मेरे भाई कम्यूनिस्ट हैं। मैं उनसे कहता हूं कि हमारे धर्म में जो है वह कम्यूनिज्म में भी नहीं है। पुराणों में लिखा है कि दिनभर परिश्रम करने के बाद जो पैदा करो उसमें कुछ अतिथियों का स्वागत करो, स्वयं खाओ और जो बचे उसे राज्य कोष में जमा करो। यह शिक्षा है कम्युनिज्म की जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी हैं। इसलिये मैं कम्युनिस्ट दोस्तों से कहता हूं कि कम्यूनिज्म सीखना है तो कांग्रेसवालों से सीखो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि कमीशन जो आप चाहते हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। शिक्षा में आमूल परिवर्तन किये बिना साधारण गरीब आदमियों की शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रामायण राय जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी शिक्षा है उसकी कोई शिक्षा दिशा नहीं है, गति नहीं है, उसकी तरफ हम ध्यान दें। कोई भी समाज चाहे, समाजवादी समाज हो या पूंजीवादी समाज हो उसकी आधारशिला शिक्षा ही होगी और जब तक उसकी आधारशिला शिक्षा नहीं होगी तब तक उस समाज को आप कोई भी संज्ञा दें उसके निर्माण की रचना आप कर नहीं सकते। इसलिये इस गतिहीन और दिशाहीन शिक्षा प्रणाली को आप बदलें।

आज प्रारंभिक शिक्षा की हालत यह है कि जो हालत पहले थी उससे भी आज खराब है। हर साल किताबों को बदला जाता है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले एक लड़का दूसरा, तीसरा और चौथा लड़का गरीबी की हालत में भी एक ही किताब से उस कक्षा को पास कर लिया करता था। लेकिन आज ठेकेदारों द्वारा, दूकानदारों द्वारा यह हालत पैदा हो गयी है कि आये दिन किताबों को बदला जाता है। यह सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो गयी है।

प्राइमरी टीचर्स के अन्दर आज आत्मविश्वास नहीं है। उनका कहना है कि जितना मिलता है उतना वे काम करते हैं। शिक्षा की नींव प्राइमरी शिक्षा से शुरू हो जाती है, इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

उसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। प्राइमरी एजूकेशन देते समय हमारा एक लक्ष्य होना चाहिये कि हम कैसे समाज की रचना करना चाहते हैं। समाजवादी समाज बनाने के लिये जो आज की शिक्षा है वह उसमें फिट नहीं है। अगर आप इस मसले पर गौर कीजिये अगर आप चाहते हैं कि समाजवादी समाज बने, देश का डेवलमेंट हो, उद्योगीकरण हो, हर क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलाजी आदि में देश तरक्की करे तो प्राइमरी एजूकेशन की टेक्नीक को आपको बदलना होगा और तभी जो पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या आज देश के सामने है वह दूर हो सकेगी, जो बेकारी है उसका समाधान हो सकेगा और स्कूल, कालेज तथा युनिवर्सिटीज में जो आये दिन भरती की समस्या खड़ी हो जाती है उसका भी समाधान हो सकेगा। लोगों में जो असंतोष है कि उनके लड़के भरती नहीं हो पा रहे हैं। वह कठिनाई भी दूर होगी। फिर शिक्षा पद्धति अलग-अलग बटी हुई है। सरकारी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है। पब्लिक क्षेत्र में कई तरह की संस्थायें हैं जैसे मांटेसरी स्कूल। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां फीस बहुत पड़ती है और केवल अमीरों के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इस सबका समन्वय होना चाहिये, ताकि सभी को शिक्षा मिल सके तभी निरक्षरता दूर हो सकेगी और आपको एक किस्म की शिक्षा प्रणाली को अपनाना होगा।

श्रीमन्, राष्ट्रीयकरण का जहां तक सवाल है उसका विरोध होता है और माननीय काशीनाथ जी ने अभी कहा कि अगर शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हो गया तो जिस पार्टी की सरकार होगी उसी की नीति चलने लगेगी। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अगर कोई सरकार है जो समाजवाद के सिद्धांत को मानती है, जिसमें उसकी आस्था है, जो प्लांनिग को मानती है, यदि उस नीति के मुताबिक शिक्षा नहीं दी जाती है तो कोई भी चीज उसकी सफल नहीं हो सकती है। इसलिये यह कहना गैर मुनासिब बात है। प्राइवेट लोग जिन शिक्षा संस्थाओं को चला रहे हैं, वहां मास्टरों का प्रश्न है, अनुशासन हीनता पैदा हो गई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आये दिन उन शिक्षा संस्थाओं के लड़कों और मास्टरों का इस्तेमाल, चुनाव में उस पार्टी द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं जिस पार्टी का मैनेजर होता है या उसकी जिस पार्टी से हमदर्दी होती है। अगर आप सही माने में अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना होगा। अगर आपको राष्ट्रीयकरण से चिढ़ है तो राजकीयकरण कीजिये। तब जाकर मास्टरों और लड़कों का भविष्य बन सकता है। इन प्राइवेट संस्थाओं में अच्छे अध्यापक नहीं होते हैं। उसके लिये या तो उनका सलेक्शन पी० एस० सी० द्वारा कराइये या फिर एक बोर्ड द्वारा कराइये। इसके सामने न जाति का सवाल आ सकता है और न धर्म का ही सवाल आ सकता है और अच्छी योग्यता के अध्यापकों को ही यह रखेगा। इस प्रकार मैं समझता हूं कि योग्य अध्यापक मिल सकते हैं। १६ वर्ष के बाद भी आपका ध्यान इधर नहीं गया है। आज अच्छे और बुरे अध्यापक जो उसमें लगे हुये हैं उनको एक ही वेतन मिलता है। इस असमानता को खत्म करना होगा।

दूसरी बात यह है कि आज हालत यह है कि ग्रांट देते समय भी भेदभाव किया जाता है। कहीं ज्यादा लड़के हैं, मास्टर भी अधिक हैं और रिजल्ट भी अच्छा है लेकिन अगर उस संस्था का पार्टी विशेष से संबध नहीं है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते हैं तो जिन संस्थाओं को मान्यता देते हैं उन सबको एड दी जाय ताकि लोगों को दौड़ना न पड़े और वे समझ जायं कि हमारा नाम भी लिस्ट पर आ गया है। इसलिये इस साल नहीं तो अगले साल हमें एड मिल जायगी।

प्राइवेट संस्थाओं में फर्जी चपरासी रखे जाते हैं। एग्रीकल्चर के सिलसिले में कुछ आदमी रखे गये, उनसे घर की खेती का काम कराया जाता है। सरकार की तरफ से हरिजन लड़कों के लिये मैनेजमेंट को फीस दी जाती है। एक स्कूल में ५० हरिजन लड़कों के फर्जी नाम लिखे गये थे जिनके मां, बाप तथा गांव का कुछ पता नहीं है। यह सब कार्यवाहियां सरकार को धोखा देने के लिये हो रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा को अपने हाथ में ले। इन संस्थाओं का राजकीयकरण किया जाय। सरकार की तरफ से शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश की गई, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जितना काम होना चाहिये

उतना नहीं हुआ । आपका सूबा शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के पैमाने पर पिछड़ा हुआ है, चाहे लड़को की शिक्षा हो, चाहे लड़कियों की शिक्षा हो, चाहे टेक्निकल शिक्षा हो । किसी भी क्षेत्र में आप आगे नहीं हैं । हो सकता है कि एक आध प्रांत के ऊपर हों । १९६१ में जन-गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में १७.५ प्रतिशत साक्षरता है जब कि दस वर्ष पहले १९५१ में १७.४ थी । तो दस वर्षों के अन्दर १ प्रतिशत साक्षरता बढ़ी है । तो मैं कैसे मान लूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं । इसलिए यह प्रस्ताव बहुत मौलिक है, टाइम के साथ रामायण राय जी ने पेश किया है इसके ऊपर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । अगर वह इस पर विचार नहीं करेगी तो कोई भी काम प्रदेश का पूरा नहीं हो सकता ।

एक बात और आवश्यक है । शिक्षा की नीति युग के अनुसार और जिस सिद्धांत में सरकार की आस्था है, उसके अनुसार होनी चाहिये । उसके साथ-साथ छात्र-छात्राओं की पोशाक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । सड़कों पर छात्र-छात्राओं की पोशाक तो देखिए, क्या हालत है ।

(इस समय ३ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

पोशाक एक किस्म की होनी चाहिये चाहे मोटे कपड़े की हो, चाहे खादी हो, या महीन कपड़े की हो और छात्र, छात्राओं की चुस्त पोशाक पर चाहे वह फुल पैंट हो, या शलवार हो, प्रतिबन्ध होना चाहिये ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । कुछ लोगों ने बहुत जोर से राष्ट्रीयकरण या या राजकीयकरण का विरोध किया । कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर और अल्लाह का नाम खत्म होता जा रहा है । मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता । लेकिन मैं यह पुनः दोहराता हूं कि सरकार को समाजवाद के आधार पर समाजवाद की शिक्षा देनी चाहिये और यह जो बुनियादी शिक्षा है, प्राइमरी एजूकेशन वहीं से शुरू होनी चाहिये, जहां से नींव मजबूत होती है, राष्ट्र के कर्णधार पैदा होते हैं । इसलिये मैं शिक्षा मंत्री से अपील करूंगा कि आयोग का गठन करने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लीजिये या न स्वीकार करें तो समाजवादी सिद्धांत पर शिक्षा देने के लिये और प्राइमरी शिक्षा के ऊपर साइंस और टेक्नोलाजी के आधार पर शिक्षा देने के लिये हम लोगों को आश्वासन देना चाहिये । तभी समाजवादी समाज बन सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज शिक्षा के संबंध में यह मांग की जा रही है कि आयोग की स्थापना की जाय । मैं समझता हूं इस मामले में विचार करने के लिये सदन में ही क्यों न एक दो दिन का समय रखा जाय । इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय, अध्ययन किया जाय और फिर सदन निश्चय करे कि हमारी प्राइमरी शिक्षा किस तरह की हो, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और फिर कालेज की शिक्षा किस प्रकार की हो । मैं यह समझता हूं कि इस समय शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की भ्रामक बातें चल रही हैं उससे ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है कि जिससे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह बात सही है कि आज जिस तरह हमारे मुल्क में राजनीतिक और सामाजिक पार्टियां हैं वह अपनी-अपनी भावना और अपने विचारों के अनुसार शिक्षा जगत में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं । हमारे प्रदेश के अन्दर एक तरह की शिक्षा का बड़ा ही अभाव है । कहीं पर जनसंघ की विचारधारा के लोग हैं, वह अगर कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो वह यह कोशिश कर रहे हैं कि उनके अलग से जो अपने नारे, या धार्मिक सिद्धांत हैं, वह वहां पर चलाये जायं । इस तरह से पढ़ाने के कार्यक्रम और शैली के अन्दर इन सब बातों का समावेश करके वह शुरू से ऐसा वातावरण बनाने और उसमें उनको ढालने की कोशिश कर रहे हैं । इसी तरह से और भी दूसरे साइड के लोग हैं जो कि धार्मिक विचारधारा के नाम पर विषैला प्रचार और विषैला कार्यक्रम अपनी उन प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के द्वारा फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे

[श्री मुरलीधर कुरील]

बच्चे वहां से निकल कर सांसारिक जीवन में आते हैं उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरी होती हैं कि जिसके परिणाम हम नित्य देख रहे हैं और जिसकी वजह से हम यह सोच रहे हैं कि अपने मुल्क के अन्दर शांति और व्यवस्था किस तरह से कायम रखें और उनके ऊपर किस तरह से काबू पाया जाय ? इसलिए मुल्क के अन्दर शांति और सुरक्षा बनाये रखने तथा मुल्क को आगे बढ़ाने एवं विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा का कार्यक्रम व स्तर बिल्कुल एक तरह का हो । पिछले समय में हम देखते थे कि प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद जो छात्र निकलते थे वह अगर उससे ऊंची शिक्षा लेने न भी जायं, तो भी अपनी जिन्दगी में अपनें घरेलू कार्यों को वह बड़ी कुशलता के साथ संपादित कर लेते थे और अपने घर का हिसाब-किताब रखने, चिट्ठी-पत्री लिखने तथा साधारण काम अपने घर के और आस-पास के कर लेने में वह पूरे-पूरे सफल होते थे । लेकिन आज जो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र निकलता है उसको अगर साधारण तरीके का जोड़ बाकी जरा लम्बा सा दे दिया जाय तो वह उसे नहीं कर सकेगा लिख सकता है । तो शिक्षा का स्तर आज इतना नीचे चला गया है और जैसे मैंने बतलाया उसमें और न एक जुमला सही भिन्नता होने के कारण अनुशासनहीनता आदि का समावेश उसमें होता जा रहा है । इसलिए शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए कि अगर प्राइमरी शिक्षा पास कर लें तो उसके बाद फिर अपने गांव-घर का काम चला सकें और फिर उसके बाद जूनियर रखा जाय या न रखा जाय यह भी एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि जब हम माध्यमिक शिक्षा उधर कर देते हैं तो बीच में जूनियर की क्या आवश्यकता रह जाती है और या फिर जूनियर हाई स्कूल तक की ही शिक्षा रखी जाय, बीच में से प्राइमरी हटा दिया जाय । यह रखा जाय कि जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा जो लोग प्राप्त कर लें वह उनके लिये घरेलू कामकाज के लिए काफी हो । इसके बाद फिर बटवारा हो जाय ।

माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन लड़के जायेंगे और फिर वहां से निकलने के बाद डिग्री क्लासेज, विज्ञान या टेकनिकल शिक्षा के लिए कैसे-कैसे लड़के लिये जायेंगे ? इसका बटवारा उसी तरह से हो जाय जिस तरह कि आप देखें कि पुलिस में जब हम नवयुवकों को लेते हैं । और पुलिस कांस्टेबिल को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद जब उनका कोर्स खत्म होता है तो उनकी परीक्षा होती है । तब उनमें से छांटते हैं कि कौन आदमी आर्म्स पुलिस में जाय, कौन सी० आई० डी० में जाय और कौन सिविल पुलिस में जाय इस तरह से उनका वर्गीकरण करते हैं जो उनके मार्क्स और योग्यता के आधार पर होता है । उसके बाद उसको उसी ग्रुप में जा कर स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसको पढ़ना होता है । माध्यमिक शिक्षा के बाद हमारे यहां यह चीज हो जानी चाहिये कि इसके बाद किस तरह कौन छात्र जाय । अगर वह जाना चाहता है तो उसमें उसको पूरी शिक्षा मिल जाय । इस तरह से जो हम प्रारम्भिक वातावरण बनाना चाहते हैं उसका इन्तजाम हो जाता है ।

आज जिस तरह का वातावरण है उसमें हमको दिशा नहीं मिल रही है कि हम किधर जा रहे हैं तो वह बहुत हद तक समाप्त हो जायगा । इसके साथ ही साथ बहुत दिशायें ऐसी हैं जिनमें हमको बच्चों की जरूरत है लेकिन उसके बच्चे उस दिशा से नहीं निकल पाते हैं । आज हम विकास युग में बहुत से निर्माण-कार्य आरम्भ कर चुके हैं । बहुत-सी ऐसी दशाएं हैं जिनमें हमको टैक्नीशियन चाहिये लेकिन उतने टैक्निशियन नहीं मिलते हैं । दूसरी दिशायें हैं जिनमें लड़के बहुत अधिक निकलते हैं और उसमें उनकी खपत न होने के कारण बेकारी बढ़ जाती है । इस तरह से कार्य-क्रम बनाकर उन लड़कों का यदि हम वर्गीकरण कर दें तो हमारे पास भी जो टैक्निकल आदमियों की कमी है वह पूरी हो जायगी । इस तरह से जो मैंने २,३ सुझाव रखे हैं इन पर सरकार विचार कर ले और सोचे । इसलिये मेरी राय में यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक कमीशन बनाया जाय, तभी उस दिशा में कोई कार्य हो सकेगा । जब उस दिशा के लिये शिक्षा की स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है और उसमें विचार हो या फिर यह मौका सदन को मिलना चाहिये और सदन उस पर पूर्ण रूप से विचार करे और फिर हम कोई दिशा तय करें । इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी देश के लिये, जो देश स्वतंत्र हो और जनतंत्र की बात कहता हो, उसके लिये यह आवश्यक है और नितान्त आवश्यक है कि शिक्षा के जगत में अपनी दिशा को निर्दिष्ट करने के लिये कोई यथोचित कदम उठाये। मुझे अफसोस है कि हम स्वतंत्र तो जरूर हुये और हम लोगों ने आजादी तो जरूर प्राप्त कर ली लेकिन शिक्षा के जगत में आज भी हम गुलाम हैं और गुलामों की तरह अपनी नीति अपनाये हुए हैं जो हमारे लिये कलंक की बात हो सकती है। आज अगर आप उन देशों को देखें जो देश दुनिया में गुलाम रहे हैं तो उन देशों में जर्मनी भी है और जर्मनी का संस्थापक, जो सबसे बड़ा फासिज्म का हीरो कहा जाता था, हिटलर, वह कहा करता था कि नवयुवकों को उनके दिमाग से नहीं बल्कि उनके खून से सोचने दो। वह इसलिये कहता था कि उसकी शिक्षा-नीति और उसकी प्रशासन नीति ऐसी थी जो मुल्क के अन्दर फासिज्म ला सकती थी और जनतंत्र का वह सृजन नहीं कर सकती थी। इसलिये उसके दिमाग में इस तरह की भावना थी। श्रीमन्, जिस समय हमारी सरकार अंग्रेजों से आजादी पाई और गुलामी दूर करके हम स्वतंत्र हुये तो हम समझते थे कि हम जनतंत्र के पहलुओं पर एक सुनियोजित शिक्षा नीति अपनायेंगे लेकिन हमें दुख होता है कि आज इतने साल आजाद होने के बाद भी अगर हम सारे हिन्दुस्तान के आंकड़ों को देखें कि हमने कितने लोगों को शिक्षा दी और कितना शिक्षा जगत में अभी तक काम हुआ तो श्रीमन्, मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार हिटलर की उसी नीति पर इस जनतंत्र को ले जाना चाहती है जो इस मुल्क में एक पार्टी की ही सरकार का सृजन करेगी। जब आप गांधी जी की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, उसके मौलिक सिद्धान्तों को अपनाते हैं तो आपका परम पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि आप इस ओर ध्यान दे कर विचार करें।

मैं श्रीमन्, फ्रीडम इंडिया १९६३ नाम की पुस्तक से कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। उस पुस्तक से पता लगता है कि भारतवर्ष में कुल २४ परसेंट लोग शिक्षा प्राप्त कर सके हैं। इस में पुरुषों को ३४.४ परसेंट और स्त्रियों को १२.९ परसेंट शिक्षा प्राप्त हुई है। हमारे प्रदेश की कुल साढ़े सात करोड़ आबादी में आप केवल १,०२,२५,६६४ व्यक्तियों को शिक्षा दे पाये हैं, कुल का २९.३ परसेन्ट। इसमें हमने ४०.१ प्रतिशत पुरुषों को और १७ प्रतिशत स्त्रियों को शिक्षित किया है। यदि अन्य प्रदेशों से इन आंकड़ों की तुलना करें तो पता चलेगा कि हर प्रदेश ने शिक्षा में अधिक उन्नति की है और हम सबसे पीछे हैं और हमारी कोई ऐसी नीति नहीं है कि हम उन्नति कर सकें। आन्ध्र में कुल २१.२ परसेन्ट शिक्षित हैं जिसमें पुरुषों का ३०.२ प्रतिशत और औरतों का १२ प्रतिशत। आसाम में कुल ३७.३ परसेंट शिक्षित हैं जिसमें १६ प्रतिशत औरतें शिक्षित हैं। गुजरात में ४१.८ परसेंट पुरुष शिक्षित हैं और १९.१ प्रतिशत औरतें शिक्षित हैं। केरल में टोटल लिट्रेट है ४६.८ परसेंट जिसमें ५५ प्रतिशत पुरुष शिक्षित हैं और ३९.९ परसेंट स्त्रियां शिक्षित हैं। इस प्रकार सारे प्रदेशों में यहां से ज्यादा लिट्रेसी है। इसमें कोई इधर का या उधर का सवाल नहीं है। हमको इसमें अपनी विचार भिन्नता को छोड़कर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आप देखें कि चीन १९४९ में आजाद हुआ लेकिन उन्होंने अपनी टेक्निकल, रूरल, ऐग्रीकल्चर एजूकेशन के लिये निश्चित नीतियां बनायीं, जिस तरह से वे शिक्षा देना चाहते हैं इसकी व्यवस्था उन्होंने की। अपने देश की शक्ति बढ़ाने के लिये उन्होंने अपनी एक प्लान्ड पालिसी अपनायी। हमारे देश में, प्रदेश में स्थिति यह है कि यहां कोई शिक्षा की मौलिक नीति नहीं है। कोई आधारशिला नहीं है। केवल एक निश्चित बात है कि सरकार आज तानाशाही के नाम पर लोगों की बुद्धि और दिमाग पर ताला लगाकर हुकूमत करे, इसके अलावा कोई शिक्षा की नीति नहीं है। इसको साफ करना पड़ेगा अगर देश में सही तरीके से पुनीत सिद्धान्तों की स्थापना करना है। मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता कि पब्लिक मैनेजमेंट को शिक्षा की संस्थाओं में कायम किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

मैं उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने गुलामी के समय से आज तक शिक्षा संस्थाओं के अन्दर एक उत्थान की दृष्टि से काम किया, लेकिन शिक्षा संस्थाओं के अन्दर अगर राजनीति आयेगी तो अनुशासनहीनता आयेगी, शिक्षा का स्तर गिरेगा और देश को नैतिक स्तर पर नहीं ले जाया जा सकता। नैतिकता प्रचार से नहीं बढ़ सकती है, वह तो जब हम मूलभूत सिद्धान्तों पर आस्था रखते हुये उन पर अमल करेंगे और एक गंतव्य रास्ता अख्तियार करेंगे तभी उसमें हमें सफलता मिलेगी। आज यह सर्वविदित है कि हमने देश के छोटे बच्चों को जिनके ऊपर देश का भविष्य है ऐसी नैतिकता दी जिस से वह अनुशासनहीन बनें। जो लोग ऐसी शिक्षा संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण होने देने के रास्ते में बिघ्न बाधा पैदा करते हैं वह बहुत हद तक इसके लिये जिम्मेदार हैं। मैं भी शिक्षा संस्थायें चलाता हूं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा संस्थाओं को चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। मैं अदब से कहता हूं कि जिस समय वर्कर्स की कमी पड़ती है चुनाव में तो उन संस्थाओं के कर्मचारियों से कहा जाता है कि गांव में जाओ और हमारा प्रचार करो और उनको न चाहते हुये भी जाना पड़ता है। हो सकता है वह ऐक्टिव तरीके से काम न करें लेकिन यह वास्तविकता है जिसकी तरफ आपको सही तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, चाहे उधर के लोग हों या इधर के हों। इस प्रदेश में कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था नहीं है, प्राइवेट या पब्लिक जो किसी नेता से सम्बन्धित न हो। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि उसके अन्दर राजनीति नहीं आयेगी? वह आयेगी और जिसका असर जैसा कि संकल्प में कहा गया है बच्चों के दिमाग पर पड़ना अनिवार्य है। आप जनतंत्र का नाम लीजिये, लेकिन नैतिकता उस से क्षीण होती है। जैसा कि ऊदल जी ने कहा, यह एक गरीब प्रदेश है जिसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं और फिर भी उनको कुछ नहीं मिल पाता। आज वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मगर पढ़ा नहीं सकते, कारण क्या है? कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जो कुछ खेती से उनको मिलता है वह सब उसी में लग जाता है। उसके पास इतना बचता ही नहीं कि वे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में कुछ खर्च कर सकें। अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षा संस्थायें थीं उनका एक निश्चित पाठ्यक्रम था। गांव में अगर कोई बड़े आदमी का लड़का होता था, तो उसकी किताबें गरीबों को अक्सर मिल जाया करती थीं। आज तो आपका पाठ्यक्रम रोज-रोज बदलता रहता है। गरीबों के बच्चों का समय आज जानवरों के पीछे ही बीत जाता है, उन्हीं को चराने में बीत जाता है, शिक्षा वे प्राप्त नहीं कर पाते। सरकार को चाहिये कि वह इसके लिये कामर्शियल लाइन पर न सोच कर सामाजिक लाइन पर सोचें और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निश्चित करें।

मैं भी श्रीमन्, एक इंस्टीट्यूशन को चलाता हूं। श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के नाम से मैंने महाराजगंज में एक कालेज खोला है जिसकी नींव पंडित नेहरू ने डाली है। उस कालेज में जिले के अन्य कालेजों की अपेक्षा सबसे ज्यादा लड़के पढ़ते हैं। आज ८ साल हो गये, सरकार ने ग्रांट-इन-एड बन्द कर दी है। फीस के सहारे ही वह स्कूल चल रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार एक सुनियोजित ढंग से सारे कालिजों को चलाये और उनको अपने हाथ में ले।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव के अन्त में कहा गया है कि शिक्षा के स्तर के गिरने और अनुशासन हीनता फैलने की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना की जाय। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज शिक्षा जगत में उथल-पुथल मची हुई है। अनुशासन हीनता भी बढ़ती जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है। उसका कारण क्या है ? आज काम उसी प्रकार हो रहा है कि जैसे दर्द हो सिर में, और मालिश की जाय पेट में। विचार इस बात पर किया जाना चाहिये कि शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता क्यों फैलती जा रही है। हमारा भारत देश कोई १००–२०० साल की सभ्यता वाला देश नहीं है। यह देश कोई ऐसा देश नहीं है जिसके लिये यह कहा जाय कि हमारे पूर्वज कच्चा मांस आदि खाकर जंगलों में घूमा करते थे। हमारी परम्परा भी कोई ऐसी नहीं रही है कि हम अपने को बन्दरों की औलाद मानें।

हमारे पास हमारे भूतकाल का एक इतिहास है। हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा हम देख सकते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में कितना अनुशासन था हमारे भारतवर्ष में। आप भागवत को उठाकर देखें, मैं जानबूझ कर उसको एक ऐतिहासिक ग्रंथ कह रहा हूं क्योंकि जो आजकल की पढ़ाई है वह अंग्रेजों की देन है, वह इनको ऐतिहासिक ग्रंथ न कह कर गपोड़े कहती है। आरुणी एक शिष्य था धौम्य का। गुरु धौम्य के खेत में एक बार बरसात में पानी भरने लगा। गुरु ने शिष्य आरुणी को भेजा। सायंकाल के समय जब गुरु ने आरुणी को न देखा तो खेत पर गये और आवाज लगाई कि प्यारे बेटे आरुणी, कहां हो ? उसने आवाज दी कि यहां लेटा हुआ मैं पानी रोक रहा हूं। पानी न रुका तो वह लेट गया और पानी को रोके रहा। अब सोचिये कि वह कौन-सी चीज थी जो इस प्रकार से अनुशासन को कायम किये हुये थी। क्या वह आज के बच्चों की तरह न था, क्या वह आज के मां-बाप की तरह डेडी व मम्मी का बच्चा नहीं था ? क्या उसके मां-बाप उसको प्यार नहीं करते थे ? उस का कारण यह था कि उस समय की शिक्षा का उद्देश्य ही मनुष्य बनना था।

आज कल की शिक्षा किसी ध्येय को लेकर नहीं है केवल एक चीज के लिये ही उसकी प्लानिंग की जाती है और उससे वही चीज पैदा भी होती है। १८७३ में मेकाले साहब ने इस शिक्षा पद्धति का उद्घाटन किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें भारत के समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसका रूप, रंग और शरीर तो भारतीय हो लेकिन मन और मस्तिष्क अंग्रेजी हो जाय। इसी आधार पर हमारी शिक्षा की प्लानिंग की गयी है। आज राम, कृष्ण, गौतम और गांधी के देश में हमारे अनुशासनहीन बालक सिनेमा के टिकटों के लिये दंगा मचाते हैं, मारे-मारे फिरते हैं, चौराहे पर खड़े हो कर सिपाहियों को गाली देते हैं। साइकिल पर जानबूझ कर ३–३ और ४-४ बैठते हैं, अनुशासन हीनता को उच्च स्तर की चीज समझते हैं। सरकार यह कह कर नहीं टाल सकती कि मां-बाप की जिम्मेदारी है। अंग्रेजी सरकार भले ही इस बात को कह सकती थी लेकिन यह सरकार नहीं कह सकती जो राम राज्य को मानती है, जिसमें अकाल मृत्यु हो जाने पर भी राज्य को उसका जवाब देना पड़ता था। आज जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है उसको बच्चे पढ़ाने वाला नौकर समझते हैं। लड़का समझता है कि हम उसको तनख्वाह देते हैं, वह पढ़ाने के लिये हमारा नौकर है, हम उसके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं।

यह कब से शुरू हुआ, इसकी भी एक परम्परा और इतिहास है। राम और कृष्ण को आप देखें। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जिनके सामने इन्द्र भी जाने में सहमता था, ऐसे प्रतापी राजा के पुत्र श्री राम, गुरु वशिष्ठ के यहां पढ़ने के लिये गये और २५ साल तक नीम की पत्ती खाकर और मूंज-मेखला पहन कर अध्ययन किये। कृष्ण के समय में भी यही व्यवस्था थी। लेकिन जब भीष्म पितामह ने गुरु द्रोण को अपने १०५ नातियों को पढ़ाने के लिये पैसे दे कर के ट्यूशन पर रखा तो उस शिक्षा से राम और कृष्ण पैदा न हो कर कौरव पैदा हुये जिसने इस देश का सत्यानाश कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने उस आदर्श को क्यों छोड़ दिया ?

आज कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज में अनुशासन हीनता बहुत बढ़ गयी है, लेकिन इसके ऊपर भी कभी विचार किया गया कि इसके कारण क्या हैं ? जब से इन शिक्षा संस्थाओं में यूनियनों के चुनाव होने लगे हैं उसमें हमारे बड़े-बड़े नेता लोग भी भाग लेने लगे हैं। चाहे किसी भी दल के लोग हों, मैं किसी खास दल के लिये नहीं कहता, वे वहां जरूर पहुंच जाते हैं और वहां यही सवाल होने लगता है कि फलां कांग्रेस पार्टी की यूनियन है, फलां

[कुंवर श्रीपालसिंह]

कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन है, फलां इस पार्टी की है, फलां उस पार्टी की है। इस तरह से शिक्षण संस्थाओं में चुनाव का एक अखाड़ा कायम कर दिया गया है जिस से देश बर्बाद होता जा रहा है। जब चुनावबाजी वहां होगी तो ख्वामख्वाह टीचरों में डिवीजन होगा और कुछ इधर होंगे तो कुछ उधर होंगे। बकौल गोविन्दसहाय जी के कुछ समाजवादी विचारधारा के होंगे और कुछ दूसरे विचारधारा के होंगे। नतीजा यह होगा कि तीन चार विचारधारायें हो जाने पर वह राजनीतिक अखाड़ा बन जायगा और फिर उसका दोष कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा। अगर आप से इसके सम्बन्ध में कहा जायगा तो आप अनुशासनहीनता को दोष देंगे और कहेंगे कि मेरे पास इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है कि सम्बन्धित कालेज बन्द कर दिये जायं या सम्बन्धित स्कूल तोड़ दिये जायं। इस तरह से आपकी एक पलायनवादी नीति हो रही है। अगर कहीं लड़ाई हो जाय तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जायं, कहीं कोई आपत्ति आये तो वहां से आप भाग जायं, तो इस से तो काम चलने का नहीं है। भले ही आप भाग जायं, दूसरे लोग भाग जायं लेकिन यह देश तो भाग नहीं सकता है, इस देश के रहने वाले तो भाग नहीं सकते हैं। हमें तो सबों को साथ ले कर चलना है। आज ऐसे लोग पैदा हुये हैं जो संसार के सामने एक प्रमाण हैं।

जो अनुशासनहीनता की बात कही जाती है उसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी की पढ़ाई। माननीय मंत्री जी इस बात को याद रखें कि जब तक आप शेक्सपियर और मिल्टन को पढ़ायेंगे तो स्वाभाविक है कि लड़कों का चरित्र भी उन्हीं की तरह होगा जिनका केवल मात्र काम अपने पूर्वजों से झगड़ा करना ही था। मैकबेथ को पढ़ाकर क्या आप रामचन्द्र पैदा करना चाहते हैं? हमारी तो संस्कृति यही है कि जब बच्चा पैदा होता था तो उनकी जबान पर ओ३म् लिखा जाता था जो कि ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है। बच्चों के पैदा होने के समय से ही हमारे यहां प्लानिंग होने लगती थी और यही कारण है कि रामचन्द्र जी अकेले ऐसे समर्थ थे कि उन्होंने बानर, भालुओं की सेना इकट्ठा करके रावण जैसे समर्थ राजा को देखते-देखते मार दिया। क्या शेक्सपियर और मिल्टन को पढ़ा करके ऐसे समर्थ आदमी पैदा किये जा सकते हैं? जब आप बिल्ली चूहे की कहानी पढ़ायेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? शेक्सपियर और मिल्टन जो पढ़ेंगे और जो उनको पढ़ कर पैदा हो सकते हैं वही पैदा हो रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में घूम कर देखें कि कौन-सी चीज वहां पढ़ाई जाती है और नतीजा यह है कि वहां फेल होने की संख्या लड़कों की बढ़ रही है। रोज कैरीकुलम बनता है और बदलता है, रोज सब्जेक्ट बदलते हैं आज ४, कल ५, परसों ३ रोज बदलते हैं। इस तरह से शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रही है जब से यह सरकार पधारी है। लिपि में कभी ई की आधी पाई, कभी पूरी पाई। मेरी समझ में तो सरकार खुद स्त्रीलिंग शब्द है, आपके वित्त मंत्री जी जैसे विद्वान् भले ही उसको नपुंसकलिंग बना दें, वह जो चाहे बना दे। एक शिक्षा मंत्री जी आये, उनका नाम मैं क्यों लूं सब जानते हैं उन्होंने कहा कि छोटी इ की आधी पाई और बड़ी ई की पूरी पाई होगी, वह शिक्षा के बड़े भारी विद्वान भी थे। फिर उसके बाद वह भी बदल दी गई और जैसी थी वैसी रखी गई। लड़के अजीब चक्कर में पड़े कि पहले तो यह पढ़ा था और अब कहते हैं कि वह मात्रा नहीं फिर वही पुरानी। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों रोज-रोज यह परिवर्तन होते हैं। वह बादशाह मुहम्मद तुग़लक जैसा करता था कि दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली, वही हाल इनका है। रोज शिक्षा नीति बदलती है। रोज सोचा जाता है कि हमारे लिये किस वक्त में कौन-सी चीज फिट बैठेगी और यह कभी नहीं सोचा जायेगा कि देश के लिये कौन-सी चीज फिट बैठेगी। और सब चीज का प्लानिंग है जैसे मुर्गी का प्लानिंग, घोड़ों का प्लानिंग, गायों का प्लानिंग, हमारे चरणसिंह जी रोज कहते हैं कि हमारे यहां बढ़िया नस्ल की गायें पैदा हो रही हैं और वह बहुत दूध दे रही है, सारी प्लानिंग है लेकिन मनुष्य पैदा करने के लिये इनकी कोई प्लानिंग नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

उसको तो रोकने के लिये प्लानिंग है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आपके पास तो हर चीज को रोकने के लिये प्लानिंग है, किसी चीज के विकास के लिये आपकी प्लानिंग नहीं है। आपके पास बुद्धि के विकास को रोकने की भी प्लानिंग है, विचारधारा को रोकने की प्लानिंग है, मनुष्य को पैदा होने से रोकने की आपके पास प्लानिंग है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्लानिंग आप के पास नहीं है। आप ऐसे विद्वानों को लीजिये कि जो धोती, मिरजई वाले हैं, हैट वालों के पास से आप को भारतीय कुछ नहीं मिलेगा, उनसे तो इंगलैंड का मिलेगा लेकिन इन धोती, मिरजई वालों में ही आप को आचार्य और आपके एम० ए० से अधिक विद्वान लोग मिलेंगे जो वाकई में हमारी संस्कृति के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि उनके विद्यार्थियों में इन आपके विद्यार्थियों की तरह अनुशासनहीनता नहीं आती। वहां अब भी वही पुरानी परम्परा कायम है, उनमें अब भी अनुशासन है। आज भी वह शिष्य गुरु के धूल भरे चरणों से धूलि ले कर मस्तक पर लगायेंगे क्योंकि उस परम्परा में गुरु का उनके हृदय में एक स्थान है, एक आदर है, वह अंग्रेजी जबान सीख कर चुस्त पतलून पहनने वाले नहीं हैं और उनकी स्थिति इन आपके लड़कों और अध्यापकों की सी नहीं है। यदि आप इन चीजों पर विचार नहीं करेंगे तो आप किसी तरह से भी अपने यहां से अनुशासनहीनता नहीं रोक सकते।

*श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे कृपा पूर्वक इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। माननीय रामायणराय जी ने जो संकल्प रखा है उसका प्रायः सभी ने स्वागत किया है लेकिन आयोग की स्थापना की बात मेरी समझ में नहीं आई और उसके सम्बन्ध में तो मैं सचमुच विरोध ही करूंगा कि आयोग की आवश्यकता तो इस समय नहीं है। इस समय हमें सरकार के सामने कुछ सुझाव अवश्य रखने चाहिये। पहली बात तो मैं माननीय मंत्री जी के सामने यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा के संचालक हैं उनको १–२ साल नहीं, ९ साल हो चुके हैं, लेकिन वह इस तख्त पर बैठे हैं। उन्होंने क्या किया? इस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने ९ वर्ष के काल में जो पाठ्यक्रम बनाया, जितनी बार पुस्तकें बदलीं, सब समय का नुकसान कराया। यह मन्त्री जी को मालूम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकार के तीन जी० ओज का उल्लंघन किया। ट्रांसपोर्ट विभाग का जी० ओ० है ३८६ नम्बर का, १७ फरवरी, १९५९ का जिसमें आदेश है कि सरकारी गाड़ी प्राइवेट कार्यों में इस्तेमाल न हो और जरूरी हो तो ५० रु० प्रतिमास जमा किया जाय और १५० मील की सीमा है। यदि आगे इस्तेमाल करें तो टैक्सी रेट दें। लेकिन डायरेक्टर जब भी इलाहाबाद जाते हैं तो गाड़ी से जाते हैं, जी० ओ० में यह भी है कि गाड़ी स्टेशन से निवास स्थान तक जायगी तो प्राइवेट यात्रा समझी जायगी, लेकिन इसका उल्लंघन किया और पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर जाते हैं तो उस गाड़ी से जाते हैं। ४, ५ साल की लाग बुक देखी जाय तो दसियों हजार रुपया बाकी होगा। यह जी० ओ० जब शिक्षा विभाग में आया था तो इसे वापस कर लिया था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था ट्रांसपोर्ट कार्यालय में भी पहुंच गया है वहीं से मुझे पता लगा है।

बी०–६१८४/१५, २०–२–६० का जी० ओ० है जो कैरेक्टर रोल की ऐंट्री के सम्बन्ध में है, जो आफिस द्वारा दी जाती हैं उसको इन्होंने चिपकवा दिया। दूसरा जी० ओ० है १६६७/१५, दिनांक २१–५–६२ में है कि हर साल ऐंट्री दी जाय। लेकिन उन्होंने एक साथ ४, ६ साल की ऐंट्रीज दी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

यह बहस एजूकेशन विभाग पर नहीं हो रही है। बहस हो रही है भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर बहस नहीं हो रही है।

श्री राममूर्ति 'अंचल'--

जैसा आपका आदेश। जिस प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। जिला परिषदों और म्युनिसिपिल बोर्ड में जो अध्यापक काम करते हैं वह राजनीतिक पार्टीबन्दी के तौर पर काम करते हैं। इसी तरह से ट्रांसफर भी इसी आधार पर होते हैं। किसी-किसी को अपने घर से ६० मील के फासले पर पटक दिया जाता है और किसी को उसी के गांव में १७, १७ साल बीत जाते हैं। यह बड़ा अन्याय है। अगर आप ग्रामीण जीवन को सुधारना चाहते हैं तो पहले जो मिडिल पास मास्टर होनहार होता था वह आज का बी० ए० नहीं होता। पहले गणित की एक ही पुस्तक थी चक्रवर्ती की। आज पुस्तकों का गट्ठर है जो गधे पर ही लाद कर ले जाया जा सकता है। लेकिन इस गट्ठर से उतनी शिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। मैं माननीय मन्त्री जी का, अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ठोस और आवश्यक समझ कर ऐसे कदम को उठावें कि जिससे शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो, शिक्षा के दायित्व में प्रादुर्भाव हो और इसमें उन्नति हो।

श्रीमन्, शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक बात और आपके द्वारा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। जब हमारे बच्चे ५-६-७ वर्ष के होते हैं तब वे गुल्ली-डंडा खेलते हैं और अगर किसी की चीज को चुरा लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है। श्रीमन्, यह वह समय है कि जब हमारे हृदय कालिमा से रहित होते हैं। पश्चिमी देशों में जैसे रूस में २ साल और अमेरिका में १ १/२ साल के बच्चे के लिये आवश्यक है कि अपने धर्म की शिक्षा पढ़े और उसे संस्कृत करते हैं। यहां पर, आपके द्वारा, माननीय मन्त्री जी के सामने रूस का एक उदाहरण पेश करता हूं। मैसोलोनी जब एक बार एक पाठशाला में गये। उन्होंने उस पाठशाला में देखा कि कुछ घर रखे हुए हैं। कुछ मोटर गैराज के लिये जगह बनी हुई है तो उन्होंने पूछा कि यह मकान किस का है। सब बच्चों ने कहा कि हमारा है। उन्हें बड़ा फील हुआ। फिर उन्होंने इतना बड़ा घर बनवा दिया कि उठ न सके। तब वह फिर उन बच्चों के बीच में गये और पूछा कि यह किसका घर है तो बच्चों ने उत्तर दिया हम लोगों का है। इस प्रकार से साम्यवाद की शिक्षा दी। हमें अपने बच्चों को अपनी पूर्व संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिये और आदर्शों की परम्पराओं को कायम करना चाहिये। तो मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भी शिक्षा का प्रादुर्भाव हो, हमें करना चाहिये। यूनिवर्सिटी के लड़के आये दिन सिनेमाओं में बिना टिकट जाते हैं और रेल गाड़ियों में बिना टिकट सफर करते हैं। उसके अन्दर जो सीटें होती हैं उनको काट कर थैले बना लेते हैं। इसके क्या कारण हैं ? इसका मौलिक कारण यह है कि हमने अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा है। हमारे अन्दर निष्ठा होनी चाहिये उससे हम उन्हें वंचित कर रहे हैं। एक बार द्रोणाचार्य को पेपर भीष्म पितामह ने अपने पौत्रों को पढ़ाने के लिये रखा और उनको अपने ही घर पर टिकाया। तो उनके मन में यह वृत्ति रही कि ये बालक हमारे स्वामी ही होंगे। फल यह हुआ कि वे विद्वता प्रदान करने में असफल रहे और उन्हें राम और लक्ष्मण न बना सके बल्कि उनको वे कौरव ही बना पाये। यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा दी जाती है उसका जो ढांचा है उसको भारतीय संविधान के आधार पर कोई आयोग निश्चित करे। हमारे यहां के देहाती जो स्कूल हैं, हमारे यहां के जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हैं कि ६० रुपये मास्टर को देते हैं और १२० रु० की रसीद लिखाते हैं, इसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि हमारे माननीय मन्त्री जी जो स्वयं बड़े सिद्ध हैं, कठोर कदम उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में उठायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संकल्प जो माननीय रामायणराय जी ने रखा है, इसमें लिखा है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था, अशांत तथा विभिन्न स्तरों पर राजकीय हस्तक्षेप एवं गिरी आर्थिक दशा के फलस्वरूप शिक्षा स्तर के गिरने और अनुशासन-हीनता फैलने की जांच के लिये एक आयोग की स्थापना कीजाय। मैं इस का समर्थन करता हूं। मैं बहुत बारीकी में नहीं जाता लेकिन हम भी पढ़ते थे सन् १४ से २० तक। आठवें दर्जे तक उस पढ़ा। जमाने में मिडिल पढ़ा विद्यार्थी बहुत योग्य हो जाता था। अब क्या स्तर है शिक्षा का? ८वें दर्जा पास विद्यार्थी के लिये कहीं जगह नहीं, आदेश है कि वह मास्टर नहीं हो सकता। वह कुछ जानता भी नहीं है, सही बात है। यहां तक कि हाई स्कूल पास विद्यार्थी भी अपने रोजाना के कामकाज को सही तरीके से नहीं चला सकता। यह क्यों? यह अंग्रेजी शिक्षा की देन है। वह अशान्ति फैलाती है। उसने विधान सभा में भी अशान्ति फैला रखी है। दो चार वकील यहां बहुत विद्वान हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कचेहरी में पूछ नहीं, यहां एम० एल० ए० हैं। यहां अंग्रेजी की किताबें लाकर अंधाधुंध गिटपिट-गिटपिट करते हैं। अगर सही शिक्षा होती तो जो दृश्य यहां दिखलाई देता है, न होता। मैंने हिन्दी का संविधान पुस्तकालय से मंगाया, सब कापियां ले गये उसकी, अंग्रेजी हिन्दी कोई भी नहीं। तो एक सबसे बड़ी शिकायत जो मुझे है वह यह है कि स्कूलों के नाम खराब हैं। हमारे यहां चम्पा अग्रवाल कालेज, हिन्दू इन्टर कालेज, जैन कालेज, शिया कालेज, राजपूत कालेज, जाट हाई स्कूल, यह नाम दिमाग खराब करते हैं विद्यार्थियों के, इनको हटा दिया जाय। यह तो एक सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है। यह शिक्षा के स्तर को गिराने वाली चीज है। पहले एक दफा मां बाप बच्चे को किताब दिला देते थे तो तीन चार साल तक गरीब विद्यार्थियों के लिये पुरानी किताब काम आ जाती थी, लेकिन अब ६ महीने में ही बदल जाती है और बेकार हो जाती है।

गांव की शिक्षा के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत कुछ लिखा है। अगर वह पूरा हो जाता है तो ठीक है और शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा उठेगा जब माताएं शिक्षित होंगी। कन्याओं की शिक्षा देहातों में नहीं के बराबर है और अब कुछ उधर नजर गयी है। अध्यापिकायें वहां भेजते हैं तो रहने के लिये स्थान नहीं है और गांव में अध्यापिकायें मिलती नहीं हैं। यह देश वह है जो सारे विश्व का गुरु रहा है। यह शिवा जी और द्रोणाचार्य का देश है। भीम की गदा से और अर्जुन के बाण से दुश्मन थर्राता था। लेकिन आज हमारे यहां से अध्यापक भाग कर राजस्थान और पंजाब जाते हैं क्योंकि वहां ज्यादा सुविधायें मिलती हैं, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ज्यादा इज्जत होती है। यहां तो वे मिनिस्टरों के स्वागत में ही लगे रहते हैं। मथुरा जिले में कभी इंस्पेक्टर, कभी डायरेक्टर और कभी जिला परिषद् के अध्यक्ष जाते हैं और अध्यापक उनके स्वागत में लगे रहते हैं। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिये कि वहां से निकले हुए विद्यार्थी इतने योग्य हो जायं कि उनको नौकरी की जरूरत न रहे। चीन के हमले के बाद ही सरकार जागी। अब स्कूलों में सैनिक शिक्षा होने लगी। स्वराज्य मिलते ही सैनिक शिक्षा हो जाती तो आज इस हमले का मुकाबला हम आसानी से कर सकते थे। काठ की बन्दूकों से सैनिक शिक्षा न दे कर अगर असली बन्दूकों की ओर, असली शस्त्रों की ओर अगर स्कूलों में शिक्षा मिले तो चीन जैसी चिड़िया की क्या चले लेकिन रूस और अमरीका जैसे शक्तिशाली देश भी आंख उठाकर हिन्दुस्तान की तरफ नहीं देख सकते हैं। यह झांसी वाली रानी, भगतसिंह और गांधी जी का देश है। गांधी जी ने माननीय अनुसूया जी को पत्र लिखा था कि जब तक देश में अंग्रेजी राष्ट्र भाषा बनी रहेगी तब तक मैं देश को स्वाधीन नहीं समझूंगा। जब हमारा जनतन्त्र राष्ट्र है इसलिये लोक भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये। आज ६० प्रतिशत विद्यार्थी एक-एक नम्बर से केवल अंग्रेजी में फेल होते हैं जब कि अन्य सब विषयों में पास हो जाते हैं। वे हम से पूछते हैं कि अंग्रेजी क्या हट रही है तो हम कहते हैं कि ये नहीं हटायेंगे। इसको जबर्दस्ती सार्वजनिक कार्यों में लाते चले जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि अन्य भाषाओं का ज्ञान यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

के लोगों को नहीं होना चाहिये। सबको पढ़ना चाहिये। लेकिन अगर अंग्रेजी को प्रधानता दी जायगी तो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। जो देश की भाषा है, जो लोक भाषा है अगर उसका स्तर बढ़ाया जायगा तभी हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि माननीय रामायणराय जी ने जिस प्रस्ताव को सदन में रखा है, उसके लक्ष्य से दोनों पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य सहमत होंगे। मैं भी बहुत अंशों में सहमत हूं। वास्तव में वे कृतज्ञता के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे महत्व पूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाया और कुछ समय इस विषय पर वार्ता करने के लिये मिल सका।

मान्यवर, प्रश्न यह है कि आखिर आज हमारी शिक्षा का जो स्तर है, जिस ओर उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, उसके सुधार के उपाय क्या हैं? मैं सहमत हूं कि आज जिस विषय पर आपने ध्यान दिलाया है, उसके लिये आवश्यकता है कि सक्रिय कदम उठाये जायं। यह कहना कि शिक्षा की व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है या पूर्ण रूप प्राप्त हो चुका है, गलत दावा होगा। शिक्षा मन्त्री जी भी इसको अनुभव करते होंगे और उनको ऐसा लगता होगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि वह कैसे सुधरे? माननीय रामायणराय जी ने आयोग की स्थापना का सुधार बताया है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी आयोग के बनाने से पहले अब तक हमारे देश में और प्रदेश में शिक्षा को सुधारने के लिये जो आयोग बने हैं, अगर आज की वार्ता के फलस्वरूप हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें कि उनकी जो सिफारिशें हैं जिनका कार्यान्वियन ही नहीं हो सका है, उनका कार्यान्वियन हो सके। हमारे यहां आज राधाकृष्णन् जी राष्ट्रपति हैं। उनकी अध्यक्षता में आयोग बना। मूथम कमेटी बनी। आचार्य नरेन्द्र-देव जो शिक्षा के पंडित थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, १९५२ में। उसके बाद उस समय के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री रामस्वरूप यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनी। पी० एस० जौहरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिस का लक्ष्य प्रदेश में अनुशासनहीनता को दूर करने के उपायों का अध्ययन करना और सिफारिश करना था। केन्द्रीय सरकार की ओर से श्री श्रीप्रकाश जो उस समय गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिन्होंने बड़े व्यापक रूप में इस विषय में रिपोर्ट दी है। १९५८ में केन्द्र की ओर से सर्वेक्षण आयोग की रिपोर्ट आयी। इस तरह से एक बहुत बड़ा पोथा छोटा मोटा पुस्तकालय इन रिपोर्टों का विद्यमान है। प्रश्न यह है कि इन सारे प्रयासों का जो निष्कर्ष है उसका लाभ उठा सकें, इसकी आवश्यकता है। किसी नये आयोग का बनाना समय का दुरुपयोग और सारे प्रयासों का दोहराना होगा। जब तक पिछले किये हुए प्रयासों का लाभ न उठा सकें, कोई नया डुप्लीकेशन उसी एफर्ट का करना अनावश्यक ही नहीं अलाभप्रद होगा।

मान्यवर, आज सभी यह अनुभव करते हैं कि शिक्षा में अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता दूर करने के लिये आज की चर्चा में कुछ सुझाव भी दे सकें तो मैं समझता हूं कि उस लक्ष्य को जिससे प्रेरित हो कर माननीय रामायणराय जी ने इस प्रस्ताव को रखा है, पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे। हमें एक दफा सरकार को इस बात के लिये बाध्य करना चाहिये कि जो हमारे आयोग बने हैं, जिनकी सिपारिशें आपने तैयार की हैं, उनका अविलम्ब पालन किया जाय। मैं उदाहरणार्थ लेता हूं। माननीय श्री श्रीप्रकाश जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उन्होंने एक सिपारिश की थी कि हम सारी शिक्षा संस्थाओं में उन पुस्तकों का अध्ययन लाजमी तौर से करवाएं जिनमें नैतिकता का सबक मिलता है। इस सिपारिश को माना गया इन्टरमीडिएट स्टैंडर्ड तक। इटरमीडिएट से ऊपर जहां सब से आवश्यकता है नैतिकता की शिक्षा की, अनुशासन-हीनता दूर करने के लिये, वहां वह लागू नहीं हुई। इंटरमीडिएट स्टेज तक भी बड़े हाल्टिंग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेप्स लिये हैं। हमने उस पाठ्यक्रम को पढ़ाना शुरू किया लेकिन उसको कोर्स का पार्ट नहीं बनाया। उसमें परीक्षा नहीं होती, मार्किंग नहीं होती। नतीजा यह है कि वह नैतिक शिक्षा केवल कागज पर अनिवार्य है लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी शिक्षा दस में दो विद्यालयों में होती है क्योंकि वह समझते हैं कि उससे लड़कों के रिजल्ट पर असर नहीं पड़ेगा। माननीय शिक्षा मन्त्री जी स्वयं अनुशासनहीनता को दूर करने के लिये तत्पर रहते हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। हमने श्रीप्रकाश कमेटी की सिपारिशों के अन्तर्गत जो नैतिकता शिक्षा देना इन्टरमीडिएट तक शुरू किया है उसमें परीक्षा हो, मार्किंग हो, मैं यह भी चाहूंगा कि इन्टरमीडिएट तक अनुशासन के अन्दर रहने के लिये कोई मंथली मार्किंग सिस्टम शुरू हो और वह मिलेगा उनको साल भर की परीक्षा के बाद। हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को यह शंका हो कि अध्यापकों के हाथ में कुछ निरंकुश अधिकार पहुंच जायगा। लेकिन अगर हमें इस भयंकर बीमारी को दूर करना है तो कुछ हिम्मत के साथ कदम उठाना ही पड़ेगा और उन अध्यापकों पर विश्वास करना पड़ेगा जिनके हाथ में हम भारत के भावी संतान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह विश्वास करना अधिक अच्छा होगा। इसी तरह से हम और बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। हम उनके रेगुलर अटेंडेंस, उसकी ब्रीचेज जिन्होंने जितनी कम की हो उस आधार पर मार्क्स दे सकते हैं और इन्टरमीडिएट बोर्ड इस दिशा में सोच रहा है और इसी तरह के उन्होंने कुछ सुझाव भी रखे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन्टरमीडिएट स्टैंडर्ड तक हमें अविलम्ब इस तरफ बढ़ना है। दूसरी बात, जहां तक यूनिवर्सिटीज का सम्बन्ध है वहां पर हमें अनिवार्य रूप मे वह नैतिक शिक्षा देना आरम्भ करना चाहिये जिस के बारे में श्रीप्रकाश जी की रिपोर्ट है जो कि हमारे देश के बड़े उच्च कोटि के विचारक हैं और जिन्होंने बड़ा प्रयास किया है उस रिपोर्ट को लिखने में। उसका कार्यान्वियन हम कर लें तो हम समझते हैं कि हम इस ओर एक सक्रिय कदम उठाने में सफल होंगे।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। इसका दूसरा पहलू आर्थिक दशा के कारण स्तर गिरने का जो है इस सिलसिले में मैं नेअपने बजट भाषण के समय भी कहा था कि इसका एक ही उपाय है और वह यह कि हमें शिक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी दूसरी चीजों के ऊपर। शिक्षा के लिये हमें काफी समय तक अधिक से अधिक रुपये का प्राविजन करना पड़ेगा। दुर्भाग्य हमारा यह है कि जब कभी किसी प्रकार की इमर्जेन्सी आती है तो सब से पहली कटौती शिक्षा के मद में होती है। पिछले वर्ष हमने देखा इमर्जेन्सी आयी तो यह हुआ कि और कोई चीज हम नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन शिक्षा को छोड़ सकते हैं। मान्यवर, हमारे देश में जहां जनतन्त्र एक प्रकार से अभी अपनी शैशवावस्था में है वहां हमें उसकी जड़ मजबूत करने के लिये शिक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, शिक्षा को सब से ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, उस पर अधिक व्यय करना पड़ेगा। आज दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय है। प्राइमरी स्कूलों में चेयर्स नहीं हैं, टीचर्स भी नहीं हैं, बहुत ही गिरी हुई आर्थिक दशा उनकी है। मैं समझता हूं कि इस के लिये भी किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है, न किसी कमीशन की आवश्यकता है। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष बातें हैं जिनका अनुभव हम सब करते हैं और शिक्षा मन्त्री भी करते हैं। केवल प्रश्न इस बात का है कि हम प्राथमिकता दें शिक्षा की आवश्यकता को। इस बात का निश्चय करें इस सदन में और सरकार इसको स्वीकार करे कि हमें शिक्षा को सब से ऊंची प्राथमिकता देनी है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये येन केन प्रकारेण धन जुटाना है। मैं तो मान्यवर, इस के भी पक्ष में हूं कि अगर कभी शिक्षा के प्रसार के लिये कोई डेवलपमेंट सेस लगाया जाय तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। आज अगर हम नहर बनाने के लिये और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिये जनता के ऊपर टैक्स लाद सकते हैं जिनका फल उसको आज से २० साल बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो शिक्षा के लिये, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये, उन्हें योग्य बनाने के लिये भी और अगर हम कोई डेवलपमेंट कर लगायें तो वह कोई अनुचित नहीं है। लेकिन मैं साथ-साथ यह भी जानता हूं कि आज जनता के ऊपर जो बोझ है वह इतना अधिक है कि सेचुरेशन प्वाइन्ट पर पहुंच गया है। तो इस बोझ को सरकार को ही वहन करना पड़ेगा वर्तमान स्थिति में। अभी हम निःशुल्क शिक्षा देने के

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

क्षेत्र में भी बहुत पीछे हैं, जितना संविधान ने हमारे ऊपर बोझ दिया है वही हम पूरा नहीं कर पाये हैं न प्राइमरी शिक्षा के मामले में और न ही १४वें वर्ष तक शिक्षा देने के मामले में। तो आगे वाले वर्षों में हमें इस ओर ध्यान देना है। मान्यवर, मैं इतना ही कहकर समाप्त करूंगा कि अगर सरकार इन सारी बातों पर ध्यान दे तो हम शिक्षा की प्रगति को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, इससे सभी सहमत हैं कि हमारे विद्यालयों में अनुशासनहीनता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि यह दूर कैसे की जाय। इससे पहले हमको यह सोचना होगा कि इसका क्या कारण है। बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा तब होती है जब उनका मन शिक्षा में नहीं लगता। अगर हम उनका मन शिक्षा में लगा देते हैं तो उनका मन दूसरे कामों की तरफ नहीं जायगा। प्राइमरी शिक्षा से ही हमारा यह प्रयास नहीं होता है कि हम बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रेम पैदा करें। जिन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है उनमें इस दिशा में प्रयत्न नहीं किया जाता। जो शिक्षक शिक्षा देते हैं वे स्वयं उसके अधिकारी नहीं होते। उनका वेतन इतना कम होता है कि उनका ध्यान पूरे तरीके से शिक्षा कार्य में नहीं लगता। प्राइमरी शिक्षा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के हाथ में है। वह शिक्षकों को बड़ी गिरी नजर से देखते है और जो काम उनका नहीं होता वह भी उनको दे देते हैं। जब राशन कार्ड का काम आया तो वह शिक्षकों को दे दिया गया या किसी नेता का स्वागत करना होता है तो वह काम भी उनसे ही लिया जाता है। जनगणना का कार्य भी उन ही से कराया जाता है। इस शिक्षा को हम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। जिस शिक्षा पर हमको इमारत खड़ी करना है उसको हम तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में शिक्षक को आदर नहीं दिया जाता है। जितना सम्मान और वेतन उनको दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया जाता है। प्राइमरी शिक्षा के प्रति हम जब तक पूर्ण रूप से सचेष्ट नहीं होंगे, हम आगे की शिक्षा में कुछ भी प्रयत्न करते रहें, कितने ही आयोग बैठाते रहें और कितने ही पुस्तकों का क्रम बदलते रहें तब तक अनुशासनहीनता को दूर नहीं कर पायेंगे। बीज वहीं से पड़ता है। अभी कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कि पहले दर्जा ४ पास बहुत योग्य होते थे लेकिन अब इन्ट्रेंस पास करके भी साक्षर नहीं होता। मेरा १५ वर्ष का अनुभव है कि इन्ट्रेंस पास विद्यार्थी भी हिन्दी के एल्फाबेट और अंक भी ठीक प्रकार से नहीं लिख सकते। मैं इसको बढ़ा कर नहीं कह रहा हूं बल्कि यह मेरा अनुभव है। अगर कोई भी इस तरह से लिखा कर देख ले तो उसको स्वयं अनुभव हो जायेगा। इसका कारण यह है कि हम प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति सचेष्ट नहीं हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी कहा था कि एक एज तक शिक्षा का क्या उद्देश्य है हम यह निर्धारित करें और उस एज तक वह निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लें। अगर प्राइमरी एजूकेशन का इतना ही उद्देश्य रखें कि छात्रों को ठीक तौर से अक्षरों का ज्ञान करा दें तो यह भी बड़ा काम हो सकता है। नागरी के अक्षर और अंक भी बच्चों को नहीं आते तो दर्जा ३ से विदेशी भाषा पढ़ाना आपने शुरू कर दिया। आज इन्ट्रेंस पास करने पर भी अक्षरों का सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है। चाहे जो भी आदमी हो चाहे वह इस देश का सर्वोच्च नेता हो, चाहे वह विश्व प्रतिष्ठित हो यदि वह दर्जा ३ में बच्चों के लिये अंग्रेजी के पढ़ाने की वकालत करता है तो वह मेन्टल स्लेवरी के मातहत रह रहा है और अंग्रेज की दासता से अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता कि जब समस्त देश अपने यहां विज्ञान की और टेक्नीकल शिक्षा अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं तो यहां क्यों नहीं दी जा सकती है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन और रूस अपनी मातृभाषा द्वारा अपने यहां उन्नति कर सकते हैं तो हिन्दुस्तान अपने मातृभाषा के द्वारा क्यों उन्नति नहीं कर सकता है। अपनी मातृभाषा में वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर दूसरे देश का व्यक्ति कर सकता है तो हमारे देश का व्यक्ति भी अपनी भाषा में सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो विद्यार्थी बाहर जाने वाला हो वह विदेशी भाषा पढ़े और वह दूसरी भाषा में ज्ञान प्राप्त करे लेकिन जिन विद्यार्थियों को उस भाषा में कोई

भी लाभ नहीं होने वाला है उनके लिये इसको बन्द किया जाय। जो अपने घर का काम, अपने व्यापार का काम करेंगे जिन्हें बाहर नहीं जाना है उनके लिये क्या आवश्यकता है कि उनको अंग्रेजी पढ़ने के लिये विवश किया जाय। कहा जाता है कि साइंस पढ़ने के लिये अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन दूसरे देशों ने, जिनकी भाषा हिन्दी की तरह सुव्यवस्थित भी नहीं है साइंस में अधिक प्रगति की है और आगे बढ़ कर दिखाया है। फ्रान्स में वाटर कहने पर पानी भी नहीं मिलता जो कि इंग्लैंड के इतने पास का देश है। लेकिन हम लोग मेंटल स्लेवरी में रह रहे हैं और इसका कारण यह है कि हमारे देश में पावर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के हाथ में है। क्या मंत्री लोग यहां सेक्रेटरीज पर हावी हो सकते हैं? उनको जानकारी नहीं रहती और वे स्वयं मेंटल स्लेवरी में रहते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी ने इसे बहुत पहले सोचा था, लेकिन उनका नाम बार-बार लेने वाली यह सरकार आज उस बात को भूल रही है। आज बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता क्योंकि शिक्षा मातृभाषा में नहीं दी जाती। टीचर्स को पास करना है रिजल्ट दिखाने के लिये, इसलिये वह बच्चों को पास करते चले जाते हैं। मैंने देखा है कि उनको किस प्रकार नम्बर दिये जाते हैं। जो आदेश दिये जाते हैं उनमें रहता है कि अगर ज्योमेट्री के प्रश्न में कोई छात्र गोला भी खींच दे तो भी नम्बर दे दो। माननीय सदस्यों को शिकायत है कि रिजल्ट गिरता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई स्टैंडर्ड एचीव नहीं करना चाहते। हमें बुनियादी तौर पर सोचना पड़ेगा और यह नीति निर्धारित करनी होगी कि हम ३३ परसेंट से कम पाने वाले लड़कों को पास न करें। आज तो पास करने के लिये ग्रेस मार्क्स दिये जाते हैं और प्रधानाचार्य को अधिकार हैं कि वे जीरो नम्बर वाले को भी पास कर दे। मेरा तो सुझाव है कि लोकल परीक्षाओं में भी ३३ नम्बर से कम पाने वाले को पास नहीं करना चाहिये। ऐसा न करने का ही नतीजा यह है कि बोर्ड की परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी फेल होते हैं और तमाम ह्यूमन पावर का लास होता है।

दूसरे व्यक्ति के विकास के लिये विज्ञान और गणित का पढ़ाना आवश्यक है। आपने हाई स्कूल में छूट दे रखी है कि छात्र विज्ञान पढ़ें या न पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिये। दूसरे, नैतिकता लाने के बारे में, तथा भ्रष्टाचार को दूर करने के बारे में बहुत कहा जाता है, लेकिन शिक्षा में नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कहीं भी प्रबन्ध नहीं किया गया है। फिर नैतिकता का विकास कैसे हो सकता है। छागला जी ने एक कमेटी बिठाई है, लेकिन उसके सदस्य भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मेंटल स्लेव्ज हैं और वैसी ही उनकी जानकारी है। उसी प्रकार का कार्यक्रम उनके द्वारा हमारे सामने आयेगा। जब तक आप मानव गुणों की वृद्धि और विकास के लिये उपयुक्त कार्यक्रम नहीं बनायेंगे तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। हम लोगों को परम्परा से सहिष्णुता मिली है, लेकिन आप जिन वादों की ओर लालायित हो रहे हैं वे समाज में शान्ति नहीं स्थापित कर सकते। हम देखते हैं कि कम्युनिज्म में आदमी खूंख्वार हो जाता है और हमारी शिक्षा में नैतिकता को कोई स्थान नहीं है। बतलाया गया है कि इन्टर तक नैतिक शिक्षा को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है परन्तु मेरी जानकारी है कि किसी भी स्कूल में नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती। किसी स्कूल में भी नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ायी जाती है। जो शुरू से इंटरमिडिएट स्टेज तक के लिए कहा गया है, वास्तव में ऐसा नहीं है। यह आवश्यक है कि प्रबन्ध किया जाना चाहिये। भारतवर्ष की शिक्षा का उद्देश्य है—'विद्या सा या विमुक्तये' विद्या रागद्वेष से मुक्त करती है। जब तक राग रहेगा फेवरिटिज्म रहेगा—चाहे मंत्री अपने भतीजे के लिए करे या अपोजीशन का लीडर अपने किसी आदमी के लिए करे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वह उसका प्रयोग करेगा ही। उसमें वाद या कोई पोलिटिकल थ्योरी सहायता करने वाली नहीं है। अगर राग न रहेगा तो फेवरिटिज्म न रहेगा और द्वेष दूर हो जाता है तो झगड़े बन्द हो जायेंगे। साम्प्रदायिकता क्या चीज है? एक विशेष वर्ग के लोगों को सुविधा देना, विशेष दृष्टिकोण से सोचना और आज वह मतों के खयाल से नहीं रही है तो हमारे पोलिटिकल डिवीजन के खयाल से बन गयी है और किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जाति-प्रथा का हम विरोध करते हैं, लेकिन

[श्री बसन्तसिंह]

वह किन्हीं दूसरी शकलों में आ जाती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये कि वह इस प्रकार से दी जाय जो समाज का निर्माण करें और रागद्वेष से व्यक्ति को मुक्त करें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, माननीय रामायणराय जी ने जो यहां पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करती हूं और उनको बधाई देती हूं कि एक ऐसे ज्वलंत प्रश्न पर इस सदन का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है। मान्यवर, जीवन में सब से महत्वपूर्ण चीज मेरे खयाल से शिक्षा है जिसका संबंध हमारी संतान से है, सारे राष्ट्र का भविष्य जिस पर निर्भर करता है। वह चीज कोई साधारण नहीं हो सकती है। हर घर में छोटे बच्चों से, नौजवानों से यह चीज संबंधित है। जिसका इतना बड़ा विकास हो, ऐसी व्यापक चीज हो उस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। कुछ दिन पूर्व इसी प्रकार का एक प्रश्न इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गंगानाथ झा होस्टल से संबंधित आया था, वहां पर कुछ अनुशासनहीनता हुई और उस पर विचार-विमर्श हुआ था। मैंने उस समय भी सदन के समक्ष सुझाव रखा था कि एक आयोग की स्थापना होनी चाहिये जिसमें हमारे जितने विद्यार्थी हैं, जितने गार्जियन्स हैं, अध्यापक हैं और सरकार, सबके प्रतिनिधि शामिल हों और उसमें सोच-समझ कर, गम्भीरता से हर तरह से इस पहलू पर अच्छी तरह से मनन करके अपने निष्कर्ष पर हम पहुंचें। इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूं। यह इतनी बड़ी चीज है कि इस पर १० मिनट में बोल कर कुछ कह जाना न्यायसंगत नहीं है।

बहुत से भाइयों ने प्रायमरी शिक्षा पर ध्यान दिलाया है, मैं सहमत हूं कि उसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन वह हमारे समाज का एक प्रतिबिम्ब है। जो कठिनाइयां आज समाज के समाने उपस्थित हैं---चाहें आर्थिक या सामाजिक---उन्हीं सब की छाया बालक के ऊपर आती है। छोटी उम्र में बच्चा देखता है कि घर में आर्थिक कठिनाई है, मां बहुत आकांक्षा करते हुए भी उन सब चीजों को अपने बच्चों के सामने नहीं रख सकती है, अशिक्षित और दीन होने का कारण, सामाजिक शिक्षा ही है जिसका संबंध हमारे व्यक्तित्व से है, हमारे जीवन से है। प्राइमरी शिक्षा में आज बहुत सी कमियां हैं, टीचर्स के वेतन की कमी, मिड डे मील की कमी, किताबों की कमी, उनके लिये यूनीफार्म की कमी, आदि तमाम प्रश्न हमारे सामने हैं। सरकार को इसलिये एक ऐसे आयोग की शीघ्र स्थापना करना चाहिये जो इन सब बातों पर विचार कर सके।

अध्यापकाओं की समस्याओं के बारे में मेरा ख्याल है सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उनको कितना कम वेतन मिलता है और कितनी-कितनी दूर उनको भेजा जाता है। मैं लड़कियों की शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। यह बहुत जरूरी चीज है कि हमारे यहां की लड़कियां कम से कम डिग्री तो जरूर हासिल करें। उसके न होने से, समाज में जो वैल्यू उनकी होनी चाहिये वह नहीं है। बगैर डिग्री प्राप्त किये हुये वह हो नहीं पाती। सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि हमारे कालेजों और यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स और प्रोफेसर्स जाते हैं उनका एक आदर्श होना चाहिये। एक जमाना वह भी था कि जब बनारस यूनिवर्सिटी वगैरह के प्रिंसिपल आदि का कभी ट्रांसफर होता था तो एक ऐसा वातावरण बन जाता था कि उनके प्रति सभी विद्यार्थियों की निगाह आदर से झुक जाती थीं। उन्हें सब विद्यार्थियों का आदर प्राप्त होता था किन्तु आज तरह तरह की चर्चा होती है। इस लिये यह आवश्यक है कि वहां के टीचर्स और प्रोफेसर्स एक अच्छे स्तर के हों। अगर इस आयोग की स्थापना की जायेगी तो वह इस प्रश्न पर भी विचार कर सकेगा।

श्रीमन्, अगर इस आयोग की स्थापना की जाय, तो उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी रखा जाय जिनको कि दकियानूसी विचारों का कहा जाता है। उनके सामने कुछ मर्यादायें होती हैं उनका रहना भी जरूरी है। आजकल के प्रोफेसर्स भी उसमें हों, विद्यार्थीगण भी उसमें हों। वह सभी प्रकार की शिकायतों पर विचार करें। एन० सी० सी० बहुत अच्छी चीज है, उससे शारीरिक विकास होता है, मगर उसके साथ-साथ मानसिक विकास की भी अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिये यह जरूरी है कि हमारे बच्चों को धर्म की भी कुछ शिक्षा दी जाय। यह बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ में यह प्रार्थना करूंगी कि इस आयोग की स्थापना की जाय।

*श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय रामायण राय का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा। हमारे विद्यार्थी आज बहुत अनुशासनहीन हो रहे हैं। मैं बहुत से दूसरे मुल्कों में घूमा हूं। सभी सोशलिस्ट मुल्कों में मैं घूमा हूं और वहां की शिक्षा पद्धति को मैंने देखा है। वहां पर बच्चों की शिक्षा का शुरू से ही बहुत अच्छा इन्तजाम है। हमारे यहां क्या हालत है। नर्सरी स्कूल तो हमारे यहां हैं ही नहीं, उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बच्चों के जो माता पिता होते हैं वे गरीब होते हैं, वे बच्चों की पढ़ाई पर रुपया खर्च नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आवश्यकता आज इस बात की है कि फैक्टरियों के अन्दर जो मां बाप काम करते हैं उनके बच्चों के लिये वहां पर Nursing होनी चाहिये, वहां मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये।

आज हमारे यहां प्राइमरी स्कूल की जो व्यवस्था है वह बहुत ही शोचनीय है। लड़कों के बैठने के लिये टाट तक नहीं है। मास्टर साहबान को बहुत कम तनख्वाह मिलती है, वे बच्चों से सीधा लेते हैं और पास कराई लेते हैं। आवश्यकता है कि उनको काफी वेतन दिया जाय। नर्सरी और प्राइमरी ऐजूकेशन ही ऐजूकेशन की फाउन्डेशन हैं। उनका ठीक न होना ही वर्तमान अनुशासन हीन अव्यवस्था को पैदा करने वाला है। जिस प्रकार योरुप और रूस व अन्य साम्यवादी मुल्कों में स्विटजरलैंड व स्वीडन आदि देशों में एजूकेशन पर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार से हमें बच्चों की एजूकेशन पर ध्यान देना चाहिये। बच्चों की एजूकेशन के लिये हमें टाप प्रायोरिटी देनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि ११ साल के बच्चों तक के लिये एजूकेशन फ्री, अनिवार्य और बहुत अच्छी होनी चाहिये। अध्यापकों को भी उचित वेतन मिलना चाहिये। आजकल टीचर्स की शोचनीय हालत होने की एक वजह यह है कि एक तो उनकी तनख्वाह बहुत कम है दूसरा समाज में उनका सम्मान बहुत कम है। पुराने जमाने में हमारे देश में गुरुजनों का जो ऋषियों और मुनियों जैसा सम्मान था वह सम्मान आज बिल्कुल नहीं है, उस समय गुरुओं को राजा लोग तक मस्तक नवाते थे। लेकिन हमारे यहां के टीचर्स आज कल बहुत बुरी हालत में हैं। मैं चाहता हूं कि समाज में उनका सम्मान हो और उनको खाने के लिये काफी वेतन भी मिले।

इसके अलावा शिक्षा के माध्यम की बात भी बहुत जरूरी है। बच्चों को मदर टंग में शिक्षा होनी चाहिये, इसके अलावा एक राष्ट्रभाषा को भी सिखाया जाना चाहिये। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, उसमें भी सबको शिक्षा दी जाय। रूस में सर्वत्र-बच्चों को मदर टंग में और रूसी भाषा में शिक्षा दी जाती है। मदर टंग में शिक्षा होना इसलिये आवश्यक है कि बच्चे उसके द्वारा किसी भी चीज को बड़ी जल्दी सीख लेतेहैं, ग्रहण कर लेते हैं। प्रदेशों के आपस के व्यवहार के लिये राष्ट्रभाषा को जानना भी आवश्यक है।

(स्त्री शिक्षा) वीमेन एजूकेशन की ओर भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये। जब तक हमारी माताएं शिक्षित न होंगी, तब तक बच्चों की एजूकेशन अच्छी नहीं हो सकती। इस ओर भी सरकार का पूरा पूरा ध्यान होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिब्बनलाल सक्सेना]

हमारी यूनिवर्सिटी एजूकेशन में भी बड़ी गड़बड़ी है। यूनिवर्सिटी के बारे में सारे अधिकार यूनिवर्सिटी कोर्ट को होने चाहिये। यह नहीं कि वहां के वाइस चांसलर को गवर्नर नियुक्त करे। कोर्ट ही को यह अधिकार होना चाहिये कि वह वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में तय करे। यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार को बिलकुल भी दखल नहीं देना चाहिये। आज सरकार सारी यूनिवर्सिटीज में दखल दे रही है। बिना आटोनोमी के विश्वविद्यालय अपने शिखर पर नहीं पहुंच सकते। मैं समझता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज को पूरी आटोनामी दीजिये और उनकी एकोडेमिक कौंसिल को टीचर्स के प्रोमोशन इत्यादि में पूरे अधिकार होने चाहिये।

सेकेन्डरी एजूकेशन के लिये, मुझे बड़ा दुख है कि अधिकारी लोग बड़ी धांधली करते हैं। ७ साल पहले गवर्नमेंट ने हमारे गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज की ग्रान्ट रोक दी। वह कालेज तराई में है जो कि वहां के करीब १२ लाख आदमियों को सर्व करता है। हमने बार-बार मिनिस्टर व डाइरेक्टर साहेब से भी कहा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और ६ माह की टीचरों की तनख्वाह बाकी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके यहां वाकई शिक्षा संस्थायें ठीक हों तो आपको उनकी ओर ध्यान देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि एजूकेशन ठीक से प्लान्ड हो।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री गणेशप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने की आज्ञा प्रदान की।

साथ ही मैं आपके द्वारा श्री रामायणराय जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी बदौलत आज शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं चाहता तो यह था कि शिक्षा के बजट पर ३ दिन तक लगातार बहस होती लेकिन दुर्भाग्य से एक ही दिन बहस करने का अवसर मिला।

जहां तक आयोग का प्रश्न है, मैं रामायणराय जी से इस मामले में सहमत तो नहीं हो सकता हूं क्योंकि अनुशासन से बंधा हुआ हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो दर्जनों आयोगों की नजीर माननीय जगदीशशरण जी ने दी है उनकी रिपोर्टों को पढ़ कर उनमें से अच्छे सुझाव हमारे मंत्री जी अपनावें और मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री जी उदारतापूर्वक उन्हें देंगे और अपनी शिक्षा के क्रम में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि रोपें पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय? जब आप बबूल के पेड़ बोयेंगे तो आम का फल कैसे पावेंगे? उससे तो आप कांटे ही पावेंगे। आपने ऋषियों की प्रणाली को छोड़ कर पाश्चात्य शिक्षा का आदर्श अपने सामने रखा। तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृत के अनुकूल आपका विद्यार्थी होगा? आपके यहां हजारों संस्कृत पाठशालायें हैं। क्या आपने कभी सुना है कि उनके यहां भी हड़ताल होती है? या संस्कृत का अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा पीटा गया है, या संस्कृत के किसी विद्यार्थी ने अपने आचार्य या गुरुओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है?

(इस समय ४ बज कर ५२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा··

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा माइक पर बोलें, उसे ऊपर को कर लें।

श्री गणेशप्रसाद—

बहुत अच्छा। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भाव सदन में व्यक्त किये गये हैं उन पर कृपा करके ध्यान देंगे, क्योंकि सकिं सरवा साधु न शास्ति जो अधियम्, हितां न भुः संस्टणुते सकिं प्रभुः सदानुकूलेषुहि कुर्वंतोतिम् नृपेष्ठमात्मेषुच सर्व सम्पदः। हित की बात कभी मनोहर नहीं होती है। जो बातें कहीं गई हैं यदि वे आपके अनुकूल न भी पड़ती हों तो भी उन्हें सही सलाह मान कर मानें। क्योंकि क्रियाषु युक्तं नृपचार चक्षुषः नो पंचनीया प्रभवेऽनु जीणिभिः अलोहूरित्म क्रन्तुमसाधुः साधुवा, हितं मनोहारिच दुर्लभं बचः। जो राजा अपने सलाहकारों की सही बात मानता है, या राजा अपने मंत्री की बात मानता है, उसी राजा की सम्पत्ति बढ़ती है। उसी प्रकार हमारे मंत्री जी हम लोगों की, अपने सलाहकारों की बात मानें। जहां सलाहकार, राजा और मंत्री के विचारों में भिन्नता होती है वहां सारी सम्पदा क्षीण हो जाती है। तो आप अपने सदस्यों की सही सलाह को मान कर शिक्षा क्रम में संशोधन करने की कृपा करें।

मैं एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ईसाइयों के सारे स्कूलों में आधे घंटे के लिये धार्मिक शिक्षा दी जाती है लेकिन आपके यहां कोई-कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा है जहां कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में तो एक में भी ऐसा नहीं है। एक में भी ऐसा नहीं है कि गीता, रामायण और भारतीय संस्कृति के नाम पर नहीं, तो सदाचार शिक्षा के नाम पर भी कोई पीरियड होता हो। जैसे हिसाब, हिन्दी, अंग्रेजी इत्यादि के पीरियड होते हैं वैसे ही ४०, ४५ मिनट का पीरियड सदाचार की शिक्षा का भी होना चाहिये। उसमें पास होने के मार्क्स नियत करने चाहिये, बल्कि उसके नम्बर ३३ परसेंट से अधिक, यानी ५० परसेंट रखने चाहिये। जो ५० परसेंट नम्बर न पावे, भले ही वह और विषयों में पास हो, उसे आप पास न करें उसे फेल कर दिया जाय। फिर देखिये कैसे अनुशासनहीनता होती है? लेकिन आप तो कोई अवसर ही नहीं देते हैं कि लड़कों में यह भावना पैदा हो कि हम अनुशासन पालन करें। जब आप ऐसी विपरीत शिक्षा देते हैं तभी वे अनुशासनहीन होते हैं। फिर इसमें उनका क्या कसूर या अपराध है? अपराध तो आपका है कि आप इस तरह की शिक्षा आज भी कायम किये हुये हैं। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया था, उस तरफ मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। उसके लिये आपसे मेरा निवेदन है कि कक्षा १ और २ में काष्ठ की पटरी पर लिखने वाली प्रथा आपने बन्द कर दी है और केवल कापी पर लिखाना शुरू कर दिया है उससे अक्षर तक चौपट होते हैं जिससे आप इंटर या बी० ए० पास द्वारा लिखे हुए किसी अप्लीकेशन को जो हाथ से लिखा हुआ हो, पढ़ नहीं सकते, जब तक कि वह अप्लीकेशन टाइप किया हुआ न हो। साथ ही साथ प्रार्थना-पत्र में अशुद्धियां भी बहुत होती हैं। इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि नीचे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इंटर पास लड़कों तक को मैंने देखा है कि उनको ह्रस्व, दीर्घ, ईकार, ऊकार तक का ज्ञान नहीं होता और वे संयुक्ताक्षर व अनुस्वार वाले शब्दों तक को शुद्धतौर पर नहीं लिख पाते हैं। यदि पाण्डेय लिखना होगा तो आधा ण न लिख कर आधा न लगा कर इस तरह से (पान्डेय) लिखेंगे। इस तरह की मोटी-मोटी भूलें हो जाती हैं जो मैंने आपको बतलायीं। उसका कारण यह है कि नीचे की कक्षा में तो ऐसे योग्य अध्यापक होते नहीं हैं जिनको शुद्ध व्याकरण का ज्ञान हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि नीचे की कक्षाओं में शुद्ध व्याकरण के जानकार अध्यापक रखे जायं और साल में समय-समय पर कम से कम १० दिन का रेफ्रेसर कोर्स हो जहां उन्हें संयुक्ताक्षर व अनुस्वार आदि का ज्ञान तो करा दिया जाय जिससे वे अपने हाथ से हिन्दी में प्रार्थना-पत्र तो शुद्ध लिख सकें।

कई वर्ष हुये जिस समय से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सातवीं कक्षा तक की फीस माफी की घोषणा इसी सदन में की थी और अगले साल दर्जा ७ व ८ तक की फीस माफी की घोषणा की थी लेकिन आज तक उस संबंध में कुछ नहीं हो सका है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है अगर दर्जा ६ में १०० परसेंट फीस माफ करते हैं और दर्जा ७ और ८ में साढ़े

[श्री गणेशप्रसाद]

१७ परसेंट माफ करते हैं तो इस तरह से तीनों को मिला कर ३०० लड़कों में १३५ लड़कों की फीस माफ कराने की बात हुई। इस तरह से अगर १३५ को तीनों दर्जों में बांटे तो ४५ परसेंट का एवरेज हर दर्जे के लिये आता है। उनमें आप २० परसेंट की पूरी फीस माफ कर दें और ५० परसेंट की आधी फीस माफ कर दें तो ७० परसेंट लड़कों की फीस माफी दर्जा ६, ७ और ८ में हो जायगी और आपका खर्चा भी एक पैसा नहीं बढ़ता है। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं और अपना कथन समाप्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

इसकी कापी तो हमको मिली नहीं है, फिर इस पर हम बहस क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर डिस्कशन तो १३ तारीख को होगा। उसकी कापी आपको मिल जायगी, इसी अंडरस्टैंडिंग पर मैंने इजाजत दी है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

हमने तो सुना ही नहीं कि क्या है। फिर दोबारा पढ़वा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, माननीय मंत्री दोबारा पढ़ दें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अगर कोई कांस्टीट्यूशनल आब्जेक्शन होगा, तो इसको आप रिजर्व रखें। तो यह प्रश्न हम उस दिन उठा सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, उठा लीजियेगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामकुमार शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६९८–७११ पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इस संबंध में मुझे सदन को सूचना देना है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव १३, अप्रैल, १९६४ को लिये जायेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, उसी दिन असेम्बली खुलेगी और उसी दिन उस का विचार और पारण सब रख दिया है और उसका साहित्य हमें अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आज आपको मिल जायगा ।

पंचमांगियों तथा साम्प्रदायिक तत्त्वों के सक्रिय होने के सम्बन्ध में दी गयी सूचनाओं पर नियम ५३ के अन्तर्गत गुप्त बैठक में चर्चा

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

एक चीज में उपाध्यक्ष महोदय, जानना चाहता था कि एजेंडे में छपा है कि इन सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियामवली के नियम ५५ के अन्तर्गत चर्चा होगी । तो आप बता दें कि यह नियम ५५ में क्या है, यह कोई ५२ और ५३ नियम की कोई खिचड़ी है क्या, ५५ में तो प्रस्ताव मेरी समझ में नहीं आ सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ५३ में ही है, ५५ लिख गया है, ढाई घंटे का अब इस में विवाद होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

जिन्होंने सूचना दी थी उन्हीं को विवाद में भाग लेने का मौका मिलेगा या सब को मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

जितनों को दिया जा सकेगा उन के लिये कोशिश की जायगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

इसे प्रस्तुत कौन करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

नेता विरोधी दल करेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मेरा अनुरोध है कि सबको समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

१५ मिनट का समय मैंने वैसे रखा है लेकिन उसमें देखेंगे, जरूरत होगी तो कम कर देंगे या बढ़ा भी देंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

१२ मिनट का समय कर दें ताकि सब को मौका मिल सके ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, एक मैंने भी नियम ५२ का परसों दिया था और अध्यक्ष जी ने कहा था कि वह भी ५३ में लिया जायगा। मथुरा के एस० पी० को गोली से मार दिया गया है और उसके पेशकार को भी मार डाला है पुलिस के अफसरों के मारे जाने का बड़ा गंभीर मामला था और उन्होंने कहा था कि इसको भी लेंगे लेकिन हमारा नहीं छपा है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

तो श्री रामायणराय जी के संकल्प पर तो विवाद अब जारी रहेगा आगे के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

हां, वह जारी रहेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, सुबह यह प्रस्ताव रखा गया था कि इस विषय पर जो विचार होगा वह सीक्रेट सेशन होगा, तो क्या आपने उस में फिर कुछ परिवर्तन किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस संबंध में जैसा कि अध्यक्ष महोदय का आदेश हो चुका है उसी के अनुसार होगा।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

उपाध्यक्ष महोदय, सुबह यह तय हुआ था कि इस डिसकशन में प्रेस यहां उपस्थित नहीं रहेगा, उसके अनुसार आप उन्हें आज्ञा दे दें तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की राय हो तो....

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस में कड़वी-कड़वी बातें आयेंगी जिन से प्रदेश का वातावरण बिगड़ने की संभावना हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो क्या मैं यह समझूं कि सदन की राय है कि यह सीक्रेट सेशन हो और अब प्रेस और गैलरी में कोई न रहे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि इस समय न प्रेस वाले रहेंगे और न दर्शक गैलरी में कोई रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इस पर विचार होगा तो मैं समझता हूं कि उस के अच्छे बुरे रिपरकशन हो सकते हैं लिहाजा आज अब सीक्रेट सेशन होगा, उसमें प्रेस भी नहीं रहेगा और आफिशियल रिपोर्टिंग भी नहीं होगी।

(इस समय ५ बज कर १० मिनट पर सभा की गुप्त बैठक आरम्भ हुई। प्रेस प्रतिनिधि तथा विधान सभा के प्रतिवेदक सदन से चले गये। गुप्त बैठक की कार्यवाही जो ७ बजकर २७ मिनट तक होती रही, प्रतिवेदित नहीं की गयी।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४

श्री उपाध्यक्ष—

अब सचिव एक घोषणा करेंगे ।

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ जो विधान सभा द्वारा २८ मार्च, १९६४ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के आज (३० मार्च, १९६४ को) वापस प्राप्त हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार, १३ अप्रैल, १९६४ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बज कर २९ मिनट पर सोमवार, १३ अप्रैल, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३० मार्च, १९६४ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

जिला हमीरपुर में सन् १९६१,६२ व ६३ में हुए कत्लों की थानावार तालिका

क्रम-संख्या	थाना			वर्ष १९६३	१९६२	१९६१
१	खन्ना	..	..	५	६	३
२	कबराय	..	..	२	२	१
३	महोबा	..	..	७	४	२
४	चरखारी	..	..	२	३	५
५	श्रीनगर	..	..	३	३	..
६	अजमेर	..	..	२	३	..
७	कुलपहाड़	..	..	३	४	..
८	पैनवाड़ी	..	..	..	५	३
९	महोवकंठ	..	..	१	६	२
१०	कोरारा	..	..	१	२	२
११	कोतवाली	..	..	१	१	२
१२	सुमेरपुर	..	..	५	७	१
१३	भौदहा	..	..	३	३	३
१४	देंवार	..	..	७	३	४
१५	मुस्करा	..	..	५	६	६
१६	राठ	..	..	४	१२	७
१७	मझगवां	..	..	४	६	७
१८	जरिया	..	..	८	७	४
१९	जलालपुर	..	..	३	३	२
		कुल योग	..	६६	८६	५४

हमीरपुर पदेश्वर सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२० पर)

१—एन० डी० इंटर कालेज, जलालपुर

२—प्रधानाचार्य, बी० ए० इन्टर कालेज, अकबरपुर

३—प्रधानाचार्य, ओरोनी विद्यालय

४—एच० एम० जे० एन० ए० स्कूल, कटेहरी

५—जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बरियावन

६—श्री गांधी आश्रम

७—बार एसोसियेशन, अकबरपुर

८—पंचायती मंदिर, नगपुर

९—श्री रामजी सहेव मंदिर, बरियावन

१०—श्री रसीद अहमद मेहदी एम० पी०

११—सैयद अली हसन वकील

१२—ग्रीश चन्द्र सावंत वकील

१३—श्री ताराकांत वकील

१४—श्री विशंभर आश्रम, अकबरपुर

१५—श्री मु० ईसा, जलालपुर

१६—श्री राम हरख वर्मा

१७—श्री राम राम नरेश

१८—श्री अशरफी गुप्ता, अकबरपुर

१९—श्री शराह, इस्माइलपुर

२०—श्री रामाकांत, अकबरपुर

२१—डा० डी० एफ० चौहान

२२—डा० यादव, अकबरपुर

२३—श्री महीपाल सिंह

२४—श्री दलसिंगार मिश्रा

२५—श्री सेठ सिराजुलहक

२६—श्री मु० खलील

२७—श्री अब्दुलरब, जलालपुर

२८—श्री कामेश्वर दत्त शर्मा, जलालपुर

२९—श्री राम नेवाज, जलालपुर

३०—श्री नूरूल हसन अन्सारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२७ पर)

जिला मुजफ्फरनगर में सस्ते गल्ले की दूकानें जो चल रही हैं, उनकी सूची

स्थान जहां सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं	दूकानों की संख्या
तहसील मुजफ्फरनगर	
शहरी क्षेत्र—	
मुजफ्फरनगर शहर	३४
छड़तावल	२
पुरकाजी	३
देहाती क्षेत्र—	
छड़तावल ब्लाक—	
बीरालाइ, बहेड़ी, दघेरू, खुर्द, कुटेसरा, बधई खुर्द तथा दुधली ..	६
पुरकाजी ब्लाक—	
बसेड़ा, फालूदा, मेधा, तुगलकपुर, छप्पर, गुरधानपुर, खानपुर, पान्गेवली रोहाना तथा वली में दो दूकानें।	११
बाधरा ब्लाक—	
लालूखेरी, जसोई, टिटावी, बाधरा, पिन्ना, हरसौली तथा बारवाला ..	७
मुजफ्फरनगर ब्लाक—	
बधेरी, बहादरपुर, जसोदा, खाट मझेरा, पचेन्दा कलां, लछेरा, बझेरी, विलासपुर, बधौली, दतियाना तथा सूरज।	११
योग ..	७४
तहसील कैराना	
शहरी क्षेत्र—	
कैराना	८
थाना भवन	३
जलालाबाद	२
शामली	११
झुनझिना	४
देहाती क्षेत्र—	
कैराना ब्लाक—	
भूरा, खुरगान तथा कन्देला	३

स्थान जहां सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं	दूकानों की संख्या
थाना भवन ब्लाक—	
हिरनवाड़ा, बबरी, मैंसानी इसलामपुर, हसनपुर लोहारी, हरार फतेहपुर कायल शिकारपुर तथा गढ़ी अब्दुला खां।	७
शामली ब्लाक—	
करौदा, लिलन, लंक, बनात, भैंसावल तथा आदमपुर ..	५
ऊन ब्लाक—	
ऊन, गढ़ी, पुखता, नोनकवली, बिकईपुर, केरतु, विदौली, चौसाना पिन्डोरा	८
योग ..	५१

तहसील जानसठ

शहरी क्षेत्र—	
जानसठ	५
खतौली	१०
मीरनपुर	३
देहाती क्षेत्र—	
जनसठ ब्लाक	११
रामराज, समबलेहरा, राजपुर कलां, सोन्जनी, भूमा, तनघेरा में दो दूकान और सलारपुर में दो दूकान और कवल में दो दूकान	
खतौली ब्लाक—	
मोधपुर, नवला, फूलत, सथेरी, खंजनपुर, लादपुर, गालिबपुर, कैलबारा और दो दूकानें मंसूरपुर में	१०
मोरना ब्लाक—	
गदला, मोपा, मोरना, जौली, न्यायगांव, ककरौली, निरगजनी, तीसा में दो दूकानें और मोखरहरी में दो दूकानें	११
योग ..	५०

बुधना तहसील

शहरी क्षेत्र—	
कन्थला	७
बुधना	४
शाहपुर	४
शिशोली	२

बुधना तहसील

स्थीन जहां सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं	दूकानों की संख्या
देहाती क्षेत्र--	
बुधना ब्लाक--	
रिवालीनगला, जवला, माधवपुर रायसिंह, हसनपुर कलां और परसौली	५
शाहपुर ब्लाक--	
पलरी, बहेरी खुर्द, ककरा, मोहदपुर, गोइला, कसेरवा और दो दूकानें सोराम में	७
कन्धला ब्लाक--	
ऐलम, रसूलपुर गुजरन, खदरौली, लीसर, फुगना और शंख गंगेरू ..	६
योग ..	३५

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२७ पर)

सन् १९५७–५८ की रिजर्व लिस्ट

१—श्री भूपालसिंह चौहान
२—श्री शंकरसिंह
३—श्री चतुर्गुणप्रसादसिंह
४—श्री विक्रमसिंह
५—श्री सुरेन्द्रनाथसिंह।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३२ पर)

फर्रुखाबाद जिले में स्थापित सरकारी कृषि फार्मों के आय-व्यय तथा लाभ-हानि का विवरण

फार्म का नाम	वर्ष	व्यय	आय	हानि	लाभ
		रु०	रु०	रु०	रु०
१—आलू अनुसंधान फार्म फर्रुखाबाद	१९६१–६२	६,४१६	८,३०४	..	१,८८८
	१९६२–६३	१०,२२५	९,३३७	८८८	..
२—तम्बाकू अनुसंधान फार्म सरायमीरा	१९६१–६२	८,१६६	११,१५२	..	२,९८६
	१९६२–६३	११,८८९	९,३४८	२,५४१	..
३—गुरसहायगंज बीज संवर्द्धन फार्म	१९६१–६२	१५,०१८	१२,४५७	२,५६१	..
	१९६२–६३	१८,९४५	१२,४१२	६,५३३	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३५ पर)

जनवरी, फरवरी तथा मार्च, १९६४ में कैंसिल की गई सस्ते गल्ले के दूकानदारों की सूची

क्रम-संख्या	दूकानदार का नाम	दूकानें जहां चल रही हैं	विवरण
१	करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, सिकरौर ..	सिकरौर	
२	लोक सेवा समिति, देवगांव ..	देवगांव	
३	श्री राम सूरत राम ..	मेह नगर	
४	श्री नजरुल हसन ..	करीमउद्दीनपुर	
५	जूनियर हाई स्कूल, मुहम्मदपुर ..	लटघाट	
६	श्री पन्ना लाल ..	जमीनवरमादपुर	
७	बापू इन्टर कालेज, कोपागंज ..	कसारा	
८	ग्राम समाज हायर सेकेन्डरी स्कूल, जिगनी	जिगनी	
९	राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल, चिरियाकोटे ..	सुरहुरपुर	
१०	श्री शिव प्रसाद लाल ..	मेहराजपुर	
११	कोआपरेटिव यूनियन, मधुवन ..	मधुवन	
१२	शान्तानन्द हायर सेकेंडरी स्कूल, अमीला ..	गोंठा	
१३	बनदेवी संस्कृत पाठशाला, कुटनौर ..	मऊ	
१४	डी० सी० एफ०, आजमगढ़ ..	कन्धरापुर	
१५	श्री दूदनाथ सिंह, आजमगढ़ ..	मटरगंज	इनके विरुद्ध d.i.r. के नियम १२५ के अन्तर्गत अदालती कार्यवाही की जा रही है।
१६	श्री अलीरजाखां, मैनेजर टाउन इसलामियां स्कूल, दोहरी घाट।	मिर्जाजमालपुर	
१७	श्री शुभ नारायण तिवारी, सहरोज ..	सहरोज	
१८	श्री भोलाराय, मैनेजर, ग्राम सभा, अखापुर	कन्धरापुर	
१९	श्री विश्वनाथ चौबे, प्रिन्सिपल, जूनियर हाई स्कूल, कौड़िया।	कौड़िया	
२०	श्री राम स्वरूप अहिरौला ..	शाहपुर	
२१	श्री दूदनाथ सिंह, मैनेजर, कौमी खादी भंडार मटरगंज, आजमगढ़।	करहा	
२२	श्री रामनाथप्रसाद	पकरी	
२३	श्री पनहारी पांडेय	हसनपुर	
२४	श्री दीपनारायण	दरगाह	
२५	श्री बेचन प्रसाद, मझवारा ..	मझवारा	
२६	श्री चन्द्र दत्त सेठ	मुहम्मदाबाद	

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६८६–६८७ पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४

उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारी भूमि-विकास बैंकों के कार्य-संचालन को सुकर बनाने के लिए

विधेयक

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश सहकारी राज्य भूमि बन्धक बैंक के कार्य-संचालन और राज्य में सहकारी भूमि-विकास बैंकों के निर्माण तथा उनके कार्य-संचालन को और सुकर बनाया जाय :

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "मण्डल" का तात्पर्य राज्य भूमि-विकास बैंक के निदेशक मण्डल से है;

(ख) "उप-विधियों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित उप-विधियों से है और इसके अन्तर्गत उप-विधियों का कोई निबन्धित संशोधन भी है;

(ग) "भूमि-बिकास बैंक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जो राज्य भूमि-विकास बैंक के सदस्य के रूप में स्वीकृत (admit) की गयी हो और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को, सामान्यतया भूमि के सुधार और कृषि से सम्बन्धित अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिये अचल सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण देना हो;

(घ) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य किसी भूमि-विकास बैंक के उस शासी निकाय से है जिसे उसके कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

(ङ) "अधिकारी" के अन्तर्गत सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, मण्डल या प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसे नियमों या उपविधियों के अधीन राज्य भूमि-विकास बैंक या किसी भूमि-विकास बैंक के कार्य के सम्बन्ध में निदेश देने का अधिकार प्राप्त हो;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) "नियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली से है;

(ज) "निबन्धक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सहकारी समितियों के निबन्धक के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मण्डल द्वारा बनाये गये विनियमों से है;

(ञ) "राज्य भूमि-विकास बैंक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन निबन्धित किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका कार्य-क्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश में हो और जो किसी भूमि-विकास बैंक का कार्य कर रही हो और जो उसकी सदस्यता में सम्मिलित अन्य भूमि-विकास बैंकों के, यदि कोई हो, कार्य को सुकर बनाती हो;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ठ) "न्यासधारी" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा ४ में अभिविष्ट न्यासधारी से है।

भूमि-विकास बैंकों की संख्या

३—समस्त उत्तर प्रदेश के लिये एक से अधिक राज्य-भूमि-विकास बैंक नहीं होंगे और उतने भूमि-विकास बैंक हो सकते हैं जितने निबन्धक द्वारा आवश्यक समझे जायें।

न्यासधारी की नियुक्ति तथा उसके अधिकार और कृत्य

४—(१) निबन्धक, मंडल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रधारियों के प्रति राज्य भूमि-विकास बैंक के दायित्वों (obligations) की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यासधारी होगा।

(२) न्यासधारी के अधिकार और कृत्य इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य भूमि-विकास बैंक और न्यासधारी के मध्य निष्पादित न्यास-संलेख (instrument of trusts) द्वारा, जैसा कि वह उनके मध्य परस्पर अनुबन्ध द्वारा और राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर परिष्कृत हो, शासित होंगे।

न्यासधारी एक एकल निगम होगा

५—धारा ४ के अधीन नियुक्त न्यासधारी, न्यासधारी के नाम से एक एकल निगम होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार (perpetual succession) होगा और एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद चलायेगा और उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायगा।

मंडल द्वारा ऋण-पत्रों का जारी किया जाना

६—(१) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार प्रवृत्त करे, मण्डल, समय-समय पर, धृत बन्धकों या अर्जित किये जाने वाले बन्धकों की अथवा धृत बन्धकों और अर्जित किये जाने वाले बन्धकों दोनों ही की, तथा ऐसी अन्य परिसम्पत्ति (assets) की, जो भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित की गयी हो अथवा धारा १२ के उपबन्धों के अधीन संक्रमित की गयी समझी गयी हो तथा राज्य भूमि-विकास बैंक की अन्य सम्पत्तियों की भी प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानों (denominations) को ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो वह इष्टकर समझे, जारी कर सकता है।

(२) ऐसे ऋण-पत्रों में ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिसमें जारी किये जाने के दिनांक से दस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि निश्चित की जाय जिसमें वे अविमोच्य (irredeemable) होंगे अथवा जिनमें मण्डल के लिए यह अधिकार रक्षित

रखा जाय कि वह सम्बन्धित ऋण-पत्रधारी (debenture holder) को कम से कम तीन मास की लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी ऋण-पत्र को उनके विमोचन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रत्याहूत (to call in) कर ले।

(३) उपधारा (१) के अधीन मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों पर देय सम्पूर्ण अदत्त धनराशि, किसी भी समय निम्नलिखित धनराशियों के योग से अधिक न होगी :—

(क) बन्धकों पर देय धनराशियां, तथा ऐसी अन्य परिसम्पत्ति का मूल्य जो भूमि-विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित की गयी हों अथवा धारा १२ के अधीन संक्रमित की गयी समझी गयी हों तथा जो तत्समय वर्तमान हों;

(ख) पूर्वोक्त बन्धकों के अधीन भुगतान की गयी धनराशियां और वे धनराशियां जो उस समय मंडल या न्यासधारी के पास शेष हों; और

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित धनराशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय।

कुछ सम्पत्तियों पर ऋण-पत्र-धारियों का प्रभार

७—ऋण-पत्रधारियों का निम्नलिखित पर चल प्रभार (floating charge) होगा—

(क) ऐसे समस्त बन्धक, परिसम्पत्ति तथा धनराशियां जो धारा ६ की उपधारा (६) के खंड (क) तथा (ख) में अभिदिष्ट हैं; और

(ख) राज्य भूमि-विकास बैंक की अन्य सम्पत्तियां।

ऋण-पत्रों का मूलधन और उनका ब्याज राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा

८—(१) धारा ६ के अधीन जारी किये गये ऋण-पत्रों का मूलधन तथा उनका ब्याज ऐसी अधिकतम धनराशि तक जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत की जाय, तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें आरोपित करना उचित समझे, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होगा।

(२) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।

(३) राज्य सरकार, मंडल तथा न्यासधारी से परामर्श करने के पश्चात्,

(क) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और

(ख) इस राज्य तथा भारत के अन्य राज्यों के ऐसे प्रमुख समाचार-पत्रों में नोटिस देकर जिन्हें इस सम्बन्ध में राज्य सरकार चुने,

एक निर्दिष्ट दिनांक से, जो सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन से छः मास से पूर्व का न हो, अपने द्वारा दी गयी किसी प्रत्याभूति को समाप्त कर सकती है अथवा उसकी अधिकतम धनराशि को कम कर सकती है अथवा उन शर्तों में परिष्कार कर सकती हैं, जिनके अधीन वह दी गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रत्याभूति की समाप्ति, कमी अथवा परिष्कार किसी भी प्रकार से उस प्रत्याभूति पर प्रभाव न डालेगा जो उस दिनांक के पूर्व जारी किये गये किसी ऋण-पत्र के सम्बन्ध में हो जब से ऐसी समाप्ति, कमी या परिष्कार प्रभावी हो।

(४) जब प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि कम करना हो अथवा उन शर्तों को जिनके अधीन प्रत्याभूति दी गयी हो, परिष्कृत करना हो, तो, उपधारा (३) में अभिदिष्ट प्रत्येक विज्ञप्ति और नोटिस में, यथास्थिति, ऐसी कमी अथवा परिष्कार के क्षेत्र और प्रभाव का यथार्थतः उल्लेख होगा।

प्रत्याभूति निधि

९—(१) राज्य सरकार ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर जिन्हें वह उचित समझे एक प्रत्याभूति निधि (guarantee fund) उन हानियों को पूरा करने के लिए स्थापित कर सकती है जो नियत की गई परिथितियों में भूमि-विकास बैंकों द्वारा बन्धकों को प्रतिभूति पर दिये गये ऋण के पूर्ण रूप से वसूल नहो सकने के कारण उत्पन्न हों।

(२) राज्य भूमि-विकास बैंक तथा भूमि-विकास बैंक उक्त निधि में से ऐसी दरों पर अंशदान देंगे जो नियत की जायें।

(३) उक्त निधि का अनुरक्षण और उपयोग ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो नियत किये जायें।

कुछ दावों पर बन्धक की पूर्वता

ऐक्ट सं० १९ १८८३

१०—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य भूमि-विकास बैंक या भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भी बन्धक को लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ के अधीन, किसी ऐसे ऋण से, जो उक्त बन्धक के निष्पादन के पश्चात् दिया गया हो, उत्पन्न सरकारी दावे पर पूर्वता प्राप्त होगी।

भूमि-विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति तय करने का अधिकार

११—(१) तत्समय प्रचलित किसी विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, भूमि-विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक के लिए इस अधिनियम के अधीन विक्रीत किसी बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को क्रय करना वैध होगा तथा इस प्रकार क्रय की गयी सम्पत्ति उक्त बैंक द्वारा ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, बेच कर निस्तारित की जायगी, किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब भूमि-विकास बैंक सीरदार की किसी बन्धकग्रस्त जोत को खरीदे तो वह १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिए सरकार के पास आवश्यक धनराशि जमा करेगा और वह भूमि को बेच कर निस्तारित करने में तभी समर्थ होगा जब कि उसने भूमिधरी अधिकार अर्जित कर लिये हों।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १

(२) १९५० ई० के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १५४ में अथवा तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि में दी गयी कोई भी बात जिसमें कृषि जोत की अधिकतम सीमा नियत की गयी हो, भूमि-विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक द्वारा उपधारा (१) के अधीन भूमि के अर्जन पर प्रवृत्त न होगी।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १

भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक राज्य भूमि-विकास बैंक में निहित होंगे।

१२—इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व अथवा उसके उपरान्त भूमि-विकास बैंक के सदस्यों द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित बन्धक तथा उसे संक्रमित अन्य समस्त परिसम्पत्तियां ऐसे निष्पादन या संक्रमण के दिनांक से उक्त भूमि-विकास बैंक द्वारा राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित की गयी समझी जायेंगी और राज्य भूमि-विकास बैंक में निहित हो जायेंगी।

भूमि-विकास बैंक का धन प्राप्त करने तथा उन्मोचन देने का अधिकार

१३—इस बात के होते हुए भी कि किसी भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक राज्य भूमि-विकास बैंक को संक्रमित कर दिया गया हो अथवा धारा १२ के उपबन्धों के अधीन संक्रमित कर दिया गया समझा गया हो—

(क) मंडल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा बंधककर्त्ता को संसूचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेश के न होने पर बन्धक के अधीन देय सभी धन भूमि-विकास बैंक को दिया जायगा और भुगतान उसी प्रकार वैध होगा मानो बन्धक इस प्रकार संक्रमित न किया गया हो; और

(ख) मंडल अथवा न्यासधारी द्वारा जारी किये गये तथा भूमि-विकास बैंक को संसूचित किये गये किसी प्रतिकूल विशिष्ट निदेश के न होने पर, भूमि-विकास बैंक बन्धक के आधार पर वाद चलाने या बन्धक के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिए कोई अन्य कार्यवाही करने का हकदार होगा।

भूमि-विकास बैंक का बन्धककर्ता के पूर्व ऋणों का भुगतान करने का अधिकार

१४—(१) यदि बन्धककर्त्ता के पूर्व ऋणों का भुगतान करने के लिए किसी भूमि-विकास बैंक के पक्ष में कोई बन्धक निष्पादित किया गया हो तो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ तथा तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी बैंक लिखित नोटिस देकर, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे इस प्रकार का कोई ऋण या उसका कोई अंश देय हो, ऐसी धनराशि का भुगतान बैंक के निबन्धित कार्यालय से ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है। ऐक्ट सं० ४, १८८२

(२) यदि कोई ऐसा व्यक्ति उक्त नोटिस लेने से इन्कार करे अथवा उक्त भुगतान न ले या भुगतान लेने से इन्कार करे तो यथास्थिति, ऐसे ऋण या उसके अंश पर, नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से ब्याज नहीं मिलेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसे ऋण की धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह व्यक्ति उक्त जिसे ऋण देय हो, भूमि-विकास बैंक द्वारा ऋण के मद्धे प्रस्तुत की गयी धनराशि का भुगतान लेने के लिए बाध्य होगा, किन्तु इस प्रकार भुगतान लेने से उस व्यक्ति के उस अधिकार पर, यदि कोई हो, जो उस अपने द्वारा अभियाचित अवशेष को वसूल करने के लिए प्राप्त हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभिहरण कब किया जायगा

१५—(१) यदि भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बन्धक के अधीन देय कोई किस्त या ऐसी किस्त का कोई अंश, उस दिनांक से जब से वह देय हुआ हो, एक मास से अधिक अदत्त रहा हो, तो प्रबन्धक समिति किसी ऐसे अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त जो उक्त बैंक को प्राप्त हो, बंधकग्रस्त भूमि की उपज के, जिसके अन्तर्गत खड़ी फसल भी है, अभिहरण तथा विक्रय द्वारा ऐसी किस्त या उसके अंश की वसली के लिए निबन्धक को प्रार्थना-पत्र दे सकती है।

(२) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, निबन्धक या उसके द्वारा लिखित रूप में तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपज के अभिहरण या विक्रय करने के प्रयोजन के लिए नियत रीति से कार्यवाही कर सकता है: ऐक्ट सं० ४, १८८२

प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जब किस्त देय हुई हो, बारह मास के बीत जाने के उपरान्त, कोई अभिहरण नहीं किया जायगा।

(३) अभिहरण उतनी सम्पत्ति का किया जायगा जिसका मूल्य, यथासम्भव निकटतम, देय धनराशि, अभिहरण के व्यय तथा विक्रय के परिव्यय और अभिहरण की हुई सम्पत्ति पर पूर्व प्रभार, के यदि कोई हो, सम्बन्ध में भी देय धनराशि के योग के बराबर होगा।

ऐक्ट संख्या ४, १८८२

विक्रय के अधिकार का प्रयोग कब किया जायगा

१६—(१) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय का अधिकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा भूमि-विकास बैंक को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, तो ऐसे बैंक को प्रबन्ध समिति को अथवा ऐसी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, बन्धक धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में, उक्त बैंक को उपलभ्य किसी अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त, बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार होगा।

(२) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि—

(क) एक लिखित नोटिस जिसमें ऐसे बन्धक धन या उसके अंश के भुगतान की अपेक्षा की गयी हो, निम्नलिखित पर तामील न कर दिया गया हो—

(१) बन्धककर्ता या बन्धककर्ताओं में से प्रत्येक;

(२) कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक की जानकारी में बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके उन्मोचन के अधिकार में कोई हित हो अथवा उस पर कोई प्रभार हो ;

(३) बन्धक-ऋण या उसके किसी अंश के भुगतान के लिए कोई प्रतिभू ; तथा

(४) बन्धककर्ता का कोई ऋणदाता जिसने अपनी सम्पदा के प्रशासन से सम्बन्धित किसी वाद में बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली हो;

(ख) ऐसी तामील से तीन महीने के पश्चात् उक्त बन्धक-धन अथवा उसके अंश के भुगतान में चूक न की गयी हो; और

(ग) मण्डल ने खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धक-कर्त्ता या अन्य किन्हीं व्यक्तियों की आपत्तियों को, यदि कोई हो, सुनने के पश्चात् ऐसे अधिकारों के प्रयोग को प्राधिकृत न कर दिया हो।

(३) इस धारा के अधीन विक्रय ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय।

बन्धकग्रस्तसम्पत्ति नष्ट होने अथवा प्रतिभूति अप्रर्याप्त होने पर भूमि-विकास बैंक के अधिकार

१७—यदि किसी भूमि-विकास बैंक के पास बन्धक रखी गयी कोई सम्पत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः नष्ट हो जाय अथवा प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय और बन्धक-कर्त्ता को भूमि-विकास बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा इस बात का समुचित अवसर दिये जाने के बाद कि वह इतनी और प्रतिभूति की व्यवस्था करे कि प्रतिभूति पर्याप्त हो जाय या वह ऋण के उतने अंश का प्रतिदान करे जो समिति अवधारित करे, वह उक्त प्रतिभूति की व्यवस्था न करे या ऋण के उक्त भाग का प्रतिदान न करे तो सम्पूर्ण ऋण तुरन्त देय समझा जायगा और समिति बन्धक-कर्ता के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार हो जायगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थ में प्रतिभूति तब तक अपर्याप्त मानी जायगी जब तक बंधकग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य बन्धक के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि से उस अनुपात में अधिक न हो जो भूमि विकास बैंक के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय।

मण्डल अथवा न्यासधारी का सम्पत्ति के अभिहरण तथा विक्रय आदि का अधिकार

१८--(१) सीधे राज्य भूमि विकास बैंक के पास रखे गये बन्धक की दशा में धारा १५, १६ और १७ के अधीन किसी भूमि-विकास बैंक की प्रबन्ध समिति को दिये गये समस्त अधिकार मंडल या न्यासधारी को प्राप्त होंगे, और धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन अधिकार का प्रयोग करने में उस धारा की उप-धारा (२) का खण्ड (ग) अस्तित्वहीन समझा जायगा।

(२) मण्डल अथवा न्यासधारी किसी भूमि-विकास बैंक की प्रबन्ध समिति को धारा १५ अथवा धारा १६ या धारा १७ के अधीन किसी बाकीदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का निदेश दे सकता है, और यदि समिति ऐसा करने में अनवधानता करे अथवा ऐसा न करे तो मण्डल अथवा न्यासधारी उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी कार्यवाही कर सकता है।

(३) (क) यदि ऐसी कार्यवाही जिसका उल्लेख उपधारा (१) अथवा (२) में किया गया है मण्डल द्वारा की जाय तो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानो उक्त उपबन्धों में भूमि विकास बैंक तथा उसकी प्रबन्ध-समिति के सम्बन्ध में समस्त अभिदेश क्रमशः राज्य भूमि-विकास बैंक तथा मण्डल के सम्बन्ध में अभिदेश हों।

(ख) यदि ऐसी कार्यवाही जिसका उल्लेख उपधारा (१) अथवा (२) में किया गया है न्यासधारी द्वारा की जाय तो इस अधिनियम तथा तदर्थ बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानो उक्त उपबन्धों में भूमि-विकास बैंक अथवा उसकी प्रबन्ध-समिति के सम्बन्ध में समस्त अभिदेश न्यासधारी के सम्बन्ध में अभिदेश हों।

अनियमितता आदि के आधार पर क्रेता के आगम पर आपत्ति नहीं की जायगी

१९--यदि धारा १६ के अधीन विक्रय के अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके कोई सम्पत्ति बेची जाय तो क्रेता के आगम पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि :--

(क) विक्रय का अधिकार देने के लिए अपेक्षित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं; अथवा

(ख) विक्रय का यथोचित नोटिस नहीं दिया गया था, अथवा

(ग) विक्रय के अधिकार का अन्य प्रकार से अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग किया गया था, किन्तु किसी व्यक्ति को जिसे किसी ऐसे अधिकार के अनधिकृत, अनुचित अथवा अनियमित प्रयोग से कोई क्षति पहुंची हो, भूमि-विकास बैंक के विरुद्ध क्षति मूल्य का दावा करने का अधिकार होगा।

बन्धककर्ता के ऋणशोधाक्षम हो जाने के आधार पर बन्धक पर आपत्ति नहीं की जायगी

२०--ऋण शोधाक्षमता से सम्बन्धित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धक पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावना से निष्पादित नहीं किया गया था या कि वह बन्धककर्ता के अन्य ऋणदाताओं पर भूमि-विकास बैंक को अधिमान देने के लिए निष्पादित किया गया था।

प्रापक की नियुक्ति तथा उसके अधिकार

२१--(१) मण्डल स्वतः अथवा भूमि-विकास बैंक के प्रार्थना-पत्र पर तथा उन परिस्थितियों में जिनमें धारा १६ के अधीन किसी प्रबन्ध समिति अथवा मण्डल द्वारा विक्रय के अधिकार का प्रयोग, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, किया जा सकता हो, बन्धकग्रस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग के लिए लिखित रूप से एक प्रापक नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा प्रापक, सम्पत्ति पर कब्जा करने और उसकी उपज तथा आय को संग्रहित करने, अपने द्वारा वसूल किये

गये धन में से अपना प्रबन्ध-व्यय, जिसमें उसका मण्डल द्वारा निश्चित किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सम्मिलित है—काट लेने और अवशिष्ट धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ६९-ए की उप-धारा (८) के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक वे लागू हों, उपयोग करने का हकदार होगा।

ऐक्ट संख्या ४, १८८२

(२) मण्डल स्वतः अथवा बन्धककर्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रापक को हटा सकता है।

(३) प्रापक के पक्ष में हुई रिक्ति की पूर्ति मण्डल द्वारा की जा सकती है।

(४) इस धारा के किसी बात से मण्डल को उस दशा में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार न होगा जब बन्धकग्रस्त सम्पत्ति पहले से ही दीवानी न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक के कब्जे में हो।

बन्धककर्ता का बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को पट्टे पर देने अथवा उस पर अन्य अधिकार सृजित करने का अधिकार

ऐक्ट सं० ४, १८८२

२२—(१) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, बन्धककर्ता, भूमि-विकास बैंक की लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना, तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो बैंक आरोपित करे, बन्धक सम्पत्ति को न तो पट्टे पर देगा और न बन्धकग्रस्त सम्पत्ति पर कोई अन्य अधिकार सृजित करेगा।

(२) उप-धारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके दिया गया पट्टा अथवा सृजित अधिकार शून्य (void) होंगे।

भूमि-विकास बैंक या राज्य भूमि-विकास बैंक की ओर से निष्पादित लेख्यों का निबन्धन

ऐक्ट सं० ६, १९०८

२३—(१) इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धकों को निबद्ध करना आवश्यक न होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बद्ध भूमि-विकास बैंक, संलेखों के निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, रजिस्टर्ड डाक द्वारा या रसीद प्राप्त करके हाथ से उस संलेख की एक प्रति जिसके द्वारा ऋण के प्रतिदान को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए अचल सम्पत्ति बन्धक रखी गयी हो, उस निबन्धक-अधिकारी के पास भेजेगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर बन्धक रखी गयी सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और उक्त निबन्धक अधिकारी उस प्रति या उन प्रतियों को, जैसी भी दशा हो, इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५१ के अधीन नियत पुस्तक संख्या १ में नत्थी करके रखेगा।

ऐक्ट सं० ६, १९०८

ऐक्ट सं० ६, १९०८

(२) (क) इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ में दी गयी किसी बात के होते हुए न्यायी या भूमि विकास बैंक अथवा राज्य भूमि-विकास बैंक के किसी अधिकारी के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह स्वयं या उसका कोई अभिकर्ता किसी निबन्धन कार्यालय में किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसका सम्बन्ध ऐसे संलेख के निबन्धन से हो जिसे उसने अपने आधिकारिक रूप में निष्पादित किया हो, उपस्थित हो या उक्त ऐक्ट की धारा ५८ में दिये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करे।

(ख) जब कोई संलेख इस प्रकार निष्पादित किया जाय, तो वह निबन्धक अधिकारी जिसके समक्ष उक्त संलेख निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाय, यदि उचित समझे तो उसके सम्बन्ध में सूचना के लिए उक्त अधिकारी को अभिदिष्ट करेगा और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में अपना समाधान हो जाने पर उस संलेख को निबद्ध कर लेगा।

मंडल द्वारा कतिपय अधिकारों का प्रतिनिधान

२४—यदि मंडल उचित समझे तो वह धारा १६, १८ और २१ के अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को अपने द्वारा संघटित एक ऐसी उप-समिति को प्रतिनिहित कर सकता है जिसमें उसके दो या अधिक सदस्य हों।

ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा १०२, १०३ और अधिनियम के अधीन नोटिसों पर लागू होना

२५---ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा १०२ और १०३ के, तथा उक्त धाराओं के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त ऐक्ट की धारा १०४ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तामील किये जाने वाले सभी नोटिसों पर यथाशक्य, प्रवृत्त होंगे। ऐक्ट सं० ४, १८८२

संयुक्त हिन्दू परिवारों के प्रबन्धक द्वारा निष्पादित बन्धक

२६---(१) यदि भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बन्धक पर, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले निष्पादित किया गया हो या बाद में, कोई आपत्ति इस आधार पर की जाय कि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया था जो उस परिवार के वयस्क या अवयस्क सदस्यों पर बन्धनकारी नहीं था, तो इसे सिद्ध करने का भार, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उस पक्ष पर होगा जो उस बन्धक पर आपत्ति करे।

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रयोजन ऐसे समझे जायेंगे जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों पर बन्धनकारी होंगे :---

(क) कृषि भूमि का या खेती की रीतियों में सुधार अथवा भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य साधनों को वित्त-पोषित करना, और

(ख) भूमि का क्रय।

परिष्कार जिसके अधीन रहते हुए हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ इस अधिनियम के अधीन बन्धकों पर लागू होगी

२७---हिन्दू माइनारिटी ऐण्ड गार्जियनशिप ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ भूमि-विकास बैंक के पक्ष में किये गये बन्धकों पर इस परिष्कार के अधीन रहते हुए प्रवृत्त होगी कि उसमें न्यायालय को किया गया अभिदेश कलेक्टर या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को किया गया अभिदेश समझा जायगा और कलेक्टर या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष की जायगी। ऐक्ट सं० २७, १९५६

बन्धक बैंक के लिए किया गया अभिदेश भूमि विकास बैंक को किया गया अभिदेश समझा जायगा

२८---(१) इस राज्य में प्रचलित किसी विधि या संलेख अथवा विज्ञप्ति या उप-विधि में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-बंधक या भूमि-बंधक बैंक के लिये किया गया अभिदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से, इस अधिनियम के अर्थ में, यथास्थिति, राज्य भूमि विकास बैंक या भूमि-विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा।

(२) यदि इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक को कोई बैंक उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि-बन्धक बैंक या भूमि-बंधक बैंक के नाम से कार्य कर रहा हो तो वह उस दिनांक से दो मास के भीतर अपना नाम परिवर्तित करके, यथास्थिति, राज्य-भूमि विकास बैंक या भूमि-विकास बैंक कर लेगा।

(३) यदि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बंधक बैंक या भूमि बंधक बैंक उप-धारा (२) के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार अपना नाम परिवर्तित न करे तो निबन्धक लिखित आदेश द्वारा उसका नाम परिवर्तित कर सकता है और तदनुसार उसका मूल प्रमाण-पत्र तथा उप-विधियां संशोधित कर सकता है और उसकी एक प्रति सम्बद्ध बैंक को भेज सकता है। निबन्धक के आदेश से

किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रचलित कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के संगत उपबन्ध के अधीन समिति द्वारा किया गया परिवर्तन समझा जायगा ।

विनियम बनाने का मण्डल का अधिकार

२९—मंडल, न्यासधारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम, राज्य भूमि विकास बैंक के नियमों एवं उप विधियों के उपबन्धों से असंगत न हो और जिनमें निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी की व्यवस्था की गयी हो—

(क) ऋण-पत्रों की अवधि तथा उन पर देय ब्याज की दर निश्चित करना;

(ख) ऋण-पत्रधारियों को नोटिस देने के पश्चात् ऋण-पत्रों का प्रत्याहरण;

(ग) क्षति-ग्रस्त अथवा नष्ट ऋण-पत्रों के स्थान पर नये ऋण-पत्र जारी करना;

(घ) एक वर्ग के ऋण-पत्रों को ऐसे दूसरे वर्ग के ऋण-पत्रों में परिवर्तित करना जिनकी ब्याज की दर भिन्न हों;

(ङ) भूमि-विकास बैंकों के बहीखातों (accounts books) तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण ;

(च) भूमि-विकास बैंकों द्वारा अपने व्यवहारों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन एवं विवरणियां प्रस्तुत करना;

(छ) भूमि-विकास बैंकों और राज्य भूमि विकास-बैंक के बीच नियतकालिक लेखा-परिशोधन तथा उन बंधकों (mortgages) पर जो राज्य भूमि विकास बैंकों को संक्रमित किये गये हों या धारा १२ के अधीन संक्रमित किये गये समझे गये हों भूमि विकास बैंकों द्वारा वसूल की गयी धनराशियों का भुगतान;

(ज) वह प्रपत्र निर्दिष्ट करना जिसमें ऋणों के लिये भूमि विकास बैंकों अथवा राज्य भूमि विकास बैंक को प्रार्थना-पत्र दिये जायं तथा इस प्रकार के ऋणों के दिये जाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(झ) ऋणों के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी सम्पत्तियों का मूल्यांकन;

(ञ) बंधक-कर्ताओं से वसूल की गयी धनराशियों का विनियोजन, तथा

(ट) सामान्यतया कोई ऐसा अन्य विषय जिसके सम्बन्ध में मंडल यह समझे कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपबन्ध बनाये जाने चाहिये;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (झ) के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगे ।

नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार

३०—(१) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशन के पश्चात्, सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतया तथा उपधारा (१) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से सभी अथवा किसी विषय की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है :--

(क) भूमि-विकास बैंक को बन्धक रखी गयी भूमि की उपज अभिहरण करने तथा उसके विक्रय की प्रक्रिया;

(ख) भूमि-विकास बैंक को बन्धक रखी गयी सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया;

(ग) मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों की सीमा अवधारित करने के लिए धारा ६ की उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिशत निश्चित करना;

(घ) वे शर्तें निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि, बढ़ायी समाप्त, कम या परिष्कृत की जा सकती है;

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाता हो अथवा जो नियत किया जाय।

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

न्यासधारी तथा अन्य व्यक्ति लोकसेवक होंगे

३१--न्यासधारी, निबन्धक, या धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन सम्पत्ति का अभिहरण और विक्रय करने के लिए निबन्धक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अथवा धारा २१ के अधीन नियुक्त कोई प्रापक, इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (public servant) समझे जायेंगे। ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

लोकसेवक बिक्री में बोली न बोलेंगे

३२--धारा ३१ में अभिदिष्ट कोई लोक सेवक, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बेची गयी किसी चल या अचल समपत्ति का न तो क्रय करेगा और न उसमें बोली बोलेगा।

उद्देश्य और कारण

भारतीय खेतिहर बहुत समय से इस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं कि किसानों को विशेषतः भूमि का स्थायी रूप से सुधार करने और खेती के अपेक्षा-कृत अच्छे तरीके प्रचलित करने के निमित्त दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था की जाय। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंक सर्वोत्तम अभिकरण हैं। ऐसे सहकारी भूमि विकास बैंक, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन सहकारी समितियों के रूप में निबद्ध किये जा सकते हैं। किन्तु ऐसे बैंकों की स्थापना तथा कार्य-संचालन को सुकर बनाने के लिए कुछ अन्य उपबन्ध भी जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में नहीं हैं, आवश्यक हैं। इसलिए इन बैंकों के कार्य-संचालन को सुकर बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के उपबन्धों की अनुपूर्ति करेगा।

इस विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

१—इसमें राज्य भूमि-विकास बैंक को अर्जित अथवा अर्जित किये जाने वाले बंधकों की तथा अपने व अन्य भूमि-विकास बैंकों द्वारा धृत परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति पर ऋणपत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।

२—इसमें ऋणपत्रधारियों के और राज्य सरकार के हितों को सुरक्षित करने के लिए न्यासधारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है।

३—इसमें राज्य-विकास बैंक द्वारा जारी कये गये ऋण-पत्रों के मूलधन को लौटाने तथा उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य प्रत्याभूति की व्यवस्था की गयी है।

४—ऋणियों द्वारा किसी भूमि-विकास बैंक के पक्ष में किये गये बन्धक, राज्य भूमि-विकास बैंक में निहित होंगे जो इन बैंकों को वित्त-पोषित करेगा।

५—साधारण न्यायालयों का आश्रय लिए बिना बाकीदारों से इन बैंकों के पक्ष में देयों को अधिक प्रभावशाली रूप में तथा शीघ्रता से वसूल करने की व्यवस्था की गयी है।

६—इसमें न्यासधारी या बैंक के अधिकारियों को निबन्धन कार्यालय में, किसी एस संलेख के निबन्धन के सम्बन्ध में, जिसे उन्होंने अपने आधिकारिक रूप में निष्पादित किया हो, उपस्थित होन से विमुक्त किया गया है।

बनारसी दास,
सहकारिता मंत्री।

संसद भवन पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

विधेयक के खण्ड ६ में राज्य भूमि-विकास बैंक को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अर्जित अथवा अर्जित किये जाने वाले बन्धकों तथा अपने द्वारा धृत अन्य परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति पर ऋण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। खण्ड ८ के अधीन सरकार ऋण पत्रधारियों को मूलधन लौटाने और उसके ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति देगी।

राज्य भूमि-विकास बैंक द्वारा ऋण पत्रधारियों के प्रति दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विधेयक के खण्ड ४ के अधीन राज्य सरकार एक न्यासधारी (सहकारी समिति निबन्धक, उत्तर प्रदेश) नियुक्त करेगी।

खण्ड ९ के अधीन राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जिन्हें वह उचित समझें, एक प्रत्याभूतिनिधि उन हानियों को पूरा करने के लिए स्थापित कर सकती है जो नियत की गयी परिस्थितियों में भमि-विकास बैंकों द्वारा बन्धकों की प्रतिभूति पर दिये गये ऋण के पूर्णरूप से वसूल न हो सकने के कारण उत्पन्न हों। राज्य भूमि विकास बैंक तथा भूमि विकास बैंक उक्त निधि में ऐसी दरों पर अंशदान देंगे जो नियत की जायें। उक्त निधि का अनुरक्षण और उपयोग ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो नियत किये जायें। चूंकी प्रत्याभूतियाँ देकर राज्य सरकार जो दायित्व लेगी वह आकस्मिक प्रकार का होगा, इसलिए ऐसे व्यय का कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है जो राज्य सरकार को प्रत्याभूतियों में अपना वचन पालन करने के लिए करना पड़े।

विधेयक के खण्ड २३ के अधीन किसी भूमि-विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित बन्धकों को निबद्ध करना आवश्यक न होगा, किन्तु इससे सरकार को कोई हानि न होगी, क्योंकि सहकारी समितियों के सदस्य, सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित लेख्यों के सम्बन्ध में निबन्धन शुल्क का भुगतान करने से पहले से ही मुक्त हैं।

राज्य भूमि-विकास बैंक और भूमि-विकास बैंकों तथा जिले में उनकी शाखाओं के सामान्य पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के प्रयोजनार्थ सरकार को योजना की प्रगति के अनुसार कुछ पर्यवेक्षी कर्मचारी रखने पड़ेंगे। अनुमानित अन्तिम व्यय ३·५ लाख रुपये प्रतिवर्ष होगा।

बनारसी दास,
सहकारिता मंत्री।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४ में दिये हुए ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है

संलग्न उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक विधेयक, १९६४ में निम्नलिखित उपबन्ध दिये गये हैं जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के तत्त्व अन्तर्गस्त हैं जो सब सामान्य प्रकार के हैं।

खण्ड १ (३) — इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि अधिनियम उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चि करे।

खण्ड ६(३) (ग) — इसमें राज्य सरकार को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह खंड ६ के उपखंड (क) और (ख) में उल्लिखित समस्त धनराशियों का प्रतिशत नियत करे।

खण्ड ८ — इसमें राज्य सरकार को सहकारी प्रत्याभूति वाले ऋणपात्रों की अधिकतम धन राशि निश्चित करने और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तें, जिन्हें वह उचित समझे, निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें राज्य सरकार को ऋणपत्रों पर प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ाने का भी अधिकार दिया गया है।

खण्ड ९ — इसमें राज्य सरकार को ऐसी परिस्थितियां नियत करने का प्राधिकार दिया गया है जिनमें पूर्ण रूप से वसूल न हुए ऋणों के सम्बन्ध में हानियों को प्रत्याभूति निधि से पूरा किया जा सके। इससे राज्य सरकार को प्रत्याभूति निधि के लिए राज्य भूमि-विकास बैंक तथा भूमि-विकास बैंकों से अंशदान की दर और उक्त निधि के अनुरक्षण और उपयोग का प्रयोजन तथा उसकी रीति नियत करने का भी अधिकार दिया गया है।

खण्ड १५ (२) — इसमें राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का प्राधिकार दिया गया है जिसके अनुसार निबन्धक द्वारा ऋण वसूल करने के लिए भूमि-विकास बैंक से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उपज के अभिहरण और विक्रय के लिए कार्यवाही की जायगी।

खण्ड १६ (३) — इस खण्ड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार ऋण की वसूली के लिए प्रन्धक ग्रस्त सम्पत्ति की बिक्री की जायगी।

खण्ड ३० — इस खण्ड में राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिए और विशेषकर उसमें निर्दिष्ट मामलों की व्यवस्था करने के लिए अधिकार दिया गया है, किन्तु ऐसे नियम गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाये जायेंगे और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, १४ दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायंगे और ऐसे परिष्कारों के अधीन होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों।

बनारसी दास,
सहकारिता मंत्री।

पी० एम० यू० पी०—ए० पी० २१ एल० ए० १९६४—८८५।